Tuesday, 02 March, 1965

PAR
340
DATE 21.6.65

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

ग्यारहवां सत्र

Eleventh Session

सत्यमेव जयते

Preservation ... 27-5-92
Fumigated
On 26.12.83
Parliament Library

खंड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं

Vol XXXVIII contains Nos. 1—10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 10—मंगलवार, 2 मार्च, 1965/11 फाल्गुन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
196	मौसम की पूर्व सूचना देने की व्यवस्था	767—70
197	1964-65 में चीनी का उत्पादन	770—76
198	खाद्यान्नों के मूल्य	776—82
199	खरीफ-फसल	782—85
200	मतदान प्रक्रिया को सरल बनाना	785—87
201	एयर इंडिया की विमान सेवायें	787—89
202	इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश विधानमण्डल के बीच विवाद	789—93

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
203	पर्यटन विकास निगम	793—95
204	हलदिया बन्दरगाह	795–96
205	चावल और गेहूं के मूल्य	796
206	असैनिक विमान चालक	796–97
207	एयर इंडिया की मास्को-लन्दन विमान सेवायें	797–98
208	दिल्ली दुग्ध योजना	798
209	एयर इंडिया की "पूल पार्टनरशिप"	798
210	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	799
211	चावल का आयात	799
212	निराश्रितों की सहायता	799–800
213	रिवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड	800—01
214	चीनी कारखानों के लिये लाइसेंस	801
215	अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमे	802
216	पाकिस्तान से चावल	802–03
217	कलकत्ता बन्दरगाह	803
218	पर्यटन केन्द्र के रूप में गोआ	803

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 10.—*Tuesday, March* 2, 1965/*Phalguna* 11, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
196	Weather Warning System .	767—70
197	Sugar Production in 1964-65	770—76
198	Prices of Foodgrains .	776—82
199	Kharif Crops . . .	78[illegible]—85
200	Simplification of Voting Procedure	785—87
201	Services of Air India	787—89
202	Conflict between Allahabad High Court and U. P. Legislature	789—93

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
203	Corporations to develop Tourism .	793—95
204	Haldia Port	795—96
205	Rice and Wheat Prices . .	796
206	Civil Pilots	796—97
207	Moscow-London Air India Services .	797—98
208	Delhi Milk Scheme . . .	798
209	Pool Partnership of Air India . .	798
210	Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	799
211	Import of Rice	799
212	Assistance to Destitutes	799—800
213	Rivers Steam Navigation Co. Ltd.	800—801
214	Licences for Sugar Factories . . .	801
215	Cases Launched under Essential Commodities Act	802
216	Rice from Pakistan . . .	802—03
217	Calcutta Port	803
218	Goa as Tourist Centre	803

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
219	खाद्य नीति	804
220	बीज निगम	804–05
221	देश की अर्थ-व्यवस्था में कृषकों का योगदान	805–06
222	इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन के विमानों का बदला जाना	807

अतारांकित प्रश्न संख्या		
460	सदस्यों के मताधिकार	807–08
461	कृषकों को ऋण	808–09
462	काश्मीर में उप-चुनाव	809
463	अनाज की खरीद	809
464	भूमि अर्जन विधान	809–10
465	अधिवक्ता, अधिनियम, 1961 का संशोधन	810
466	सहकारी स्टोरों में वस्तुओं के मूल्य	810
467	काबेरी डेल्टा का सर्वेक्षण	811
468	मध्य दर्जे की और छोटी बन्दरगाहें	812
469	सहरसा संसदीय उप-चुनाव	812
470	अलीपुर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम	812–13
471	खांडसारी एककों का स्थानान्तरण	813
472	हिल्टन्स होटल्स के साथ करार	813
473	सहायक खाद्य पदार्थ	814
474	भारत का जहाजरानी निगम	814–15
475	मद्रास दिल्ली केरेवल सेवा	815
476	कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	815–16
477	आटे का मूल्य	816–17
478	उत्तर प्रदेश में चावल के मूल्य	817
479	अलाभप्रद चीनी कारखाने	817–18
480	परिवार पेंशन योजना	818
481	विदेशों में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय	818
482	पंजाब में समाज कल्याण विस्तार परियोजनायें	818–19
483	कृषि उत्पादन	819–20
484	ग्रांड ट्रंक रोड	820—22
485	गंगा पर नया पुल	822
486	सड़क परिवहन	822–23
487	पौधा उत्परिवर्तन सम्बन्धी अनुसंधान	823
488	श्रम-ठेके और निर्माण संस्थायें	823–24
489	खाद्य विभाग का कैफेटीरिया	824–25
490	दिल्ली परिवहन की बसें	825–26

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGE
219	Food Policy .	804
220	Seeds Corporation . .	804—05
221	Farmers' Role in Country's Economy .	805—06
222	Replacement of Aircraft of A.I.C. .	807
Unstarred Questions Nos.		
460	Voting Rights to Members . .	807—08
461	Loan to Farmers .	808—09
462	Bye-Election in Kashmir	809
463	Purchase of Foodgrains .	809
464	Land Acquisition Law	809—10
465	Amendment of Advocates Act, 1961 . .	810
466	Prices of Commodities in Co-operative Stores	810
467	Survey of Cauvery Delta	811
468	Intermediate and Minor Ports . . .	812
469	Saharsa Parliamentary Bye-Election . .	812
470	Community Development Programme in Alipore .	812—13
471	Shifting of Khandsari Units	813
472	Agreement with Hilton Hotels . .	813
473	Subsidiary Foods	814
474	Shipping Corporation of India . . .	814—15
475	Madras-Delhi Caravelle Service	815
476	Contribution towards Employees' Provident Fund . .	815—16
477	Price of Atta	816—17
478	Rice Prices in U.P. . . .	817
479	Uneconomic Sugar Factories .	817—18
480	Family Pension Scheme . .	818
481	I.A.C. Offices Abroad. . . .	818
482	Social Welfare Extension Projcts in Punjab	818—19
483	Agricultural Production . .	819—20
484	Grand Trunk Road . .	820—22
485	New Bridge over Ganga . .	822
486	Road Transport . . .	822—23
487	Research in Plant Mutation . . .	823
488	Labour Contract and Construction Societies .	823—24
489	Food Department Cafetaria Stores	924—25
490	D.T.U. Buses . . .	825—26

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
491	सरसों की खेती	826
493	कच्चा पटसन	826–27
494	जमीन को कृषि योग्य बनाना	827
495	संसत्सदस्यों का चीनी का कोटा	828
496	परती भूमि का विकास	828
497	शिल्पकारों को पेंशन	828
498	रसड़ा में सहकारी चीनी मिल	829
499	कलकत्ता-इम्फाल मार्ग पर फोकर फ्रडशिप सेवा	829
500	केन्द्रीय उद्यान संस्था	829
501	सहकारी सदस्य शिक्षा कार्यक्रम	829–30
502	एसप्रैसो काफी की मशीनें	830
503	उड़ीसा में भाण्डागार	830–31
504	कृषि अनुसंधान सम्बंधी परियोजनायें	831–32
505	अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन	832
506	उड़ीसा को गेहूं और चीनी का सम्भरण	832–33
507	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	833
508	खाने के तेल	833–34
509	पशु कल्याण सप्ताह	834
510	चुनाव व्यय	834–35
511	तूफान अनुसंधान केन्द्र	835
512	तूतीकोरिन-कोलम्बो नाव सेवा	835
513	भारतीय दण्ड संहिता	835–36
514	तटीय नौवहन	836
515	सड़क परिवहन विकास कार्यक्रम	836–37
516	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था	837
517	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में अनुसंधान वैज्ञानिक	837
518	कोवलम को पर्यटक केन्द्र बनाना	838
519	धान का भाव	838
520	अखिल भारतीय सब्जी प्रदर्शनी	839
521	संयुक्त राज्य अमरीका से गेहूं	839

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 840—42

(एक) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा अधिकारियों में असन्तोष

श्री दी० चं० शर्मा 840

डा० सुशीला नायर 840—42

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
491	Cultivation of Mustard Seed	826
493	Raw Jute	826-27
494	Reclamation of Land	827
495	Sugar Quota of M.Ps.	828
496	Development of Fallow Land	828
497	Pension to Craftsmen	828
498	Cooperative Sugar Mills at Rasra	829
499	Pokkar Friendship Service on Calcutta Imphal Route	829
500	Central Institute of Horticulture	829
501	Cooperative Member Education Programme	829-30
502	Espresso Coffee Units	830
503	Warehouses in Orissa	830-31
504	Agricultural Research Projects	831-32
505	Grow More Food Campaign	832
506	Supply of Wheat to Orissa	832-33
507	Welfare of S.C. and S.T. in Orissa	833
508	Edible Oils	833-34
509	Cattle Welfare Week	834
510	Election Expenses	834-35
511	Cyclone Research Station	835
512	Tuticorin Colombo Boat Service	835
513	Indian Penal Code	835-36
514	Coastal Shipping	836
515	Road Transport Development Programe	836-37
516	I.A.R.I.	837
517	Research Scientists in I.A.R.I.	837
518	Kovalam as a Tourist Centre	838
519	Price of Paddy	838
520	All India Vegetable Show	839
521	Wheat from U.S.A.	832
Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance		840—42
(*i*)	Unrest among Medical Officers of CGHS	
	Shri D. C. Sharma	840
	Dr. Sushila Nayar	840—42

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--जारी

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	846
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने के बारे म प्रक्रिया	848
मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के बारे में . .	849
समिति के लिये निर्वाचन	849–50
पशु कल्याण बोर्ड	
बीमा (संशोधन) विधेयक, 1965--पुरःस्थापित . .	850
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1964-65	850--55
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	855–56
श्री कपूर सिंह	856–57
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	857--58
श्री हिम्मतसिंहका	858
श्री अल्वारेस	858–59
श्री अ० च० बरुआ	859–60
श्री जोकीम आल्वा	860--62
श्री सरजू पाण्डेय	862–63
श्री ओंकार लाल बेरवा	863
श्री मलाइछामी	864
श्री मधु लिमये	864
श्री स० मो० बनर्जी	864–65
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	865–66
श्री पें० वेंकटासुब्बया	866–67
श्री ह० च० सोय	867
श्री व० ब० गांधी	867
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	867--70
(दो) उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे के सवारी गाड़ी के एक डिब्बे में आग लगना	
श्री मधु लिमये	872
डा० राम सुभग सिंह	873
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . .	873
श्री लाल बहादुर शास्त्री	873–74

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—*Contd.*

Subject	PAGES
Papers laid on the Table . .	846
Re: Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance (Procedure) .	848
Re: Resignations by Ministers . .	849
Election to Committee . . .	849—50
Animal Welfare Board	
Insurance (Amendment) Bill—introduced . .	850
Demands for Supplementary Grants (General), 1964-65 .	850—55
Shrimati Renu Chakravartty	855—56
Shri Kapur Singh . .	856—57
Shri Harish Chandra Mathur	857—58
Shri Himatsingka . . .	858
Shri Alvares	858—59
Shri P. C. Borooah .	859—60
Shri Joachim Alva .	860—62
Shri Sarjoo Pandey .	862—63
Shri Onkar Lal Berwa	863
Shri M. Malaichami .	864
Shri Madhu Limaye	864
Shri S. M. Banerjee . .	864—65
Shri Narendra Singh Mahida	865—66
Shri P. Venkatasubbaiah	866—67
Shri H. C. Soy	867
Shri V. B. Gandhi . .	867
Shri T. T. Krishnamachari .	867—70
(*ii*) Fire in passenger-coach on Northeast Frontier Railway	
Shri Madhu Limaye	872
Dr. Ram Subhag Singh	873
Motion on President's Address .	873
Shri Lal Bahadur Shastri	873—74

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)

अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)

अक्कम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)

अचल सिंह, श्री (आगरा)

अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)

अणे, डा० मा० श्री० (नागपुर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)

अरुणाचलम, श्री (रामनाथपुरम्)

अलगेशन, श्री (चिंगलपट)

अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आज़ाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फीरोजपुर)

इम्बीचिबावा, श्री इ० कु० (पोन्नाणि)

इलियापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री म० गं० (मंडला)

उटिया, श्री (शहडोल)

उ—क्रमशः

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)
उमानाथ, श्री (पुद्दुकोट्टै)
उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापुट)

ए

एंथनी, श्री फ्रेंक (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय)
एरिंग, श्री डा० (नाम-निर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्रनगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (देवास)
कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडाडी, श्री मांदेप्पा बंदप्पा (शोलापुर)
कनकसवै, श्री (चिदाबरम्)
कन्डप्पन, श्री (तिरूचेंगोड)
कन्नमवार, श्रीमती ताई (चांदा)
कपूर सिंह, सरदार (लुधियाना)
कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)
कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)
करुथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कामले, श्री तु० द० (लातूर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किशन वीर, श्री (सतारा)
किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)
कुन्हन, श्री प० (पालघाट)
कुमारन, श्री मे० क० (चिरयिन्कील)

क—क्रमशः

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)

कृपा शंकर, श्री (डुमरियागंज)

कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)

कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)

कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)

केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)

कॅप्पन, श्री चेरियान (मुवात्तुपुजा)

केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)

कोया, श्री मुहम्मद (कोजीकोड)

कोलाको, डा० (गोआ, दमन और दीव)

कोहोर, डा० राजेन्द्र (फूलबनी)

कौजलगी, श्री हे० वी० (बेलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)

खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)

खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)

खां, डा० पूर्णेन्दनारायण (उलुबेरिया)

खां श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खाडिलकर, श्री र० के० (खेड़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)

गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)

गणपति राम, श्री (मछलीशहर)

गयासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)

गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)

गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)

गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)

गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)

ग—क्रमशः

गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मैनपुरी)
गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली—सदर)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (तिरुपत्तूर)
गौड़, श्री वीरन्ना (बंगलौर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची-पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतर सिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रभान सिंह, डा० (बिलासपुर)
चन्द्रशेखर, श्रीमती मा० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचूर)
चव्हाण, श्री दा० रा० (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (नासिक)
चांडक, श्री भी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)
चुनीलाल, श्री (अम्बाला)
चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)

च—क्रमशः

चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा)

चौधरी, श्री सचीन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम)

जमीर, श्री स० चु० (नामनिर्देशित—नागालैण्ड)

जमुना देवी, श्रीमती (झबुआ)

जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)

जयरामन, श्री (वांडीवाश)

जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)

जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)

जेधे, श्री गुलाबराव केशवराव (बारामती)

जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)

जैन, श्री अजित प्रसाद (तुमकुर)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)

ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

त

तन सिंह, श्री (बाडमेर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)

तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)

तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

त—क्रमश:

तुला राम, श्री (घाटमपुर)

तेवर, श्री वैरावा (थजावूर)

त्यागी, श्री महावीर (देहरादून)

त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)

त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

थांगल, श्री नल्लाकोया (नामनिर्देशित—लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)

थेंनगोंडर, श्री गोपालस्वामी (नागपट्टिनम्)

द

दफले, श्री (मिरज)

दलजीत सिंह, श्री (उना)

दशरथ देव, श्री (त्रिपुरापूर्व)

दांडेकर, श्री नारायण (गोंडा)

दाजी, श्री होमी (इंदौर)

दास, श्री (तिरुपति)

दास, श्री नयन तारा (जमुई)

दास, श्री वसन्त कुमार (कंटाई)

दास, डा० मनमोहन (औसग्राम)

दास, श्री सुधांशु भूषण (डायमन्ड हार्बर)

दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)

दिनेश सिंह, श्री (सालोन)

दिक्षित श्री गो० ना० (इटावा)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर उत्तर)

दुरै, श्री काशीनाथ (अरूप्पुकोट्टै)

देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)

देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)

देशमुख, डा० पंजाब राव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री भा० द० (औरंगाबाद)

देशमुख, श्री शिवाजीराव शंकरराव (परभणी)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

द—क्रमशः

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)

धवन, श्री (लखनऊ)

धूलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकंठा)

नम्बियार, श्री आनन्द (तिरूचिरापल्लि)

नाथवाई, श्री (राजापुर)

नायक, श्री दे० जी० (पंचमहल)

नायक, श्री महेश्वर (मयूरभंज)

नायक, श्री मोहन (भंजनगर)

नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)

नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)

निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)

निरंजन लाल, श्री (नाम-निर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)

नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

प

पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी (फूलपुर)

पंत, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)

पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)

पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)

पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौंच)

पटेल, श्री नानूभाई नि० (बुलसार)

पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (पाटन)

पटेल, श्री मानसिंह पृ० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पट्टाभिरामन, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)

पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)

प—क्रमशः

परमशिवन, श्री० स० क० (इरोड)
पराधी, श्री भोलाराम (बालाघाट)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)
पाटिल, श्री मा० भ० (रामटेक)
पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)
पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)
पाटिल, श्री सं० बं० (बीजापुर—दक्षिण)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई—दक्षिण)
पाण्डेय, श्री रामसहाय (गुना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)
पाराशर, श्री (शिवपुरी)
पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)
पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)
पुरी, श्री दे० द० (कैथल)
पृथवीराज, श्री (दौसा)
पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)
प्रताप सिंह, श्री (सिरमूर)
प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली—करोलबाग)

फ

फिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)
बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)
बड़े, श्री रामचन्द्र (खारगोन)
बदरुद्दुजा, श्री (मुर्शिदाबाद)
बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)
बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्लचन्द्र (शिवसागर)

ब—क्रमशः

बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)
बसन्त कुमारी, श्रीमती (केसरगंज)
बसवन्त, श्री सोनूभाई दागडू (थाना)
बसुमतारी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)
बाकलीवाल, श्री (दुर्ग)
बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौली)
बालकृष्णन, श्री (कोइलपट्टी)
बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)
बासप्पा, श्री (तिपतुर)
बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा-पश्चिम)
बूटा सिंह, श्री (मोगा)
बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)
बृजराज सिंह, श्री (बरेली)
बृजराज सिंह—कोटा, श्री (झालावाड़)
बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्मप्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)
भगवती, श्री वि० चं० (दरंग)
भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी (खामगांव)

भ—क्रमशः

भट्टाचार्य, श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)
भार्गव, पंडित मुं० बि० ला० (अजमेर)
भील, श्री प० ह० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)
मण्डल, डा० प० (विष्णुपुर)
मण्डल, श्री यमुना प्रसाद (जयनगर)
मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)
मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)
मजीठिया, श्री सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)
ममायन, श्री (दार्जिलिंग)
मनोहरन, श्री (मद्रास–दक्षिण)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मरुथैया, श्री (मेलर)
मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)
मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लया, श्री उ० श्री० (उदोपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीतलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (राजकोट)
मसुरिया दीन, श्री (चैल)
महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)
महतो, श्री भजहरि (पुरुलिया)
महन्ती, श्री गोकुलानन्द (बालासोर)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़—उत्तर)

म——क्रमशः

महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माने, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री शिवचरण (भीलवाड़ा)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
मिनीमाता, श्रीमती अगमदास गुरु (बालोदा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री विभुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता-मध्य)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुज्जफर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवली)
मुन्जनी, श्री डेविड (लोहरदगा)
मुरमू, श्री सरकार (बलूरघाट)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहॅम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहॅम्मद युसूफ, श्री (सीवन)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमलापुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्लि)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई—उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मुकुन्दपुरम)
मेल्लकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)

म—क्रमश :

मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहँदी, श्री सै० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब्रज बिहारी (बिल्हौर)
मैंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कृ० ल० (हतकंगले)
मोरे, श्री शं० शा० (पूना)
मोहन स्वरुप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारवाड़—दक्षिण)
मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कैराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)
युद्धवीर सिंह, श्री (महेन्द्रगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)
रंगराव, श्री र० व० गो० कु० (चीपुरुपल्लि)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुरामैया, श्री को० (गंटूर)
रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रतन लाल, श्री (बांसवारा)
राउत, श्री भोला (बतिया)
राघवन, श्री अ० व० (बडागरा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, श्री चित्तरंजन (जूनागढ़)
राजा राम, श्री (कृष्णगिरि)

र—क्रमश :

राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)

राजू, डा० द० स० (राजामंड्री)

राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)

राणे, श्री शिवरामरंगो (बुलडाना)

राम, श्री तु० (सोनबरसा)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)

रामधनीदास, श्री (नवादा)

रामनाथन चेट्टियार, श्री (करूर)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामभद्रन, श्री (कडलूर)

राम सिंह, श्री (बहराइच)

रामसुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)

रामसेवक, श्री (जालोन)

रामस्वरूप, श्री (राबर्ट्सगंज)

रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामेश्वर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)

रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)

राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)

राय, डा० सारादीश (कटवा)

राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)

राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)

राव, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)

राव, श्री रमापति (करीमनगर)

राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)

राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रावनदले, श्री (धूलिया)

रेड्डियार, श्री वेंकटसुब्बा (तिन्डीवनम)

र—क्रमश :

रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (रामपेजट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बे० गोपाल (काबलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दूपुर)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
लखमू भवानी, श्री (बस्तर)
ललित सेन, श्री (मण्डी)
लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)
लाटन चौधरी, श्री (सहरसा)
लास्कर, श्री निहाररंजन (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (मुंगेर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर, (फर्रुखाबाद)

व

वर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)
वर्मा, श्री सूरजलाल (सीतापुर)
वाडीवा, श्री (स्योनी)
वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम)

व—क्रमशः

विजय राजे, श्रीमती (छपरा)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (होशियारपुर)
विमला देवी, श्रीमती (एलुरू)
विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
वेंकटासुब्बय्या, श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)
वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (साबरमती)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, श्री अ० प्र० (बक्सर)
शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शामनाथ, श्री (दिल्ली—चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसनेहीघाट)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शाह, श्रीमती जयावेन (अमरेली)
शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शिकरे, श्री (मरमागोआ)
शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)
शिवनंजप्पा, श्री (मंड्या)

श—क्रमशः

शिव नारायण, श्री (बांसी)
शिव प्रधासन, श्री कु ०(पांडीचेरी)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपेरुमबुदूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)
श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)
श्रीनिवासन, डा० (मद्रास उत्तर)

स

सत्यनारायण, श्री बिट्टिका (पार्वतीपुरम)
सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)
सनजी रूपजी, श्री (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली)
समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
सहगल, श्री अ० सिं० (जंजगीर)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री स० चं० (तामलक)
साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)
साहू, डा० रामेश्वर (रोसेरा)
सिंघवी, डा० लक्ष्मीमल्ल (जोधपुर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)
सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री कृष्ण कान्त (महाराजगंज)
सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)
सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)
सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)
सिंह, श्री रघवराजदत्त (शाहाबाद)
सिंह, श्री यज्ञ नारायण (सुन्दरगढ़)
सिंह, श्री स० टो० (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

स—क्रमशः

सिद्दय्या, श्री (चामराजनगर)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिद्धान्ती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)

सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (पटना)

सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)

सुब्बारामन, श्री (मदुरै)

सुब्रह्मण्यम, श्री चि० (पोल्लाची)

सुब्रह्मण्यम, श्री टेंकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)

सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)

सेझियान, श्री इरा (पैरम्बलूर)

सेठ, श्री बिशनचन्द्र (एटा)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)

सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)

सेन, डा० रानेन (कलकत्ता-पूर्व)

सोनावने, श्री (पंढरपुर)

सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)

सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह (कैरा)

सौंदरम रामचन्द्रन, श्रीमती (डिंडिगल)

स्वर्णसिंह, श्री (जालन्धर)

स्वामी, श्री मंडलावेंकट (मसुलीपटनम)

स्वामी, श्री म० ना० (ओंगोल)

स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)

स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)

स्वैल, श्री ज० गि० (आसाम-स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)

हक, श्री मु० मो० (अकोला)

ह—क्रमशः

हजरनवीस, श्री र० म० (भंडारा)
हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी, श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोड्डा)
हिम्मतसिंहजी, श्री (कच्छ)
हुकम सिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री तिरुमल राव

श्री खाडिलकर

डा० सरोजिनी महिषी

श्री सोनावने

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री —श्री लाल बहादुर शास्त्री

गृह-कार्य मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा

वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी

सूचना और प्रसारण मंत्री—श्रीमती इंदिरा गांधी

वैदेशिक कार्य मंत्री —श्री स्वर्ण सिंह

रेलवे मंत्री—श्री स० का० पाटिल

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री —श्री अ० कु० सेन

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री यशवन्तराव चह्वाण

इस्पात और खान मंत्री—श्री संजीव रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्यनारायण सिंह

शिक्षा मंत्री—श्री मु० क० चागला

श्रम और रोजगार मंत्री—श्री दामोदर संजीवय्या

पुनर्वास मंत्री—श्री महावीर त्यागी

राज्य-मंत्री

निर्माण और आवास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री मनुभाई शाह

असैनिक उड्डयन मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन मंत्री—श्री राज बहादुर

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे

स्वास्थ्य मंत्री—डा० सुशीला नायर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा प्रविधिक विकास मंत्री—श्री को० रघुरामैया

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री अलगेशन

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री—श्री रं० म० हजरनवीस

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—डा० कु० ल० राव

योजना मंत्री-श्री ब० रा० भगत

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री अ० म० थामस

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री—श्री त्रि० ना० सिंह

उपमंत्री

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० मो० दास

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सैं० वें० रामस्वामी

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री—श्री अहमद मुहीउद्दीन

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

गृह–कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ललित नायराण मिश्र

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चह्वाण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री—श्रीमती मारागाथम चन्द्रशेखर

विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शामनाथ

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राजू

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विभुधेन्द्र मिश्र

संचार विभाग में उपमंत्री—श्री विजयचन्द्र भगवती

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाशचन्द्र सेठी

श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रतन लाल किशोरीलाल मालवीय

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री भक्तदर्शन

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रामेश्वर साहू

सभा–सचिव

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा सचिव—श्री अन्नासाहेब शिन्दे

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री डा० एरिंग

सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव—श्री सैं० अ० मेहदी

प्रधान मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित सेन

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री स० चु० जमीर

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव—श्री डोडा तिम्मय्या

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 2 मार्च, 1965/11 फाल्गुन, 1886 (शक)

Tuesday, March 2, 1965 /Phalguna, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मौसम की पूर्व सूचना देने की व्यवस्था

*196. श्री रामनाथन् चेट्टियार :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सेंझियान :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 दिसम्बर, 1964 की मौसम संबंधी रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गयी थी कि 21 दिसम्बर को प्रात: बंगाल की खाड़ी में एक बहुत भारी चक्रवात तूफान उत्पन्न हो गया था और वह मद्रास से लगभग 1,200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूसरे दिन की रिपोर्ट में बताया गया था कि पहिले दी गई सूचना के अनुसार इस भारी तूफान के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना थी, अब उसका जोर कम हो गया है और वह नागापट्टिनम से 700 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है ;

(ग) क्या तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को विशेषकर मछली पकड़ने वालों को कोई चेतावनी दी गयी थी और यदि नहीं, तो क्या इस बात की कोई जांच की गई है ; और

(घ) भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग के चक्रवात पूर्व सूचना संगठन को सुव्यवस्थित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि भविष्य में ऐसी आपत्तियों को रोका जा सके ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): मैं लोक-सभा की मेज पर सूचना को देने वाला एक विवरण रखता हूं ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) जी हां । सबसे बाद में आने वाले जहाजों से मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित दोपहर की मौसम रिपोर्ट में यह बताया गया कि भंयकर चक्रवात तूफान का जोर कम हो गया है और वह एक चक्रवात तूफान के रूप में नागापट्टिनम से लगभग 700 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है । फिर भी, बाद की सूचनाओं के आधार पर 22 दिसम्बर, 1964 की शाम को जारी की गयी बुलेटिनों में तूफान की तेजी को इसे 'भयकर चक्रवात तूफान' बताकर सूचित किया गया ।

(ग) मद्रास के पूर्वानुमान कार्यालय ने मद्रास के दक्षिण में तूतीकोरिन तक के मद्रास के तटवर्ती सभी बन्दरगाहों और नागापट्टिनम के दक्षिण में मद्रास के तटवर्ती क्षेत्रों के मत्स्य अधिकारियों को भी, 21 दिसम्बर, 1964 को इस भंयकर चक्रवात तूफान और इसके बढ़ने की दिशा के बारे में चेतावनी जारी कर दी थी । मद्रास के आकाशवाणी केन्द्र से 21 दिसम्बर, 1964 की रात को भारतीय मानक समय के अनुसार 22.30 बजे विशेष बुलटिनें भी प्रसारित की गयी जिनमें चक्रवात तूफान और दक्षिण मद्रास राज्य के तटवर्ती जिलों में मौसम के खराब होने की संभावना के बारे में सूचना दी गयी थी ।

भंयकर चक्रवात तूफान, इसके बढ़ने की दिशा और इसके कारण मौसम की खराबी की चेतावनियां 22 दिसम्बर, 1964 को राजस्व पुलिस, रेलवे, डाक व तार और दूसरे अधिकारियों को जारी की गयी । पोर्ट प्राधिकारियों और मत्स्य अधिकारियों को भी चेतावनी दी गयी ।

(घ) चौथी योजना की अवधि के दौरान, तटवर्ती स्टेशनों पर तूफान की चेतावनी देने वाले रडारों, इत्यादि की स्थापना करके भारत मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी संगठन के आधुनिकीकरण करने और इसे और अधिक विकसित करने का विचार है ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या यह सच है कि यंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा था, और यदि हां, तो उस यंत्र को चलाने वाले ने पहले ही सावधानी क्यों नहीं बरती थी ?

श्री कानूनगो : कौनसा यंत्र ? प्रश्न यह है कि चेतावनी दी गई थी अथवा नहीं ? जैसा मैंने विवरण में कहा कि 20, 21 ,22 और 23 दिसम्बर को चेतावनियां दी गई थीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाला यंत्र उस तिथि को ठीक कार्य नहीं कर रहा था ।

श्री कानूनगो : प्रश्न किसी विशेष यंत्र का नहीं परन्तु विभिन्न सूत्रों तथा स्थानों से जानकारी प्राप्त करने का है। 22 तारीख को जानकारी विशेष रूप से समुद्र में जहाजों से प्राप्त करनी पड़ी जो स्टेशन को मौसम के बारे में जानकारी देते हैं और जहाजों ने भी ऐसे संदेश भेजे थे ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्योंकि हमारा तटवर्ती क्षेत्र 3,500 मील है जिस में भारी तूफान आ सकते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने अच्छे उपकरण जैसे राडार आदि की व्यवस्था करने के लिये क्या उपाय किये हैं जिससे तूफान आने से पूर्व चेतावनी दी जा सके ?

श्री कानूनगो: विवरण के भाग (घ) में यह बताया गया है कि चौथी योजना के दौरान कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में राडार स्थापित करने का विचार है। परन्तु यह विपत्ति कोई तूफान के कारण नहीं थी, जैसा कि उन्होंने बताया है, ये तो ज्वारभाटीय तरंगें थीं। ज्वारभाटीय तरंगों का पूर्वानुमान लगाने की अभी कोई प्रणाली नहीं बनाई गई है। गत दो वर्षों से वही व्यवस्था काम में लाई जा रही है जो अमरीका में काम में लाई जा रही है। हमें जो भी जानकारी इस समय है उसके आधार पर हम चौथी योजना में इस बारे में यंत्र स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: What is the number of such instruments which we have? Is it a fact that an instrument for forecasting the explosion of atom bomb is proposed to be installed soon; and if so, when it would be installed?

Shri Kanungo: It is not an instrument—it is a system.

Mr. Speaker: The question is in regard to weather and not about atom bomb.

श्री स० मो० बनर्जी: क्या यह सच है कि ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी विभाग का पूर्वानुमान सामान्यतः गलत होता है और ऐसा देखा गया है कि जब पूर्वानुमान साफ मौसम का होता है तो लोग बरसाती और छाते ले कर बाहर जाते हैं ?

श्री कानूनगो : पूर्वानुमान संसार में कहीं भी शत प्रतिशत ठीक नहीं होता है। देखने की बात यह है कि यह कितना ठीक होता है और संसार में 80 प्रतिशत पूर्वानुमान ठीक होने पर सर्वोत्तम समझा जाता है। भारत में अब 80 प्रतिशत पूर्वानुमान ठीक होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पूर्वानुमान कितने प्रतिशत ठीक होते हैं ?

श्री कानूनगो: 80 प्रतिशत को सर्वोत्तम समझा जाता है और हमने इस को प्राप्त कर लिया है।

डा० रानेन सेन : कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण नगरों की ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी वेधशालाओं में सुधार लाने के लिये वास्तव में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री कानूनगो : भारत की वेधशालायें आधुनिकतम हैं परन्तु उन में ज्वार-भाटीय तरंगों के पूर्वानुमान नहीं लगाये जाते हैं। उसके लिये कुछ यंत्रों की आवश्यकता है जिनको चौथी योजना में लगाये जाने की संभावना है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि रामेश्वरम द्वीप क्षेत्र में ज्वार-भाटीय तरंगों के आने के समय के बारे में बताये गये पूर्वानुमान गलत होने के कारण बहुत विनाश हुआ और इसके फलस्वरूप बहुत से मछली पकड़ने वालों की मृत्यु हो गई। इस सम्बंध में क्या कोई जांच की गई है जिसमें यदि कुछ गलतियां हुई हों तो, उनको दूर किया जा सके ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : वह पूर्वानुमान तो सही था।

श्री कानूनगो : सही चेतावनियां दी गई थीं । बात यह है कि ज्वार-भाटीय तरंगों के बारे में पूर्वानुमान नहीं बताया जा सका था और न ही वर्तमान वैज्ञानिक जानकारी से बताया जा सकता था ।

1964–65 में चीनी का उत्पादन

\+

*197. श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा
श्री प० ह० भील :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री हेम राज :
श्री विभूति मिश्र :
श्री चांडक :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री महेश्वर नायक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 के मौसम में (राज्यवार) चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या उक्त मौसम के लिये पूर्वानुमानित उत्पादन की कमी की पूर्ति हो जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या निर्यात प्रस्ताव में रूपभेद किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 1964–65 के मौसम में चीनी का कुल उत्पादन (राज्यवार) एक विवरण में दिया गया है, उसको सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) प्रत्याशित उत्पादन में कमी होने की कोई सम्भावना नहीं है । अधिक सही पूर्वानुमान केवल अप्रैल में ही लगाया जा सकेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

राज्य	1964–65 में चीनी का उत्पादन हजार मीट्रिक टनों में 1 नवम्बर से 22 फरवरी
उत्तर प्रदेश	778
बिहार	239
पंजाब	61
पश्चिमी बंगाल	10
आसाम	2
उड़ीसा	5
राजस्थान	7
मध्य प्रदेश	24
महाराष्ट्र	404
गुजरात	24
आन्ध्र प्रदेश	169
मद्रास	75
मैसूर	94
केरल	13
पांडिचेरी	6
पूरे भारत में	1911

Shri D. N. Tiwary: May I know the decline or increase in production during 1964-65 in comparison to that during 1963-64?

Shri D. R. Chavan: It is increased by 90 thousand tonnes.

Shri D. N. Tiwary: May I know whether the production would be enough for our consumption; and if not, whether the quantity of sugar to be exported would be decreased?

Shri D. R. Chavan: Yes, Sir; it is estimated that the production would not be less than 30 lakh tonnes.

Shri Yashpal Singh: From the figures submitted by the government, it is clear that the country had to incur a loss of Rs. 12 crores on account of the export policy. Have Government taken into consideration that if a farmer had been given a subsidy of Rs. 2 crores, he would have produced that quantity of sugar which would have resulted in saving of Rs. 10 crores?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्): मैं नहीं समझता कि कोई घाटा उठाना पड़ा है । जब भी इसका निर्यात करना पड़ता है, हमें विदेशी मुद्रा हासिल करने के लिये इसका निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय दर पर करना पड़ता है । उस की तुलना आन्तरिक मूल्यों से तो की नहीं जा सकती और इसलिये हम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर यह हिसाब लगाते हैं कि हमें घाटा हो रहा है । इस को घाटा नहीं कहा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन का सुझाव यह है कि यदि अतिरिक्त राज सहायता दी जाती....

श्री चि० सुब्रह्मण्यम्: यह धारणा गलत है । हम उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक सहायता दे रहे हैं ।

Shri M. L. Dwivedi: It is mentioned in the Statement that the production was 1911 thousand tonnes. May I know the quantity exported, what are our requirements during this year and the action being taken to meet them?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : पिछले वर्ष हमने 2.5 लाख मीट्रिक टन निर्यात किया था परन्तु 1964–65 में 2.18 लाख मीट्रिक टन निर्यात करने का हमारा कार्यक्रम है । पिछले वर्ष 26 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था । इस वर्ष उत्पादन 30 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है ।

Shri M. L. Dwivedi: What are the requirements of our country?

अध्यक्ष महोदय : हमारी आवश्यकता क्या है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : 25 लाख मीट्रिक टन ।

Shri Prakash Vir Shastri: Last year the Minister of Food and Agriculture had fixed the production target at 32 lakh tonnes, but the actual production was between 27 and 28 lakh tonnes. In view of the sugar-cane crop, the Minister of Food and Agriculture stated that the production this year would exceed than what was last year and it would even cross the fixed target. The Deputy Minister just said that the production would be 30 lakh tonnes whether this is not due to the fact that the prices of sugar-cane were less; and if so, what action is being taken by the Government?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जैसा कि मैंने पहले बताया 1 नवम्बर से 22 दिसम्बर में उत्पादन 1963–64 को इसी अवधि में हुए उत्पादन से लगभग 90,000 मीट्रिक टन अधिक हुआ है । 1960–61 में जब उत्पादन 30 लाख मीट्रिक टन हुआ था तो इसी अवधि में उत्पादन 16.5 लाख मीट्रिक टन हुआ था । वास्तव में इस वर्ष हमारा 19.1 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो चुका है । अतः इस वर्ष हमारा 30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की आशा है ।

मैं उत्पादन में कमी के बारे में सहमत हूं और यह मुख्यतः गुड़ और चीनी उत्पादन में होड़ के कारण है; गुड़ निर्माता उच्चतर मूल्य दे सकते हैं; और इसलिये गुड़ के लिये अधिक गन्ना काम में लाया जा रहा है । गुड़ में भी तो मिठास होता है और हमारी खपत के लिये यह उपलब्ध है ।

Shri Prakash Vir Shastri: Has any decision been taken for future so that the production of sugar during next year is not affected?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम्: हम ने इस वर्ष गन्ने का मूल्य 1.86 रुपये से बढ़ा कर 2 रुपये प्रति मन कर दिया है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Is it also one of the reasons for decline in sugar production that sugar-cane was not made available to mills for sometimes and during this period farmers had been asking for that very price for their sugar-cane from the mill-owners?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : एसा केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस अवधि के दौरान उत्पादन में कमी हुई थी परन्तु अब सामान्य उत्पादन हो रहा है ।

Shri Onkar Lal Berwa: Whenever control was imposed on a commodity, the more it went to the black market. When there is good production and also we have started exporting it, are the Government thinking of decontrolling it?

Mr. Speaker: It is a separate question.

Shri Bibhuti Mishra: Is it a fact that Bihar sugar mills are very old, and whether the Government would take any action to modernise them and to increase their crushing capacity so that there is maximum production of sugar in these mills?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : पुरानी मिलों को आधुनिकतम बनाने का कार्यक्रम है ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

Mr. Speaker: It is what he has said that there is a programme for what you want. They would do the same thing which you want.

श्री विभूति मिश्र : बिहार चीनी कारखानों के बारे में भी क्या कोई कार्यक्रम है ?

Mr. Speaker: Bihar is also within this Ministry.

श्री विभूति मिश्र : मैं विशेष रूप से बिहार के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जी हां, बिहार के लिये विशेष तौर से कार्यक्रम है ।

Shri Sheo Narayan: In order to have a good crop of sugar-cane whether the Government is giving subsidy to farmers for the next sowing season?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हम अर्थ सहायता नहीं दे सकते विशषतया जब इसका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होगा । यह अधिक उत्पादन का प्रश्न है और इसीलिए भूमि की उत्पादक क्षमता बढ़ाई जा रही है जिस से कम खर्च पर गन्ने का उत्पादन हो सके ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कारखाने कितने दिन बन्द रहे और उत्तर प्रदेश में चीनी के उत्पादन का लक्ष्य क्या था .

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रश्न में इतने प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें । यदि प्रत्येक राज्य के संबंध में प्रश्न पूछे गये तो मंत्री महोदय के लिये इनका उत्तर देना कठिन हो जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : परन्तु यह विवरण में दिया हुआ है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ कारखाने कुछ दिनों के लिये बन्द हो गये थे । पर जब यह कारखाने चल ही रहे थे, तो इन में से कई कारखाने, 2 से

3 सप्ताह तक पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे थे, परन्तु अब वे सामान्य स्थिति में चल रहे हैं। जहां तक सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, वर्ष 1963–64 में पहली नवम्बर से 22 फरवरी तक 8.26 लाख टन उत्पादन हुआ जब कि इसी अवधि में इस वर्ष 7.78 लाख टन उत्पादन हुआ ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को यह बताया है कि गन्ने का बीज दिन प्रतिदिन घटिया होता जा रहा रहा है और इस से उन राज्यों में चीनी के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और यदि यह सच है, तो बुवाई की ऋतु से पहले किसानों को नए और अच्छी प्रकार के बीज देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस सम्बन्ध में मेरे पास ब्यौरा तो नहीं है परन्तु हम उत्तर प्रदेश और बिहार को नये प्रकार के बीज दे रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : अभी मंत्री महोदय ने विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में हमारी आवश्यकता बताई और इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर चीनी निर्यात करने के कारण हम बहुत हानि उठा रहे हैं । जो धन हम प्रति वर्ष इस हानि में खो देते हैं क्या उस से काले बाजार से विदेशी मद्रा प्राप्त नहीं कर सकते ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री कपूर सिंह : यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मुझे काले बाजार के सम्बन्ध में कुछ नहीं पता । यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कुछ सूचना दें तो मैं इसकी जांच करूंगा ।

Shri Sarjoo Pandey: The hon. Minister told that the production of sugar could not be increased because sugar-cane has been diverted to the production of Gur. But our information is different. According to our information sugar-cane has been diverted to that side because of increased price being paid by the Khandsari industry and may I know whether is it a fact?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जब मैंने गुड़ कहा तो इस में खण्डसारी भी शामिल थी ।

Shri Bagri: Keeping in view the production of sugar, whether the Government is taking some decision to do away with the discrimination in allocating sugar to villages and cities, what steps are being taken to remove this difference of giving one kilogram of sugar per person in cities and 100 grams of sugar per person in villages?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गांवों और शहरों में चीनी के वितरण में भेद की ओर ध्यान दिला रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : यह भेद क्यों है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जैसे ही उत्पादन में वृद्धि होगी हम गांवों के कोटे में भी वृद्धि करेंगे ।

श्री कपूर सिंह : यह भेद अब क्यों है ? मंत्री महोदय ने प्रश्न को टाल दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि गांवों के लोग गुड़ का ही प्रयोग कर सकते हैं ।

श्री दे० द० पुरी : यह बताया गया है कि देश में 25 लाख टन चीनी की खपत होती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आंकड़े सामान्य खपत है अथवा नियंत्रण लागू करने के कारण यह खपत कम कर दी गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं मानता हूं कि यदि अधिक मात्रा में चीनी उपलब्ध होगी तो खपत भी अधिक होगी । यह कम खपत है ।

श्री दी० चं० शर्मा : विवरण से यह पता चलता है कि राज्यों में चीनी के उत्पादन में बहुत अन्तर है । एक राज्य में **778,000** टन उत्पादन होता है तो दूसरे राज्य में **2,000** टन उत्पादन होता है । क्या चीनी के उत्पादन को सुव्यवस्थित करने की कोई योजना है जिससे इसकी खपत में भी वृद्धि हो और राज्यों के उत्पादन में अन्तर जितना कम हो सके उतना कर दिया जाय ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : ऐतिहासिक दृष्टि से, सब से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी के कारखाने स्थापित हुए और यह राज्य चीनी के उलपादन में सब से आगे है । हम ने विभिन्न राज्यों में चीनी के उत्पादन की सम्भावना पर विचार किया है । उदाहरण के तौर पर आसाम में केवल 2,000 टन उत्पादन होता है क्योंकि मिट्टी और जलवायु के कारण वहां गन्ने की पैदावार बहुत कम होती है । इसको भी हमें दृष्टि में रखना होगा । परन्तु नये लाइसेंस देते समय हम कुछ प्रादेशिक संतुलन रख रहे हैं ।

श्री सोलंकी : कई विशेषज्ञों ने चुकंदर से चीनी बनाने का सुझाव दिया है । क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : चुकन्दर से चीनी बनाने की सम्भावना पर हमने एक मुख्य परियोजना बनाई है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को जो चीनी केन्द्र सरकार से मिलती है उसका वितरण वह स्वयं करती है, और यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उचित मूल्य की दुकानों द्वारा चीनी वितरण के अतिरिक्त काफी मात्रा में चीनी काले बाजार में चली जाती है, और यदि हां, तो सरकार चीनी को काले बाजार में जाने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : वितरण राज्य सरकारों द्वारा ही होता है और हम ने उन से अनुरोध किया है कि चीनी को काले बाजार में जाने से रोकने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायें; परन्तु इस के बावजूद मैं मानता हूं कि बहुत मात्रा में चीनी काले बाजार में जा रही है और हम इसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : देश में चीनी की बढ़ती हुई खपत और बाहर से इसकी मांग को को देखते हुए, गन्ने में मिठास की मात्रा बढ़ाने के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : अधिक मिठास वाले नये प्रकार के गन्नों का हम विकास कर रहे हैं।

खाद्यान्नों के मूल्य

†198. {
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जं० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री विश्व नाथ राय :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री प० ह० भील :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री सरजू पांडेय :
श्री हेम राम :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री अब्दुल गनी गोनी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
महाराजकुमार विजय [illegible]
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :

श्री गुलशन :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री कोया :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1964 की अपेक्षा 1 जनवरी, 1965 को गेहूं (आयात किया हुआ और देशी) चावल, दालों, घी, और खाद्य तेलों, जिन में वनस्पति घी भी शामिल है, के मूल्य कम थे या अधिक ;

(ख) 1 जनवरी, 1964 से 1 जनवरी, 1965 तक पूरे वर्ष में इन में से प्रत्येक वस्तु के भाव में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी ; और

(ग) खाद्यान्नों के भाव कम करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). जनवरी, 1965 के पहले सप्ताह में और 1964 की उसी अवधि में गेहूं चावल, दालें, घी, खाद्य तेल और वनस्पति घी के थोक भावों के अखिल भारतीय सूचकांकों की तुलना और 1964 से 1965 में भावों के सूचकांकों में वृद्धि की प्रतिशत बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) भावों में स्थिरता लाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कुछ और महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

(1) धान के सांविधिक अधिकतम भावों का निर्धारण जिन पर ऐसे स्टाक मांगे जा सकेंगे ;

(2) चावल के अधिकतम थोक और खुदरा भावों का निर्धारण ;

(3) खाद्यान्नों का आयात बढ़ाना और केन्द्रीय स्टाक से खाद्यान्नों की अधिक मात्रा का वितरण करना ;

(4) कलकत्ता में सांविधिक राशन व्यवस्था और केरल में अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू करना ;

(5) खाद्यान्नों पर दी जाने वाली बैंक पेशगियों पर प्रतिबन्धों को कड़ा करना ।

(6) केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तन मशीनरी स्थापित करना ;

(7) संचय निरोधी उपाय जारी करना तथा संक्षिप्त विचारण लागू करना और खाद्य कानूनों का उल्लंघन करने वालों के लिए तथा सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार के उल्लंघन करने के लिए उकसावा देने पर कठोर दण्ड देने।

विवरण

गेहूं, चावल, दालें, घी खाद्य तेलों और वनस्पति घी का जनवरी, 65 में थोक भावों का अखिल भारतीय सूचकांक जनवरी, 64 के मुकाबले में।

(आधार–1952–53–100)

वस्तु	भाव 1965 2–1–65	सूचकांक 1964 4–1–65	1964 से 1965 में बढ़ोतरी की प्रतिशत
चावल .	127.3	119.6	6.4
गेहूं .	155.5	111.2	39.8
दालें .	204.9	125.2	63.7
घी .	155.1	125.3	23.8
मूंगफली का तेल	176.3	126.7	39.4
तिल का तेल	193.4	140.9	37.3
सरसों का तेल	353.7	172.8	104.7
वनस्पति .	165.9	142.5	16.4

श्री प्र० चं० बरुआ : अनाजों के मूल्यों के बढ़ने का एक कारण जमाखोरी है और इसको रोकने के लिए सरकार ने खाद्यान्न सम्बन्धी अपराधों के मुकदमें तुरंत निबटाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। क्या यह सच है कि ऐसी अधिसूचना के ना होने के कारण जिसमें इन अपराधों का उल्लेख हो, अध्यादेश अभी लागू नहीं किया गया।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : यह ठीक नहीं है। इस पर एक अलग प्रश्न है और उसी में प्रश्न का उत्तर देते समय मैं यह सूचना दूंगा। हमने अधिसूचना जारी कर दी है।

श्री प्र० चं० बरुआ : अध्यादेश के प्रख्यापन के कितने मास पश्चात् अधिसूचना जारी की गई थी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : 24 दिसम्बर, को अधिनियम लागू हुआ और उसी दिन अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से यह पता चलता है कि चावल, गेहूं, दालें, घी आदि पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हुई है (मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूं) और सरसों के तेल मूल्य 6.4 से 104.7 प्रतिशत तक बढ़े हैं। क्या इन उपायों से मूल्यों में कुछ कमी हुई है अथवा कमी होने की आशा है यदि नहीं, तो अनाज और आवश्यक पदार्थों में राज्य व्यापार लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक सरसों के तेल का सम्बन्ध है, अधिक उत्पादन के कारण उसके भाव गिरने आरम्भ हो गये हैं। इसी प्रकार मूंगफली के तेल और सभी खाद्य तेलों के मूल्यों की प्रवृत्ति नीचे गिरने की है।

जहां तक चावल का सम्बन्ध है, वृद्धि बहुत कम हुई है और हमने सांविधिक मूल्य निश्चित कर दिये हैं, विशेषतया दक्षिण जोन में जहां अधिकतम निश्चित किये हुए मूल्यों के स्तर पर मूल्य स्थिर हैं।

जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, हम संकट काल से गुज़र रहे हैं। परन्तु इसके बावजूद जनवरी की तुलना में फरवरी के मूल्य 7 प्वाइंट नीचे गिर गये हैं, 155 से 148 तक।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य व्यापार आरम्भ किया जायेगा।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इसी लिये खाद्य निगम स्थापित किया गया है।

Shri Yashpal Singh: May I know the place the prices of which have been taken as basis in preparing this statement. These prices relate to Delhi, Ballia or Basti, Gorakhpur. While preparing the statement has this been also kept in mind that at Gorakhpur wheat is not available even at Rs. 40 per maund and what are the steps Government is taking to ease this situation.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह पूरे भारत के औसत मूल्य हैं :

Shri Yashpal Singh: What steps are being taken to improve the situation in the places mentioned by me.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उस समय जब कि चावल की फसल न केवल बहुत अच्छी हुई है बल्कि फसल मण्डी में भी आ गई है, चावल के मूल्य देशनांक से यह पता चलता है कि 2 जनवरी को पिछले वर्ष भी इस वर्ष 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं यह जानना चाहती हूं कि दो अच्छी फसलों के बाद भी यह स्थिति क्यों है और क्या इससे स्पष्ट नहीं है कि खाद्यान्नों का राज्य व्यापार होना चाहिये जिसको बिना भावों का गिरना असंभव है चाहे कितनी ही अच्छी फसल क्यों न हो ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : राज्य व्यापार की आवश्यकता बताने के लिए यह तर्क आवश्यक नहीं है। 1964 में अप्रैल से चावल के मूल्य एकदम बढने शुरू हो गये थे, विशेषतया मई और जून में। उस समय हम उत्पादक और उपभोक्ता के भाव निश्चित करना चाहते थे और इसके लिये झा समिति नियुक्त की गई थी। उन्होंने 1964 के भावों के औसत लेकर उसके आधार पर भाव निश्चित कर दिये। क्योंकि अब उत्पादनों को लाभदायक मूल्य मिलने की आशा है विशेषतया फसलोपरान्त मूल्यों के कारण इसीलिए मूल्यों में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : विवरण से यह पता चलता है कि दालों, सरसों के तेल और गेहूं के मूल्यों में अपूर्व और असामान्य वृद्धि हुई है। क्या सरकार के विचार से यह इस कारण हुआ है कि राज्य सरकारों ने समाहार करने की नीति को कार्यान्वित नहीं किया था उन्होंने स्वयं किसानों को जमाखोरी करने का प्रोत्साहन दिया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मेरे विचार से राज्य सरकारों ने किसानों को जमाखोरी करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। माननीय सदस्यों को पता होगा कि मूंगफली, सरसों और खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों के उत्पादन में कमी रही है। उसी प्रकार दालों के उत्पादन में भी कमी रही है। इसी लिए मूल्य बहुत बढ़ गये थे। दो वर्ष तक लगातार उत्पादन में कमी रही थी। भाग्यवश, रबी की फसल अच्छी होने की संभावना है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार के सामने दालों और सरसों के तेल के उत्पादन को बढ़ाने की कोई योजना है जिनका कि मूल्य, उन राज्यों में जिनमें इन उपयुक्त जल वायु के कारण पैदा किया जाता है, क्रमशः 63.7 और 104.7 प्रतिशत बढ़ गया था जिससे कि खाने पीने को इन वस्तुओं के मूल्य बढ़ने न पायें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक सरसों का प्रश्न है इस वर्ष भी उत्पादन काफी बढ़ा है, आशा है कि सरसों का उत्पादन अभूतपूर्व होगा। गत वर्ष और उससे पिछले वर्ष मौसम की खराबी के कारण दालों का उत्पादन कम हुआ। इस वर्ष उत्पादन काफी अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त, दालों की किस्म में सुधार के लिए हमारे पास विभिन्न अनुसन्धान योजनायें हैं ताकि वर्ष भर उत्पादन का स्तर अच्छा रहे।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या कोई दीर्घकालीन योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में दीर्घकालीन चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि किसानों को खाद्यान्नों के लिये दिये जाने वाले मूल्य अन्य व्यापारिक फसलों के लिए दिये जाने मूल्यों की अपेक्षा कैसा है ; और क्या ....

अध्यक्ष महोदय : दो क्या नहीं; एक समय में केवल एक ही क्या।

श्री रामेश्वर टांटिया : .... और क्या सरकार खाद्यान्नों की कीमतों का पुनरीक्षण करेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इसी प्रयोजन के लिए कृषि मूल्य आयोग है; वह खाद्यान्न और गै०-खाद्यान्न तथा कृषि और गैर-कृषि वस्तुओं की मूल्य समाहर्ता के प्रश्न की जांच कर रहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Is it a fact that foodgrains were not supplied in adequate quantities in big cities and all the efforts of Government were in vain? The present scheme of the Government to bring down the prices is formulated with a view to pay less to the cultivators.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह एक सामान्य प्रश्न है। जहां भी कमी होती है हम केन्द्रीय भंडार से अधिक से अधिक संभव मात्रा में देने का प्रयत्न करते हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad: Is it not a fact that the prices of several commodities have gone up and not come down despite the taking of four measures referred to just now? For example, the price of ghee which is supplied by Government at the Parliament Counter, has gone up. What are the reasons for this?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम् : हाल ही में कीमतें चढ़ना आरम्भ हो गई हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि खाद्य तेलों और सरसों के तेल के भाव गिर रहे हैं। यह देखते हुए कि मूल्यों में 104.7 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, इन खाद्य तेलों की कीमतों में कितनी गिरावट आई है ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम् : मैं इस समय का सही मूल्य तो नहीं बता सकता । यदि माननीय सदस्या चाहें तो मैं पता कर सकता हूं और उन्हें बता सकता हूं ।

Shri Bibhuti Mishra: Keeping in view the principle of demand and supply have Government considered to pay reasonable prices to the farmers of their commodities like paddy, rice, oil seeds and other commodities produced by them?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम् : जी, हां ; किसान को उचित मूल्य दिलाने के लिये ही हम ने कृषि मूल्य आयोग नियुक्त किया है; और मुझे आशा है कि उनकी सिफारिशें उत्पादकों के काफी ठीक होंगी ।

श्री हिम्मतसिंह जी : मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए अनाज के लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिये गये थे, और इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध मूल्यों में वृद्धि में तो कहां तक जिम्मेदार थे ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है जहां तक चावल का संबंध है हमने राज्यों में क्षेत्रीय पद्धति लागू की है जिससे कि बफर स्टाक बनाने के लिए चावल प्राप्त हो सके । जहां तक चावल के मूल्य का सम्बन्ध है हम यह नहीं कह सकते कि यह हमारे काबू में नहीं है । वास्तव में जो उच्चतम मूल्य निर्धारित किये गये हैं न्यूनाधिक अधिकांश राज्यों में वे ही मूल्य प्रचलित हैं ।

कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां कि कमी के कारण कीमतें बढ़ गई हों । जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है समूचा प्रश्न विचाराधीन है, और हमें आशा है कि अगले 2 या तीन सप्ताहों में निर्णय कर लिया जायेगा ।

श्री कपूर सिंह : दालों और सरसों के तेल के मूल्यों में क्रमशः 63.7 और 104.7 प्रतिशत वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम् : उत्पादन में कमी ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Is it not a fact that the prices of pure ghee have gone high because there is no ban on cattle slaughter?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम् : इसके विभिन्न कारण दिये जा सकते हैं, परन्तु गत वर्ष देश भर में दूध का उत्पादन कम था और इसी कारण देशी घी की कीमतें बढ़ गई हैं । दुर्भाग्य से गत वर्ष उत्पादन प्रत्येक क्षेत्र में कम था ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : कीमतों को रोकने में सरकार के उपाय क्यों अप्रभावशाल सिद्ध हुए हैं ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम् : यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री बजट की बहस में इस प्रश्न को लेंगे ।

श्री द० जी० नायक : हाल ही में जो कृषि खाद्यान्न मूल्य स्थापित किया गया है क्या उसमें किसानों के लिए किसी प्रतिनिधि को लिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जी नहीं। कृषि मूल्य आयोग में हमने सारे स्थान नहीं भरे हैं ; इस पहलू पर हम विचार कर रहे हैं।

खरीफ की फसल

\+

*199. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गत खरीफ की फसल में चावल तथा अन्य खाद्य सामग्री के उत्पादन के नवीनतम आंकड़े देने की स्थिति में है ; और

(ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कम हैं या अधिक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) अभी तक राज्यों से चावल तथा अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन के ठीक ठीक अनुमान प्राप्त नहीं हुए हैं। परन्तु संकेतों के अनुसार चावल का उत्पादन लगभग 385 लाख मीट्रिक टन होगा जबकि 1963–64 की अवधि में यह उत्पादन 365 लाख मीट्रिक टन था। ऐसे संकेत भी हैं कि अन्य खरीफ की खाद्यान्न फसलों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सम्भवत: १० लाख मीट्रिक टन अधिक होगा।

Shri Yashpal Singh: When the production has increased then what are the reasons for increase in prices?

Shri Shahnawaz Khan: There are many reasons for this. Some people say that certain persons are indulging in hoarding. Certain persons say that agriculturists are not bringing their produce in the market.

Shri Yashpal Singh: May I know the steps being taken by the Government to check such anti-national activities of hoarders?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : पहले प्रश्न के उत्तर में हमने किए गए सभी उपायों के बारे में बताया है।

अध्यक्ष महोदय : जमाखोरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : उन पर भारत प्रतिरक्षा नियमों को लागू किया जा रहा है ।

Shri M. L. Dwivedi: The Hon. Minister has just now said that he has not so far got figures of kharif crop. I want to know whether he has not got figures even pertaining to centrally administered states? If not, why not?

Shri Shahnawaz Khan: Generally figures are available at the end of February. It is hoped that we shall get all the figures within a period of four weeks.

Shri Bhagwat Jha Azad: The Hon. Minister has just now said that the increase in production is estimated to about 2 million tonnes and in the kharif crop this increase is estimated to be about 1 million tonne. I want to know the reasons for such less increase in production after so much labour and efforts of the Government. Had the Government tried to know the reasons for such less production after giving adequate help to the agriculturist? May I know whether efforts are being made to remove obstacles inthe way of production?

Shri Shahnawaz Khan: We want to remove those obstacles are doing so. For agriculturists irrigation facilities are being provided. They are also being given fertilisers, pesticides and loan.

Shri Bhagwat Jha Azad: But even then the production is not increasing.

Shri Naval Prabhakar: May I know the reasons for different prices prevailing in different states when the production of kharif crop is expected to be higher?

Shri Shahnawaz Khan: There are certain restrictions on the movement of foodgrains.

Shri D. N. Tiwary: It is said this year the rice crop is very good. May I know the reasons for increase in prices of rice in comparison to previous year's price? Last year the rice was available at 1 sr. 12 to 14 chhataks in a rupee at this we are getting only 1¼ srs.

An Hon. Member: Now weights are in kilos. Prices have not gone up.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जब अन्य सभी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं तो चावल के मूल्य कैसे बच सकते हैं । वास्तव में अब भी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कृषि मूल्यों के भाव औद्योगिक मूल्यों के समान नहीं बढ़े हैं ।

श्री रंगा : यह बात सच है ।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने बतलाया कि धान के उत्पादन में 20 लाख टन की वृद्धि हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्पादन में यह वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई है या देश में अधिक भूमि में खेती किए जाने के कारण ?

श्री शाहनवाज खां : यह वृद्धि कई कारणों से हुई है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या पहली और दूसरी योजना में जो प्रोत्साहन दिये गए थे, वे निरर्थक सिद्ध हुए और यदि हां, तो किसानों को अधिक उत्पादन के लिए और क्या प्रोत्साहन दिए जाएंगे ?

श्री शाहनवाज खां : कुछ भी निरर्थक नहीं रहा । लेकिन जैसा कि सभा को मालूम है, देश में खाद्यान्नों की खेती पर मौसम का बड़ा असर होता है । जब भी मौसम विपरीत हो जाता है, उत्पादन घट जाता है । लेकिन हमने जो प्रयत्न किए हैं उनसे अच्छा लाभ हो रहा है ।

Shri Bibhuti Mishra: Is it a fact that agricultural production is less due to the reason that prices of basic goods needed to increase production are more?

Shri Shahnawaz Khan: This is not so. Now the complaint is that prices of agricultural produce are more.

Shri Bibhuti Mishra: The hon. Minister himself is agriculturist of sugar-cane. May I know the income from that?

श्री रंगा : श्रीमान्, उपमंत्री और मंत्री के उत्तर भिन्न भिन्न हैं । एक का कहना है कि मूल्य अधिक नहीं हैं और उन्हें अधिक मूल्य दिए जाएं । दूसरे मंत्री का कहना है कि मूल्य बहुत अधिक हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जी, नहीं । मूल्य पहले ही अधिक हैं लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे उसी समानता से बढ़े हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस प्रकार वे चोर-बाजारी में प्रतिस्पर्धा करेंगे ।

Shri K. N. Tiwary: When the production of rice has increased by 2 million tonnes and prospects of other cereals are also better, then the reason for rise in prices is zonal and other controls. I want to know whether Government are considering over removing zonal control; if so, by when this will be removed?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं । इस वर्ष चावल पर से जोनल प्रतिबंध हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या खरीफ की फसल के लिए गेंहू के उत्पादक-मूल्य निर्धारित कर दिए गए हैं और सरकार को अगले वर्ष गेंहू के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : गेंहू के उत्पादन के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता । आशा है कि अगले वर्ष यह 1·15 से 1·20 लाख टन तक होगा । दो या तीन महीने हुए, उत्पादक मल्यों की घोषणा की जा चुकी है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : माननीय मंत्री, श्री हुमायून् कबिर ने अपने एक भाषण में सुझाव दिया था कि किसानों के हित के लिए खरीफ़ की फसल का बीमा किया जाए । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या फसल बीमा किया जा सकता है, हम पंजाब में एक बृहत कार्यक्रम बना रहे हैं और यदि बीमा किया जा सकता है तो इसका क्या तरीका होना चाहिए ।

Shri Sarjoo Pandey: The Hon. Minister has said that agriculturists are bringing less of their produce to the market and that is why foodgrains are available in lesser quantity in the market over after better kharif crop. May I know whether this is not due to the reason that Government have fixed less prices?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जी, नहीं । निर्धारित मूल्य पर्याप्त हैं लेकिन वे समझते हैं कि आगे चल कर दाम बढ़ेंगे । अतः जो भी जमा रख सकता है, जमा रखता है ताकि उन्हें अधिक मूल्य मिलें ।

श्री रंगा : किसान तो जमाखोर नहीं है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैंने कहा 'जमा रखता है ।'

Shri Tulsidas Jadhav: The Hon. Minister has just said that agriculturists are getting more prices. If it is true, why the agriculturists do not try to produce more?

Shri Shahnawaz Khan: These are trying their best.

Shri Tulsidas Jadhav: Then why there is shortage of foodgrains?

मतदान प्रक्रिया को सरल बनाना

+

*200. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने चुनाव व्यय पर नियंत्रण रखने, कदाचार समाप्त करने और मतदान प्रक्रिया को सरल करने के लिए एक संहिता बनाने के उद्देश्य से देश में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की हाल ही में एक बैठक बुलाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख) चुनाव आयोग ने देश के सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक नहीं बुलाई थी । किन्तु उस ने संसद में विभिन्न दलों के नेताओं की एक बैठक 12 सितम्बर, 1964 को बुलाई थी और उसमें चुनाव व्यय, कदाचार निवारण, मत-दान प्रक्रिया को सरल बनाने आदि से संबंधित साधारण महत्व के विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था । बैठक ने यह विनिश्चय किया कि दलों को चाहिए कि चुनाव आयोग को एक सविस्तार ज्ञापन भेजें जिसमें उन कतिपय प्रश्नों पर अपने मत प्रकट करें जिन पर बैठक में विचार-विमर्श हुआ था । चुनाव आयोग, भिन्न भिन्न दलों से ज्ञापन प्राप्त होने पर, उनके द्वारा व्यक्त मतों पर विचार करेगा और यदि उसकी कोई सिफारिशें हुई तो उन्हें भारत सरकार को भेजेगा ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने सितम्बर या अक्तूबर में विशेषज्ञों का एक दल निर्वाचन व्यवस्था का अध्ययन करने और निर्वाचन व्यय को कम से कम रखने के तरीके का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन भेजा था। यदि हां, तो क्या हम जान सकते हैं कि क्या उस विशेषज्ञ दल ने वहां कोई लाभदायक बात सीखी क्या उनमें से किसी प्रक्रिया को इस देश में भी अपनाया जाएगा ?

श्री जगन्नाथ राव : निर्वाचन आयोग ने ब्रिटेन में निर्वाचन का अध्ययन करने के लिए अपना एक दल भेजा था। ब्रिटेन में निर्वाचन प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है और हम उन्हें अपने देश में लागू नहीं कर सकते ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आपने यह दल क्यों भेजा था ?

श्री जगन्नाथ राव : सीखने के लिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह सीखने के लिए कि उनकी प्रक्रिया भिन्न है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या निर्वाचन आयोग को और सरकार को कहीं से यह सुझाव मिला है कि निर्वाचन के समय मोटर कारों का बेकार और अत्यधिक इस्तेमाल रोकने के लिए भविष्य में मतदान केन्द्र मूल रूप से ग्राम पंचायतों में बनाए जाएं ।

श्री जगन्नाथ राव : एक यह भी प्रस्ताव है ।

Shri Yashpal Singh: Always it is said that expenses should be reduced to minimum. Have the Election Commission thought over it that candidates should not be allowed to use motor cars as if motor cars are not used, the expenses on election would automatically go down? Is there any proposal to put restriction on the use of motor cars?

Mr. Speaker: Even horses are less in this country.

Shri Yashpal Singh: People should go on foot.

श्री जगन्नाथ राव : निर्वाचन आयोग संसद् में विभिन्न दलों के नेताओं के विचार जानना चाहता है। लेकिन इनके विचारों में कोई समानता नहीं है। कुछ सदस्यों का सुझाव है कि केवल एक ही कार इस्तेमाल की जाए और कुछ अन्य सदस्यों का सुझाव है कि इसको प्रति विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक कार और एक अतिरिक्त कार तक सीमित कर दिया जाए ।

Shri M. L. Dwivedi: The Hon. Minister said that leaders of opposition groups in Parliament were invited but they have not so far given any memorandum. I want to know whether the Election Commission have prepared any proposal of their ownself so as to make amendments in this law; if so, the nature thereof; if not, why the Election Commission is sitting idle.

श्री जगन्नाथ राव : जैसा मैंने बताया, निर्वाचन आयुवत संसद में विभिन्न दलों के नेताओं के विचार जानना चाहता था। यदि उसे कोई विचार नहीं मिले तो निश्चय ही वह स्वयं कोई निर्णय करेगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad: It is true that views of different groups were invited. But whether the Election Commission have given their own views on the experience of last three general elections for the consideration by other persons in addition to these groups?

Shri M. L. Dwivedi: I also asked this question but the Hon. Minister did not want to answer.

श्री जगन्नाथ राव : निर्वाचन आयोग के अपने कुछ विचार हैं। लेकिन यह कोई निर्णय करने से पूर्व संसद में विभिन्न दलों के नेताओं के विचार जानना चाहता था।

Shri Bagwat Jha Azad: Have they not learned anything from the experience of the last three general elections? If learned, what is that?

श्री जगन्नाथ राव : निर्वाचन आयोग को पिछले तीन सामान्य निर्वाचनों का अनुभव है। लेकिन वे राजनीतिक दलों के विचार जानना चाहते थे।

श्री भागवत झा आजाद : उनके विचार क्या हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : कुछ समय बाद आपको पता लग जाएगा।

श्री दी० चं० शर्मा : इस प्रश्न पर पिछले 13 वर्षों से विचार किया जा रहा है और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि निर्वाचन आयोग से अक्सर मिलते रहते हैं। इस प्रश्न पर इतने समय से विचार किये जाने के बावजूद, क्या हम यह समझें कि निर्वाचनों पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए सरकार के अपने कोई सुझाव नहीं हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : इस बारे में चार प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं। एक मत यह है कि निर्वाचन सम्बन्धी व्यय कम किए जाएं। दूसरा मत यह है कि इसको वर्तमान स्तर पर ही रखा जाए। तीसरा मत यह है कि इसमें और वृद्धि की जाए। चौथा मत यह है कि निर्वाचन सम्बन्धी व्यय पर कोई प्रतिबन्ध न हो। अतः इस बारे में किसी निश्चय पर पहुंचना राजनीतिक दलों का काम है।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ऐसे राजनीतिक दलों पर, जिन्होंने अपने नाम साम्प्रदायिक रख लिए हैं, प्रतिबन्ध लगाएगी ?

श्री जगन्नाथ राव : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या निर्वाचन आयोग ने कोई प्रतिवेदन दिया है जिसमें वर्तमान पद्धति की त्रुटियों के बारे में बताया है और सुधार के बारे में सुझाव दिए हैं ? यदि नहीं, तो एक दल ब्रिटेन भेजने का क्या कारण था जब कि इस देश में सीखी बातों को यहां लागू नहीं किया जा सकता ?

श्री जगन्नाथ राव : यह दल भारत सरकार ने नहीं भेजा था। ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेन में निर्वाचनों का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजने का अनुरोध किया था। इसका व्यय उस सरकार ने वहन किया।

Shri M. L. Dwivedi: Sir, I have asked about the report of the Election Commission but no answer is given.

Services of Air-India

\+

201. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:
Shri Yashpal Singh:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Prakash Vir Shastri:

Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the steps being taken to increase the number of existing services of Air-India;

(b) the routes which are giving profit and the routes which are running at a loss; and

(c) the measures being taken to meet the competition in the Air-India services to U.S.A?

The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo): (a) to (c). I lay on the table of the Sabha a statement giving the requisite information.

Statement

(a) Air India plans to purchase 5 subsonic aircraft in the Fourth Plan period to meet the requirements of traffic growth. They have also one aircraft on order which is expected to be received by the middle of March, 1965.

(b) The routes at present operated by Air India are:

India/UK/USA
India/USSR/UK
India/East Africa
India/Japan
India/Australia/Fiji
India/Indonesia

All these routes, except India/Indonesia, are operated at a profit. A set back has been experienced on India/Indonesia route due to political instability in the South-East Area, in recent times.

(c) Negotiations were successfully concluded recently with the U.S.A. as a result of which Air-India now operates a daily frequency between London and New York on a year-round basis which has improved its competitive position. The sales organisation and efforts are constantly reviewed and strengthened.

Shri M. L. Dwivedi: In the statement it is said that our frequency in U.S.A. has improved in its competitive position. My question was "whether we have started earning profit on the services operated in U.S.A., if not, the loss being suffered in comparison to other services?"

Shri Kanungo: In answer to (b) it was said that six services are being operated. There is profit on all routes, except one.

Shri M. L. Dwivedi: I have asked about U.S.

Mr. Speaker: He has said that except India/Indonesia route, all routes are giving profit.

Shri M. L. Dwivedi: I have asked about competitive figures. Are we getting more profit or less on our services to U.K. and America on a comparison point of view?

Shri Kanungo: This cannot be compared. Routes are different. Distance is long. But our services are giving profit.

Shri M. L. Dwivedi: Five supersonic aircraft are being purchased. One more is expected to reach shortly. I want to know the names of countries from whom these are being purchased and the prices thereof?

Shri Kanungo: Boeings are purchased from America. I am not in a position to give figures of the price.

श्री स० चं० सामन्त : पिछले वर्ष कितने मार्गों का सर्वेक्षण किया गया और कितनों पर प्रयोगात्मक सेवाएं चालू की गयीं ?

श्री कानूनगो : पिछले वर्ष मास्को के रास्ते दिल्ली-लन्दन मार्ग का और अमरीका को एक और सेवा का काम शुरू किया और फ़िजी को नयी सेवा चालू की गयी । सर्वेक्षणप्तो हमेशा होता है और इसके विस्तार की भी योजनाएं हैं । लेकिन वह विमानों की उपलब्धता और यात्रियों की संभावना पर निर्भर करता है ?

Shri Yashpal Singh: May I know the steps being taken by the Government to meet the loss being suffered on India—Indonesia route?

Shri Kanungo: The Government cannot do anything in this respect. दक्षिण-पूर्व एशिया में अनिश्चितता की स्थिति रही है । अत: यात्री कम आ जा रहे हैं ।

Conflict between Allahabad High Court and U.P. Legislature

+

*202. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Naval Prabhakar:
Shri Yashpal Singh:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri R. S. Tiwary:
Shri D. C. Sharma:
Shri P. R. Chakraverti:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri P. C. Borooah:
Shri Sudhansu Das:
Shri Hem Barua:
Shri D. N. Tiwary:
Shri J. B. S. Bist:
Dr. L. N. Singhvi:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Hem Raj:
Shri Manish P. Patel:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri P. K. Deo:
Shri Kapur Singh:
Shri P. K. Ghosh:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri H. V. Koujalgi:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 280 on the 1st December, 1964 and state:

(a) whether Government have come to a decision on the opinion by the Supreme Court on the jurisdictional conflict between Allahabad High Court and the U.P. Legislature;

(b) whether Government have also seen the resolution passed by the Conference of Presiding Officers of Legislatures held at Bombay during January last; and

(c) if so, whether Government propose to make amendment in the Constitution?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) to (c). The Government has not come to any decision yet. The Minister for Parliamentary Affairs is having consultations with representatives of the various groups in Parliament with a view to arriving at an agreed decision on the matter. The Government is aware of the resolution passed by the Conference of Presiding Officers of Legislatures held at Bombay and it will be taken into consideration.

Shri Prakash Vir Shastri: During the last Session of Parliament, when this matter was adequately considered, the Hon. Minister of Parliamentary Affairs declared that the Government would take some decision after the proposed conference of Presiding Officers of Legislatures. The said conference is over and they have already given their decision. I want to know the difficulties in the way of Government for taking a decision and by when they would take some decision?

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): We have to take your opinion also.

Shri Prakash Vir Shastri: I have one point of order.

Mr. Speaker: He said that they have got the opinions of the presiding officers but they want to take your opinion also.

Shri Prakash Vir Shastri: May I know the reaction of the Ministry of Law on the conference held of presiding officers of Legislatures in Bombay and the resolution passed by them?

श्री जगन्नाथ राव : प्रतिक्रिया तो धीमी हो होनी चाहिए । यह बड़ा कठिन और पेचीदा सवाल है । हमें इस में बड़ी सावधानी बरतनी है ।

Shri Prakash Vir Shastri: What does it mean?

Mr. Speaker: This means that so far they have not taken any decision.

Shri Prakash Vir Shastri: This also means that the Government are under some pressure and so are not taking any independent decision.

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): This is opinion of the House.

Shri Bhagwat Jha Azad: The opinion of the House is very clear.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि विधि मंत्री और अन्य प्रमुख विधिवेत्ताओं के अनुसार, जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और विधान मंडल के कार्यों के बीच कोई विवाद नहीं है और संविधान में कोई संशोधन करने का प्रयत्न करना

जनता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करना होगा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और संविधान में संशोधन न करने का फैसला किया है ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार का कहना है कि उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है । लेकिन श्री बनर्जी यह चाहते हैं कि वह यह कहें कि क्या उन्होंने संविधान में संशोधन करने का फसला कर लिया है । संविधान में संशोधन न करने का मतलब भी फैसला कर लेना है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा अनुरोध है कि अध्यक्षों के सम्मेलन के बाद . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य की बात समझ गया हूं । उन्होंने यह पूछा है कि क्या व्यक्त की गयी राय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संविधान में संशोधन न करने का फैसला कर लिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्योंकि मुझे पता लगा है कि सरकार पर प्रभाव डाला गया है . . .

अध्यक्ष महोदय : सरकार का कहना है कि उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है और जब वे ऐसा कहते हैं तो मुझे मानना पड़ता है कि उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : अथवा सरकार कोई फैसला करेगी ही नहीं ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : बम्बई में हुए अध्यक्षों के सम्मेलन के आह्वान पर संविधान में संशोधन करने के इस मामले पर संसद् सदस्यों से सरकार किस प्रकार और कब तक परामर्श करेगी ?

श्री स० मो० बनर्जी : इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री जगन्नाथ राव : इस प्रश्न के कई बातें हैं। हमें संविधान मंडल और न्याय-पालिका के बीच एक समझौते का सा मार्ग ढूंढना है । हम जो भी निर्णय करें, हमें विधान-मण्डलों के गौरव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और क्षेत्राधिकार और प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता पर ध्यान देना होगा । अतः हमें इस मामले में धीरे धीरे चलना है ।

Shri M. L. Dwivedi: I have one point of order. . . . (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : सरकार धीरे चलना चाहती है । अतः सदस्य तेजी से न दौड़ें ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । उपमंत्री महोदय का उत्तर बड़ा व्यापक है । मैं यह जानना चाहता था कि इस बारे में संसद् सदस्यों से किस प्रकार और कब तक आगे परामर्श लिया जाएगा ? मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि सरकार किस गति से कार्रवाई करना चाहती है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : पिछले सत्र में मैं ने एक बैठक बुलाई थी। मैं फिर सदस्यों की एक बैठक बुलाने के बारे में सोच रहा हूं । लेकिन इस के अतिरिक्त श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा है कि माननीय सदस्य अनियत दिन वाले प्रस्ताव पर विचार करना चाहते हैं। वित्तीय कार्यक्रम अधिक रहने के बावजूद भी मैं सरकार की ओर से इस बात पर सहमत हूं कि इस पर सभा में विचार के लिए समय मिल सकेगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad: Is it known to this lazy Government that the people are against the propaganda being carried on by some judges of the country indirectly and by lawyers directly to convert the legislatures into their subordinate courts. . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : उसे इस कथन को वापिस लेना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । जब दूसरों के अधिकारों का संरक्षण करना हमारी ज़िम्मेदारी है, तो हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये और यह देखना चाहिये कि किसी को शिकायत अथवा कोई कष्ट तो नहीं है । यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें यह सिद्ध करना चाहिये कि हमारा विश्वास किया जाना चाहिए । हम इन सभी विशेषाधिकारों का दावा कर सकते हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा ....

श्री स० मो० बनर्जी : इसी प्रकार तो विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

Shri Bhagwat Jha Azad: Whenever they speak, it is for the worse.

अध्यक्ष महोदय : न्यायपालिका पर कोई आक्षेप न लगाया जाय ।

Shri Bhagwat Jha Azad: Are the Government aware that the people of India are against the proposal which is being made by a handful persons of an organised group, that the rights of the legislatures *vis-a-vis* those of Supreme Court be curtailed and whether it is also known to the Government that the opinion expressed by the Presiding Officers' Conference is getting support from all quarters of the country? If so, what steps are going to be taken by the Government?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

अध्यक्ष महोदय : राय अलग अलग हो सकती है । एक इस दृष्टिकोण को ठीक कहेगा तो दूसरा प्रतिकूल दृष्टिकोण को ठीक कहेगा ।

श्री सोलंकी : यह निर्णय मुट्ठी भर लोगों का नहीं है किन्तु एक राष्ट्रीय निर्णय है ।

श्री जगन्नाथ राव : इस प्रश्न को शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक हल करना चाहिये। उस में आवेश और क्रोध में नहीं आना चाहिये। हम इस मामले पर इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं । अतः हमें धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिये ।

श्री भगवत झा आजाद : फिर एक उपदेश ।

Shri Ram Sewak Yadav: This whole dispute relates to the question of privileges as given in the Articles of the Constitution, it has also been mentioned therein that the privileges of the legislatures

would be the same as are enjoyed by the British Parliament. Is it not disrespect to the Constitution of India? I would like to know whether an amendment to this effect would be carried out?

Mr. Speaker: The question has been raised a number of times. It is mentioned in it. If it is disrespect, it is, if not, it is not. This question cannot be raised now.

Shri Ram Sewak Yadav: I rise on a point of order.

Shri M. L. Dwivedi: I had raised a point of order first, but it has been left.

Mr. Speaker: He has asked a question.

Shri M. L. Dwivedi: I had also raised it on a question.

अध्यक्ष महोदय : मैं एक समय एक को ही सुन सकता हूं, दो को नहीं।

Shri Ram Sewak Yadav: Mr. Speaker, this whole discussion is going on the question of privilege and there is a move for amending the Constitution. The privileges of the House of Commons are also mentioned in it, then how it is related to that.

Shri M. L. Dwivedi: I would like to say that there should be a full fledged Minister to answer such important questions. But the full-fledged Ministers are often absent on such occasions. Have you got any information about it or have your permission been sought that the Minister concerned would not be able to be present here. I would like to have your ruling on it.

Mr. Speaker: With reference to the ruling which has been sought, I would like to say in the first instance that when I had stated that there would be holidays on Saturdays and Sundays, I meant that the Ministers could go out on Fridays but they must remain here during Mondays to Fridays and specially during this period they had more time at their disposal. There is no doubt that there was no holiday on this Saturday but they could remain absent on that day also when the budget was presented. The final decision, however, rests with the Cabinet and it is for the Prime Minister to see, but I would like that there should be no complaint to this effect that the Minister concerned is absent unless there is some urgent work. This was agreed to by the Ministers as far as I think. I hope, more attention would be paid to this matter in future.

The second point of order has been raised by Shri Yadav. But that does not arise. Even if there was any question of disrespect, it could not be raised during question hour.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पर्यटन विकास निगम

*203. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री हेडा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दलजीत सिंह :
श्री श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार का विचार देश में पर्यटन के विकास के लिये दो निगम स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन के कब तक स्थापित होने की सम्भावना है ; और

(ग) इन नियमों की स्थापना से सरकार को भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). सरकार ने पहले ही 21 जनवरी, 1965 से भारत पर्यटन होटल निगम स्थापित कर दिया है । एक अन्य निगम अर्थात् भारत पर्यटन निगम शीघ्र ही बनाया जायेगा ।

(ग) ये नियम पर्यटक यातायात की कुछ कठिनाइयों को दूर करेंगे और इस प्रकार भारत में पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने में सहायता करेंगे । लेकिन यह बताना अभी सम्भव नहीं है कि इस से कितना लाभ होगा ।

हलदिया बन्दरगाह

*204. **श्री प्रभात कार :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ज० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री स० ला० द्विवेदी :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हलदिया को कलकत्ता बन्दरगाह की सहायक बन्दरगाह बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस पर केन्द्रीय सरकार ने अब तक कुल कितना धन व्यय किया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों के सलाहकारी इंजीनियरों और पोर्ट आफ लंदन अथोरिटी के विशेषज्ञों के परामर्श में हल्दिया पर नयी डाक पद्धति के विकास के लिये एक मास्टर योजना तैयार की गयी है । यह योजना सिद्धांततः विश्व बैंक द्वारा मंजूर कर ली गयी है । कमिश्नरों के हाड्रोलिक अध्ययन विभाग में इस परियोजना से सम्बन्धित कुछ द्रविक अध्ययन किये थे । किये गये अध्ययनों से विश्व बैंक को तुष्टि है और इस में यह सलाह दी है कि निर्माण कार्य में और अध्ययन करने के कारण देर न की जाये। कमिश्नरों के निवेदन करने पर पश्चिमी बंगाल सरकार ने हल्दिया पर 9.373 वर्ग मील भूमि के क्रमिक अधिग्रहण के लिये कार्यवाही शुरू कर दी है । अब तक 4.6 वर्ग मील भूमि अधिग्रहण कर ली गयी है । परंतु इस में से वासभूमि के टुकड़ों (होम स्टेड पाकेट्स) का अभी कब्जा नहीं लिया गया है । जिन विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है उनके विस्तृत आयोजन में काफी प्रगति की गयी है ।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने रेलवे लाइन के लिये भूमि अधिग्रहण कर ली है और वह दक्षिण पूर्वी रेलवे को सौंप दी गयी है । पंचकुरा और हल्दिया के बीच की मौजूदा सड़क को जो निर्माण सम्बन्धी सामान के परिवहन करने में प्रयुक्त होंगी, पश्चिमी बंगाल सरकार ने टामलुक सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है । पश्चिमी बंगाल सरकार ने हल्दिया को मिलाने वाले राष्ट्रीय मुख्य मार्ग और राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 6 के प्रारम्भिक कार्य भी शुरू कर दिये हैं। नयी डाक पद्धति तथा इस क्षेत्र के आस पास स्थापित किये जाने वाले उद्योगों की शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार ने कोलाघाट से विद्युत् जाल को हल्दिया तक बढ़ाने के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर दिया है । जल वितरण के प्रबन्ध के लिये भी योजना बनायी जा रही है ।

बड़े इंजीनियरी कार्यों के लिये टेंडर कागज तैयार किये जा रहे हैं और उन के शीघ्र तैयार होने की संभावना है ।

(ख) 31 जनवरी, 1965 तक कलकता पत्तन कमिश्नरों ने कुल 167.5 लाख रूपये व्यय किये हैं ।

चावल और गेहूं के मूल्य

*205. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उचित मूल्य वाली दुकानों पर बिकने वाले चावल का मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य में प्रति क्विंटल कितनी वृद्धि की जायेगी तथा कब से ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न राज्यों में, किस्म के अनुसार, चावल के निर्गम भावों में 9.13 रु० से 26.42 रु० प्रति क्विन्टल की वृद्धि की गयी थी । भारत सरकार ने पहली जनवरी, 1965 से मोटे चावल के भाव में वृद्धि की थी जबकि बढ़िया किस्मों के चावल के भावों में 2 जनवरी, 1965 से वृद्धि की गयी ।

असैनिक विमान चालक

*206. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामनाथन चेट्टियार :
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री हेडा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के प्रत्येक वर्ष में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये कितने विमान चालकों की अनुमानित आवश्यकता थी ;

(ख) आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाये गये ;

(ग) कुछ सेवाओं को स्थगित करने के क्या कारण थे जब कि विमान चालक पूरे समय काम नहीं कर रहे हैं ;

(घ) विमानों की खरीद तथा विभिन्न सेवाएं चालू करते समय विमान-चालकों की उपलब्धता का किस प्रकार समन्वय किया गया ; और

(ङ) दोनों निगमों को चालू वर्ष में विमान चालकों की कमी के कारण अपनी सेवाओं को स्थगित करने के फलस्वरूप कितनी हानि हुई ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ङ). मैं सभा की मेज पर एक विवरण रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया---देखिए संख्या एल० टी० 3882/65]** ।

एयर इण्डिया की मास्को-लन्दन विमान सेवाएं

*207. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वा० बा० गान्धी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार एयर इंडिया को मास्को से लन्दन और लन्दन से मास्को यात्री लाने की अनुमति न देकर उसके विरुद्ध अपनी भेदभाव की नीति पर चल रही है ;

(ख) क्या पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स की सेवायें उस मार्ग पर चल रही हैं जिस पर एयर इंडिया की सेवाओं के लिए अनुमति नहीं दी गई है ;

(ग) क्या सरकार ने भेदभाव दूर कराने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). किसी भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है । इस प्रकार के मामलों में द्विपक्षीय बातचीतों द्वारा समझौता किया जाता है । इन बातचीतों के दौरान, ब्रिटिश सरकार एयर इंडिया को वही सुविधाएं देने को तैयार थी जो उसने पाकिस्तान इटरनेशनल एयरलाइन्स को लन्दन-मास्को मार्ग पर दी थी, लेकिन यह व्यवस्था एयर इंडिया के लिए उपयुक्त नहीं थी क्योंकि बीच में एक स्टाप के कारण अधिक तेज और एक सीधी सेवा का लाभ नहीं मिल पाता । बी० ओ० ए० सी० के साथ अपने पूल प्रबन्धों को ध्यान में रखते हुए हमें स्वभावत: निराशा हुई है कि हमारी जरूरतों को महसूस नहीं किया गया, लेकिन हमें उम्मीद है कि मामले पर आगे विचार करने पर ब्रिटिश सरकार का रुख नर्म हो जायेगा ।

(ग) जी हां। नागर विमानन के सचिव ने यू० के० में नागर विमानन के मंत्री और स्थायी सचिव से इस मामले पर बातचीत की और इन बातचीतों के अनुसार हमने करार में की गयी व्यवस्था के मुताबिक हाल ही में इन पाबन्दियों पर फिर से विचार करने की मांग की है।

(घ) ब्रिटिश सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली दुग्ध योजना

*208. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा कुशलता के लिए दिल्ली दुग्ध योजना को लिमिटेड समवाय बनाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उसके कब तक लिमिटेड समवाय बनने की सम्भावना है ; और

(ग) उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; विशेषत: नये उपक्रम में इसके कर्मचारियों के अधिकार और विशेषाधिकार क्या होंगे ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) प्रस्तावित कम्पनी के लिए "संस्था के ज्ञापन-पत्र" (Memorandum of Association) तथा "संस्था के अन्तर्नियम" (Articles of A sociation) के मसौदे तैयार कर लिए गए हैं। आशा है कि दिल्ली दुग्ध योजना को एक लिमिटेड कम्पनी में परिणित करने के विषय में कदम उठाने का कार्य शीघ्रही पूरा हो जाएगा।

(ख) किसी निश्चित तिथि का बताना सम्भव नहीं है परन्तु कम्पनी को यथा-शीघ्र रजिस्टर करने के लिए हर सम्भव कदम उठाया जा रहा है।

(ग) प्रस्तावित लिमिटेड कम्पनी के बारे में विवरण पर अभी विचार किया जा रहा है। दिल्ली दुग्ध योजना को लिमिटेड कम्पनी में परिणित करने से वहां के वर्त्तमान कर्मचारियों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

एयर इण्डिया की "पूल-पार्टनरशिप"

*209. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयरइंडिया की अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के साथ "पूल-पार्टनरशिप" का क्या आधार है ; और

(ख) क्या पार्टनरशिप संतोषजनक रूप से चल रही है और उसका परिणाम अच्छा रहा है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ये प्रबन्ध द्विपक्षीय हैं और उन मार्गों पर, जिनमें पूल पार्टनरों की दिलचस्पी है, अन्य एयरलाइनों के साथ तगड़े मुकाबले का सामना करने में आपसी हितों का ध्यान रखने के दृष्टिकोण पर आधारित है।

(ख) सामान्यतया इन प्रबन्धों के उद्देश्यों की पर्याप्त रूप से पूर्ति हो रही है।

Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

210. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Social Security** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 515 on the 15th December, 1964 regarding the allegations of mismanagement of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi and state:

(a) whether the enquiry into the allegations made has been completed; and

(b) if so, the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration. The Manager has, however, been transferred.

चावल का आयात

*211. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रं० चं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बर्मा से और चावल आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) क्या बर्मा की सरकार के साथ इस बारे में कोई करार किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क), (ख) और (ग). बर्मा से 1965 में 2.0 लाख बड़े टन चावल खरीदने के लिए 3 फरवरी, 1965 को एक करार हुआ । लदान दिसम्बर, 1965 के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

निराश्रितों को सहायता

*212. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निराश्रितों को सीमित आधार पर सहायता देने की एक योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) बूढ़े निराश्रितों को पेंशन की व्यवस्था के हेतु एक योजना विचाराधीन हे । विकलांगों और निराश्रित स्त्रियों तथा बच्चों को सहायता प्रदान की एक और योजना राज्य सरकारों को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिये प्रेषित की गई है ।

(ख) राज्य सरकारों को प्रेषित की गई योजना के अन्तर्गत मनुष्यों को आवश्यक सहायता समाज सहायता ब्यूरो की मारफत दी जाएगी जो कि स्वायत्त संस्थानों/स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा स्थापित किए जाएंगे । योजना को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए 75% खर्चा केन्द्रीय सरकार देगी और बाकी रकम स्वायत्त संस्थानों/स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिया जाएगा । राज्य सरकारें प्रशासन का खर्चा सहन करेंगी । ऐसी आशा की जाती है कि अगले वित्तीय वर्ष में बड़े पैमाने पर कई प्रायोजनाएं स्थापित की जाएंगी ।

रिवर्स स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड

*213. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री जो० ना० हजारिका :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रा० बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड की साम्य पूंजी में अंश ले कर कम्पनी में भागीदार बनने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : समझौते के मुख्य निर्बन्धनों में सर्वश्री रिवर्स स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के एक पौंड प्रति अंश के मूल्य वाले सभी 5,00,000 साधारण अंशों को एक पौंड के नाम मात्र मूल्य पर भारत के राष्ट्रपति को हस्तांतरित करने की व्यवस्था है । इन में से 4,50,000 अंशों का भारत के राष्ट्रपति तथा उसके नियोजित व्यक्तियों के नाम हस्तांतरण कर दिया गया है । शेष 50,000 अंश अभी सर्वश्री रिवर्स स्टीम नैवीगेशन कम्पनी (होलडिंग्ज) लिमिटेड तथा अर्ल आफ इंचकेप के नाम पर हैं । इन अंशों का हस्तांतरण, जैसे और जब भारत सरकार चाहेगी तब किया जायेगा ।

नये संचालक मंडल के 10 संचालकों का नामनिर्देशन भारत सरकार द्वारा किया गया है इसके अतिरिक्त कम्पनी के वर्तमान तीन संचालकों को, जो सभी ब्रिटिश नागरिक हैं, बोर्ड में रखा गया है। इन परिवर्तनों के साथ भारत सरकार ने कम्पनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है।

चीनी कारखानों के लिए लाइसेंस

*214. श्री जसवन्त मेहता :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में अब तक सहकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में कितने चीनी कारखानों को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार और नये लाइसेंस देने का है;

(ग) यदि हां, तो आगामी वर्ष में कितने लाइसेंस दिये जायेंगे और कितनी क्षमता के लिए होंगे; और

(घ) क्या सरकार की नीति निजी क्षेत्र में लाइसेंस देने की है या सहकारी क्षेत्र में ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जनवरी, 1963 से वर्तमान शर्करा कारखानों 23 सहकारी समितियों और 40 मिश्रित पूंजी के कारखानों का विस्तार करने के लिए 63 आशय पत्र जारी किये गये हैं। इस अवधि में नये कारखाने के लिए कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) 1965 में 10 नये शर्करा कारखाने स्थापित करने और कुछ और वर्तमान कारखानों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस जारी करने की सम्भावना है।

(घ) वर्तमान शर्करा कारखानों के विस्तार के लिये लाइसेंस, मिश्रित पूंजी और सहकारी समितियों दोनों के गुण दोषों के आधार पर दिये जाते हैं जब कि नये शर्करा कारखानें स्थापित करने के लिए आवेदन-पत्रों पर उस क्षेत्र में गन्ने की वर्तमान उपलब्धि और गन्ना पैदा करने की भावी क्षमता को ध्यान में रख कर विचार किया जाता है और एक ही स्थान के लिए मिश्रित पूंजी और सहकारी समिति के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सहकारी समिति को तरजीह दी जाती है।

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमें

*215. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री हरि विष्णु कामत :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हेम राज :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत चलाए मुकदमों की सूचना भेजने के बारे में राज्यों के साथ कोई व्यवस्था की हुई है ;

(ख) यदि हां, तो संसद् द्वारा अधिनियम में संशोधन किये जाने के पश्चात् बिभिन्न राज्यों में कितने मुकदमें चलाये गये तथा कितने मामलों में दोष सिद्ध हुए; और

(ग) राज्यों में इस अधिनियम का तथा उसे लागू करने से क्या प्रभाव पड़ा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3883/65]**।

(ग) वस्तुतः सभी राज्यों ने संक्षिप्त विचारण के लिए विशेष दंडनायकों की नियुक्ति अधिसूचित कर दी है। यद्यपि सरकार की किसी एक विशेष कार्रवाई के प्रभाव को अलग से ताना कठिन है, फिर भी इसका प्रभाव थोक-व्यापार पर लाभदायक रहा है।

पाकिस्तान से चावल

*216. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामान के बदले पाकिस्तान से चावल आयात करने के बारे में करार के लिए एक भारतीय खाद्य प्रतिनिधि मण्डल हाल ही में पाकिस्तान गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितना चावल आयात करने का विचार है; और

(ग) करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) 11 जनवरी, 1965 को पाकिस्तान से 50,000 टन चावल खरीदने के लिए एक करार किया गया ।

(ग) चावल का भुगतान अविनिमेय भारतीय मुद्रा में किया जाएगा जिसको पाकिस्तान भारत से माल खरीदने के लिए ही प्रयोग करेगा ।

कलकत्ता बन्दरगाह

*217. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री दे० द० पुरी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह का उपयोग करने वाली सभी जहाजरानी कम्पनियों ने उस बन्दरगाह से जहाजों के धीमें आने-जाने की शिकायत की है तथा यह चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में शीघ्र ही सुधार न हुआ तो वे भाड़े के दर बढ़ा देंगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार तथा कलकत्ता बन्दरगाह के प्राधिकारियों ने, कलकत्ता बन्दरगाह में संचालन व्यवस्था में सुधार करने तथा जहाज कम्पनियों की जायज कठिनाइयों दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन केन्द्र के रूप में गोआ

*218. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री हेडा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री क० ना० टिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार गोआ को एक पर्यटक केन्द्र बनाने का है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : जी हां, क्योंकि उसके कई पर्यटक आकर्षण हैं ।

खाद्य नीति

*219. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री विभूति मिश्र :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीकृत नीति को कार्यान्वित करने में सरकार को राज्यों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि बाहुल्य वाले राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी जो उन्होंने स्वीकार कर ली है, पूर्ण रूप से नहीं निभाई है; और

(ग) अखिल भारतीय आधार पर एक खाद्य नीति बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). क्योंकि अधिशेष और कमी वाले राज्यों के हित समान नहीं होते, इसलिये उनके दृष्टिकोण में कुछ अन्तर होना अनिवार्य है। तथापि, यह सत्य नहीं है कि सरकार को राज्यों का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव हो रही है। कुछ अधिशेष राज्यों ने जो दायित्व उठाये थे, उन्हें वे अनपेक्षित घटनाओं के कारण पूर्णतः पूरा नहीं कर सके । राज्य सरकारों के साथ निरन्तर परामर्श किया जाता है और भारत को खाद्य नीति स्वीकृत अखिल भारतीय आधार पर तैयार की जाती है ।

Seeds Corporation

*220. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri P. H. Bheel:
Shri P. C. Borooah:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri P. Venkatasubbaiah:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Kapur Singh:
Shri P. K. Deo:
Shri Narasimha Reddy:
Shri P. G. Sen:
Shri R. M. Sewak:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are considering the formation of a Seeds Corporation to tide over the food crisis;

(b) if so, the broad outlines of the scheme;

(c) whether the scheme had been sent to the State Governments; and

(d) if so, their reaction thereto?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): (a) to (d). A National Seeds Corporation has been established as an autonomous body under the Companies Act by the Government of India with the objective of producing and marketing of seeds of various crops except paddy and wheat. Presently, the National Seeds Corporation is handling the Hybrid Maize, Hybrid Sorghum (Jowar) and certain type of vegetable seeds and some fodder seeds.

After the production of the foundation seeds at the Government Seed Multiplication Farms, there remains the problem of multiplication at subsequent stages, certification, procurement, storage and distribution of seeds to the cultivators at the appropriate time and at the appropriate price. In order to ensure that all these functions are effectively dealt with, the Government of India have suggested to the State Governments the establishment of State Seeds Corporations to work the programme in a quasi-commercial way. Their reactions are awaited.

देश की अर्थ-व्यवस्था में कृषकों का योगदान

*221. श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विभूति मिश्र :
श्री मानसिंह पृ० पटेल :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री गुलशन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास में कृषकों के योगदान को अधिक मान्यता देने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास में कृषकों के योगदान को अधिक मान्यता देने की योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

1. सर्वोत्तम कृषक नेताओं को गणतन्त्र दिवस के अवसर पर एक उपयुक्त उपाधि दे कर उनका सम्मान करना ।

2. फसल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और सबसे अधिक उत्पादन करने वाले कृषकों को राज्य जिला, खण्ड तथा ग्राम स्तर पर पदकों का प्रदान करना ।

3. केन्द्र तथा राज्य स्तर पर कृषक दिवस मनाने के लिए प्रतिवर्ष सर्वोत्तम प्रगतिशील कृषक को आमन्त्रित करना । जिला तथा खण्ड स्तरों पर भी इसी प्रकार के उत्सव मनाये जायें ।

4. चुने हुए कृषकों को उनके कार्यनिष्पादन के बारे में रेडियो-वार्त्ता पर आमन्त्रित करना ।

5. राज्य, जिला तथा खण्ड स्तरों, कृषि और पशुचिकित्सा महाविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, स्थायी प्रदर्शनियों आदि के सूचना कक्षों में सर्वोत्तम कृषकों के चित्र प्रदर्शित किये जायें । उन्हें समाचार-पत्रों तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किया जाये । प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य में स्थानीय भाषा में एक ऐसी पत्रिका प्रकाशित की जाए जिसमें इन कृषकों के चित्र तथा कार्य-कलाप दिये गये हों ।

ऐसी डाक्युमेंट्री फिल्में तैयार की जायें जिनमें सर्वोत्तम कृषकों द्वारा अपनाए गये उन्नत कृषि के तरीकों को प्रदर्शित किया जाए ।

7. प्रगतिशील कृषकों को कृषि, बागवानी तथा पशुपालन में उनके प्रशंसनीय कार्य के लिए पुरस्कार दिए जायें ।

8. प्रगतिशील कृषकों के लिए अनुसंधान केन्द्रों, कृषि तथा पशुचिकित्सा महाविद्यालय तथा सर्व उत्कृष्ट फार्मों के अध्ययन दौरों की व्यवस्था की जाए ।

9. एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में चुने हुए प्रगतिशील कृषकों का आदान-प्रदान होना चाहिये ताकि वे एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठा सकें ।

10. चुने हुए कृषकों को उच्च शिक्षा के लिए सुविधायें प्रदान की जायें ।

11. पंचायत, खण्ड, जिला तथा राज्य स्तरों पर कृषि उत्पादन समितियों में चुने हुए प्रगतिशील कृषकों का सहयोग प्राप्त किया जाये ।

2. उपरोक्त ढंग से तैयार की गई योजना सरकार के विचाराधीन है ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों का बदला जाना

*222. श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री महेश्वर नायक :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्तमान डकोटा, स्काईमास्टर तथा वाइकाउंट विमानों को कारपोरेशन की अन्तर्देशीय सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से एवरो-748 तथा केरेवल विमानों से बदलने की एक योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) कारपोरेशन द्वारा, डकोटाओं को बदलने की आवश्यकता को कई वर्ष पूर्व स्वीकार कर लिया गया था। विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण इनको बदलने का काम धीमे चलता रहा। जैसे ही कारपोरेशन क्षेत्रीय मार्गों के लिए एवरो--748 सीरीज़--II या दूसरे उचित वायुयानों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा वैसे ही विद्यमान डकोटा बेड़े को बदल दिया जायेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्काई-मास्टर और वाइकाउण्ट विमानों को भी बदलना पड़ेगा।

(ख) मार्च के शुरू में एक एवरो--748 सीरीज II विमान इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को परीक्षण के लिए दिये जाने की आशा है। एवरो विमानों के कारपोरेशन को अपने मार्गों पर चलाने के लिए दे दिये जाने और उन विमानों के वाणिज्यिक चालनों के लिए उपयुक्त पाये जाने पर, डकोटा विमान धीरे धीरे बदल दिये जायेंगे।

सदस्यों के मताधिकार

460. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत खण्ड समिति तथा जिला समितियों के अध्यक्ष के पद के लिए राज्य विधान मण्डलों तथा संसद् के सदस्यों को किसी व्यक्ति को चुनने अथवा स्वयं चुने जाने के लिए मताधिकार देने वाले उपबन्ध किन-किन राज्य अधिनियमों में किये गये हैं ;

(ख) क्या बिहार तथा अन्य राज्यों को पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव में ऐसे व्यक्तियों को मताधिकार न देने की सलाह दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राज्यों की प्रतिक्रियाएं यदि कोई हों, तो क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). संसद् अथवा किसी राज्य के विधान मंडल के सदस्य को मताधिकार सहित किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के एक पूर्ण सदस्य के रूप में कार्य करने अथवा पद-धारण करने से स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा मिलने में बाधा पड़ने की सम्भावना है । अतः राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि संसद्-सदस्य विधान सभा के सदस्य पंचायती राज संस्थाओं के केवल सह-सदस्य होने चाहिये । राज्यों में वर्तमान स्थिति अनुबन्ध में दी गई है **[पुस्तकालय म रखा गया , दखि रें संख्या एल० टी०--3884/65]**।

कृषकों को ऋण

461. श्री वे० तेवर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घनी खेती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पकालीन ऋण कृषकों को भारत के रक्षित बैंक के प्राधिकार से सहकारी समितियों की मार्फत मद्रास राज्य में सरकार द्वारा अनुमान लगाये गये खाद के मूल्य और अन्य व्यय के बराबर एकड़ों के आधार पर दिये जायेंगे ; और

(ख) क्या पैकेज योजना के अधीन मद्रास राज्य में नारियल उत्पादन और मूंगफली की खेती के लिये ऋण देने की व्यवस्था है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) घनी खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों को इस आधार पर ऋण दिए जाते हैं कि खेती करने वाले प्रत्येक परिवार ने फार्म उत्पादन योजनाओं मैं अपनी उत्पादन सम्बन्धी कितनी आवश्यकतायें बताई हैं । उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं में उर्वरक, बीज और अन्य उत्पादन सम्बन्धी ज़रूरतें और कुछ कृषि सम्बन्धी खर्च भी शामिल हैं । उर्वरक आदि सम्बन्धी वस्तुओं तथा भूमि के आधार पर ऋण का निश्चय किया जाता है । मद्रास में पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत धन की एक फसल की भूमि के लिये अधिकतम राशि 125.150 रुपये प्रति एकड़ दी जाती है । दो फसल वाली भूमि पर प्रत्येक फसल के लिए 125.150 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दो ऋणों की व्यवस्था की जा सकती है । अन्य फसलों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिये भी ऐसे मान है । मद्रास में ऋण अधिकांशतः सहकारी समितियों द्वारा दिये जाते हैं जिनकी सहायता के लिए निधियों की व्यवस्था जब कभी जरूरत हो, भारत का रक्षित बैंक करता है ।

(ख) पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत नारियल की खेती के लिये ऋण देने की कोई अलग व्यवस्था नहीं है । लेकिन चालू वर्ष 1964–65 के दौरान मद्रास सरकार को उर्वरक खरीदने तथा वितरण के लिये 10 लाख रुपये की राशि की मंजूरी दी गई है ।

जहां तक मूंगफली का सम्बन्ध है, बरसाती पानी से होने वाली फसल के लिये 75 रुपये प्रति एकड़ की दर से तथा दक्षिणी अर्काट (2 एकक), उत्तरी अर्काट, कोयम्बटूर तथा मदुराई के चुने हुए ज़िलों में सिंचाई वाली फसल के लिये 100 रुपये प्रति एकड़ की दर से खेती के लिये व्यवस्था

की गई है। कोयम्बटूर जिले में गोबी तथा इरोड ताल्लुक के लोअर भवानी परियोजना क्षेत्र में मूंगफली की खेती के लिये अन्य दो एककों में रैयतों को सहकारी समितियों द्वारा 150 रुपये प्रति एकड़ की दर से उधार देने की व्यवस्था की गई है।

By-elections in Kashmir

462. Shri Ram Harkh Yadav: Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce change in the Election procedure of the By-election to Kashmir Assembly to be held in April next; and

(b) if so, the details of the changes?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) and (b). As the elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir are held in accordance with the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957, and the Rule made there-under, the Government of India are not directly concerned with those elections. It is, however, understood that the Government of Jammu and Kashmir has under consideration a proposal to introduce the marking system of voting at the ensuing by-election to the State Legislative Assembly.

अनाज की खरीद

463. श्री वै० तेवर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम मद्रास राज्य में किन-किन केन्द्रों से सीधे उत्पादकों से नियंत्रित दरों पर धान खरीदेगा ; और

(ख) क्या खरीदे गये धान के मूल्य का साथ-साथ भुगतान किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चाह्वाण): (क) आशा है कि निगम मद्रास राज्य में केवल 1 अक्तूबर, 1965 से खरीदना आरम्भ कर सकेगा। अतः उन केन्द्रों के नाम बताना अभी सम्भव नहीं है जहां से निगम सीधे उत्पादकों से धान खरीदेगा।

(ख) अभी यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भूमि अर्जन विधान

464. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अर्जन विधान दोषपूर्ण तथा पुराना हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भूमि अर्जन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये इसमें सुधार करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). संसद ने हाल में इस विधि में, जो समवर्ती सूची में है, संशोधन किया है और स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा भी इस में परिवर्तन किये गये हैं। भवन निर्माण योजनाओं के लिये

भूमि के अर्जन में तेज़ी लाने के लिये कानूनी तथा अन्य उपायों का सुझाव देने के लिये योजना आयोग के सदस्य श्री एम० एस० ठक्कर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है ।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का संशोधन

465. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है ताकि उन व्यक्तियों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये जाने के हकदार हैं परन्तु उन्हें अधिवक्ता नहीं माना गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारी स्टोरों में वस्तुओं के मूल्य

466. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न सहकारी स्टोरों, जैसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर, संसद-सदस्यों का उपभोक्ता सहकारी स्टोर तथा दिल्ली राज्य सहकारी स्टोर में गेहूं , चावल दाल और खाने के तेलों जिसमें वनस्पति घी भी शामिल है जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के भाव एक स्टोर से दूसरे स्टोर में भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1964 से प्रतिमास इन स्टोरों में उक्त वस्तुओं के औसत मूल्य क्या थे ; और

(ग) मूल्यों में इतना अधिक अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, उन वस्तुओं के बारे में जिन के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3885/65] ।

(ग) कारण ये हैं :

(1) उस मूल्य में अन्तर जिस पर स्टाक खरीदे जाते हैं ;

(2) परिवहन व्यय में अन्तर ; और

(3) ऊपरी खर्चे तथा भाड़े में अन्तर ।

कावेरी डेल्टा का सर्वेक्षण

467. श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी अभिकरण के जिस अध्ययन दल ने कावेरी डेल्टा का विस्तृत सर्वेक्षण किया था, क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में इसने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहिदवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) संक्षेप रूप में मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) यदि संभव हो तो अतिरिक्त भंडार बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये विशेषतया मेत्तूर बांध के बहाव की ओर के भागमें उस परियोजना में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था सुधारने के लिए ।

(2) पानी के वर्तमान स्तर के साथ-साथ भूमिगत पानी का उपयोग बढ़ाने के लिये डेल्टा और उसके आस-पास के क्षेत्र में भूमिगत पानी का विस्तृत सर्वेक्षण करना चाहिए ।

(3) कावेरी डेल्टा सिंचाई की पुरानी पद्धति में सुधार करने के कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी चाहिए और कार्य को शीघ्रता से निबटाना चाहिये ।

(4) डेल्टा में एक कुशल सिंचित कृषि कार्यक्रम का आयोजन करने के लिये मिट्टी तथा भूमि वर्गीकरण का विस्तृत सर्वेक्षण और कृषि के सभी पहलुओं का कृषि अर्थशास्त्रीय अध्ययन करना चाहिये ।

(5) खेत सम्बन्धी प्रदान और निकासी पद्धति में सुधार लाने में कृषकों का पथप्रदर्शन तथा सहायता करने के लिये मूल फार्म इंजीनियरी और सिंचाई में प्रशिक्षित कृषि श्रमिकों की एक पदालि बनानी चाहिये ।

(6) ए० डी० पी० ढांचे के अन्तर्गत खेती कार्यप्रणालियों से सम्बंधित पानी के प्रयोग, प्रबंध और सिंचाई में विस्तार गतिविधियों में तेजी लाई जाये ।

(7) बीज बढ़ाने के कार्यक्रम को और सिंचाई के अच्छे तरीकों के लिये अधिक उपजाऊ फसल की किस्मों को उगाने में तेजी लाई जानी चाहिये ।

(8) डेल्टा के निचले क्षेत्र में जलोत्सारण में अधिक शक्तिशाली बैटरियों और संग्रहण गैलरियों से बाहर कार्य करने वाले पम्पों में सुधार करना चाहिये ।

(ग) मद्रास सरकार को रिपोर्ट की प्रतिलिपि जांच करने तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उपयक्त कार्यक्रम बनाने के लिये भेज दी गई है ।

मध्य दर्जे की और छोटी बन्दरगाहें

468. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंच वर्षीय योजना में देश में मध्य दर्जे की और छोटी बन्दरगाहों के विकास में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) तृतीय योजना में उन के विकास के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई ; और

(ग) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) . मध्य दर्जे के और छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिये परिवहन मंत्रालय की तीसरी पचवर्षीय योजना में 1204.61 लाख रुपये का कार्यक्रम शामिल किया गया है । केन्द्रीय क्षेत्र में की गई व्यवस्था और खर्च किये गये व्यय का ब्यौरा विवरण में दिया जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3886/65]** ।

सहरसा संसदीय उप-चुनाव

469. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग को सहरसा संसदीय उप-चुनाव में मतों के गिनने में की गई अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ; निर्वाचन आयोग को तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन में सहरसा संसदीय उप-चुनाव में मतों के गिनने में अनियमतताओं के बारे में अभिकथन किया गया है ।

(ख) इन में से एक शिकायत आयोग द्वारा आधारहीन पाई गई ; अन्य दो शिकायतें अब भी आयोग के विचाराधीन हैं ।

अलीपुर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

470. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अलीपुर खण्ड के सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के भारतीय सहकारी संघ की उपपत्तियों की ओर दिलाया गया

है जिनसे पता चलता है कि अलीपुर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से जिस प्रकार कार्यान्वित किया गया है उससे लोगों का उत्साह खत्म हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). रिपोर्ट विचाराधीन है। चालू सत्र में सभा पटल पर उत्तर रख दिया जायेगा।

खांडसारी एककों का स्थानान्तरण

471. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकर ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिलों से खांडसारी एककों को हटाकर पंजाब तथा राजस्थान ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिल्टन्स होटल्स के साथ करार

472. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन** मंत्री भारत में कुछ भव्य होटलों की स्थापना के लिये संयुक्त राज्य अमरीका के मैसर्स हिल्टन होटल्स इंटरनेशनल के साथ किये जाने वाले करार को अन्तिम रूप देने के बारे में 22 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 624 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी समिति ने, जिसको यह मामला सौंपा गया था, अपनी उपपत्तियां प्रस्तुत कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी, नहीं । मामला अभी विचाराधीन है ।

सहायक खाद्य पदार्थ

473. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनाजों की खपत कम करने तथा उनके स्थान पर स्वास्थ्यप्रद तथा कम लागत से पैदा होने वाले सहायक खाद्य पदार्थों की खपत करने के लिये भारतीय लोगों की खाद्य आदतों में धीरे धीरे परिवर्तन करने के लिये व्यापक उपाय करने के लिये कुछ नए कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सहायक खाद्य पदार्थों को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने तथा उनकी खपत बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, हां ।

(ख) देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में फलों, सब्जियों (आलू समेत) दूध, मांस, मछलियों और अंडों को बढ़ाने के लिये एक विशेष विकास कार्यक्रम का सूत्रपात कर दिया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, 40 बड़े नगरों में सब्जियों और 40 बड़े नगरों में शीघ्र उगने वाले फलों की घनी खेती, विकास के लिये अच्छी क्षमता रखने वाले विशेष रूप से चुने हुए क्षेत्रों में फलों का उत्पादन, आलूओं के प्रमाणित बीजों का उत्पादन, करने के लिये योजनायें तथा अन्य परियोजनायें चालू कर दी गई हैं । कुक्कुट पालन विकास खण्डों की स्थापना करने, राज्य कुक्कुट पालन फार्मों का विस्तार करने, पोल्ट्री ड्रेसिंग प्लांटों की स्थापना करने और कुक्कुट पालकों को ऋण तथा वित्तीय सहायता देने के लिये योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है । खाद्य परिरक्षण की वैज्ञानिक कार्य-पद्धति द्वारा होने वाली हानि को रोककर सहायक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है । मूंगफली से प्रोटीन का उत्पादन करने खाद्य पदार्थों के पोषक गुण को बढ़ाने और उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकीय सहायता की खोज की जा रही है । चलती फिरती खाद्य तथा पोषण, विस्तार गाड़ियों और इंस्टीट्यूट आफ केटरिंग टेक्नोलोजी एण्ड एम्पलाईज न्यूट्रीशन, और अन्य प्रकार के साधनों जैसे पत्रिकाओं (लीफलेट्स) तथा लघु पुस्तिकाओं का प्रकाशन, चलचित्रों , प्रदर्शनियों में भाग लेना, समाचारपत्र और पत्रिकायें, आदि द्वारा क्रमबद्ध आन्दोलन चलाकर सहायक खाद्य पदार्थों की अधिक खपत को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

भारत का जहाजरानी निगम

474. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के जहाज निगम ने कुल 200,000 टन-भार वाले 20 जहाजों की खरीद के लिए आदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन फर्मों को क्रयादेश दिये गये है और प्रत्येक जहाज की क्षमता तथा लागत क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जहाजों के लिए दिये गये क्रयादेश से सम्बन्धित एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3887/65 ।]**

Madras-Delhi Caravelle Service

475. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the loss sustained so far in Madras-Delhi Caravelle air service;

(b) whether it is a fact that the loss was much more during the earlier part of the current financial year;

(c) if so, the measures taken to make good that loss?

The Minister of Civil Aviation (Shri Nityanand Kanungo): (a). The loss sustained on Delhi-Madras|Delhi Caravelle service since February, 1964 to November, 1964 is estimated at Rs. 16,83 lakhs approximately.

(b) Yes, Sir.

(c) In order to improve the load the Corporation have allowed passengers between Bangalore and Delhi to travel via Madras at the same fare as applicable to the present routing *via* Hyderabad with effect from 1st October, 1964. The diversion of the Bangalore-Delhi traffic *via* Madras will also enable sector traffic on the Delhi/Hyderabad and Hyderabad/Bangalore to be developed. The Corporation have plans to operate the Delhi-Madras Caravelle Service through Hyderabad as soon as the Begumpet airfield is developed to take on Caravelles.

कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान

476. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में 1 दिसम्बर, 1964 को कर्मचारियों तथा मालिकों की तरफ कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान की (राज्यवार) कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ख) उसी तारीख को कानपुर में बकाया राशि कितनी थी ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जानकारी इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य	1-12-64 को कुल बकाया राशि (मालिकों और कर्मचारियों का अंश-दान)
		(संख्या लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	18.13
2.	आसाम	1.42
3.	बिहार	15.35
4.	दिल्ली	0.48
5.	गुजरात	64.76
6.	केरल	7.83
7.	मध्य प्रदेश	10.05
8.	मद्रास	55.60
9.	महाराष्ट्र	183.05
10.	मैसूर	3.48
11.	उड़ीसा	6.15
12.	पंजाब	1.88
13.	राजस्थान	6.30
14.	उत्तर प्रदेश	39.27
15.	पश्चिम बंगाल	90.63
	कुल	504.38

(ख) उत्तर प्रदेश की जानकारी, जिसमें कानपुर भी शामिल है, क्रम संख्या (14) के सामने ऊपर भाग (क) में दी गई है । कानपुर के लिए इस समय पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

आटे का मूल्य

477. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में गेहूं के आटे का खुदरा मूल्य 55 पैसे प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बाजार में प्रचलित भाव इस से बहुत अधिक हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आटा निर्धारित मूल्य पर मिल सके सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रोलर आटा मिलों द्वारा, जो मुख्यतः सरकार द्वारा सप्लाई किये गये आयातित गहूं को पीसती हैं, तैयार किये गये गेहूं के आटे का खुदरा मूल्य 55 पैसे प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। चक्कियों द्वारा तैयार किये गये देशी गेहूं के आटे का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). ऐसा कोई समाचार नहीं मिला है कि रोलर आटा मिलों द्वारा तैयार किाा गया गेहूं का आटा निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचा जा रहा था।

उत्तर प्रदेश में चावल के मूल्य

478. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से चावल के मूल्यों में परिवर्तन करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) मूल्यों में परिवर्तन कर दिया गया है।

अलाभप्रद चीनी कारखाने

479. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :**
श्री प्रं० चं० बरुआ :
श्री हेडा :
श्री उइके :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री राधे लाल व्यास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 1 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 299 के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने तथा अलाभप्रद चीनी कारखानों के पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार का उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Family Pension Scheme

480. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Eswara Reddy:
Shri Ravindra Varma:
Shri Renuka Barkatki:

Will the Minister of **Social Security** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1502 on the 29th September, 1964 and state the progress made in the introduction of the Family Pension Scheme for workers who are members of the Employees' Provident Fund and Coal Mines Labour Provident Fund?

The Deputy Minister of Law (Shri Jaganatha Rao): A meeting of the Working Group was held in November, 1964. It was agreed that a sample survey should be carried out to assess the requirements of a Pension Fund so as to ensure a minimum Retirement/ Family Pension for a subscriber to the Provident Fund. Further details are being worked out.

विदेशों में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय

481. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइस कारपोरेशन का विचार विदेशों में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर विक्रय/आरक्षण कार्यालय खोलने का है ।

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो ये कार्यालय कहां कहां स्थित होंगे ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है ।

पंजाब में समाज कल्याण विस्तार परियोजनायें

482. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में अब तक पंजाब सरकार को समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं सामाजिक तथा नैतिक शिक्षा तथा अनुरक्षण कार्यक्रमों के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) इन पर वास्तव में कितना व्यय किया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :--

	योजना	दी गई सहायता (31-12-1964 तक)
1.	कल्याण विस्तार परियोजनायें	पंजाब राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को 93,595 रु० की राशि दी गई है ।
2.	सामाजिक तथा सफाई विज्ञान और बाढ़ की देख भाल का कार्यक्रम	1964-65 के बजट में 13,000 रु० का उपबन्ध है । राज्य सरकार से वास्तविक खर्च के आंकड़े प्राप्त होने पर खर्च का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार सहायता के रूप में देगी ।

(ख) 1. **कल्याण विस्तार योजनाएं :**

अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

2. **सामाजिक तथा नैतिक सफाई विज्ञान और बाद की देखभाल का कार्यक्रम :** प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि उत्पादन

483. श्री दलजीत सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1964-65 के दौरान कृषि उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं ;

(ख) वे राज्य कौन से हैं जो इस अवधि के दौरान ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके ; और

(ग) उनकी असफलताओं के मुख्य कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). तृतीय योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन के वर्षवार लक्ष्य नहीं रखे गये हैं और 1964-65 के लिये विभिन्न फसलों के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, एक विवरण संलग्न है जिस में यह जानकारी दी गई है , खाद्यान्न तथा मुख्य वाणिज्यिक फसलों के संबंध में प्रत्येक राज्य के लिये कृषि उत्पादन के तृतीय योजना के लक्ष्य और यदि यह कि 1961-62, 1962-63 और 1963-64 में राजस्व में कितना उत्पादन हुआ। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. --3188/69]** ।

योजना के प्रथम तीन वर्षों में समूचे कृषि उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के उत्पादन में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है । आशा है कि वर्ष 1964–65 में कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि होगी ।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताई गई स्थिति का मुख्य कारण मौसम की खराबी है जो कि हमारे देश में उत्पादन पर बड़ा प्रभाव डालता है जहां कि $\frac{1}{6}$ से भी कम फसल के क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं हैं । पिछले तीन वर्षों में जिन फसलों को हानि पहुंची है और मौसम की खामियों का ब्योरा इस प्रकार है :

1961–62 : मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विशेषत: सितम्बर,–अक्तूबर, 1961 में अधिक वर्षा होने के कारण ज्वार और तुर के उत्पादन में काफी कमी हुई । इन राज्यों और गुजरात में भी कपास के उत्पादन में भी काफी कमी हुई । पंजाब और उत्तर प्रदेश में दिसम्बर, 1961––जनवरी, 1962 में सख्त जाड़े और पाले के कारण चने का उत्पादन काफी कम हुआ ।

1962–63 : मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में सूखे के कारण और आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में वर्षा के कम ज्यादा होने और आसाम में बाढ़ के कारण चावल और गन्ने के उत्पादन को भी भारी हानि पहुंची । बारिश की कमी के कारण पंजाब में गन्ने के उत्पादन को भी नुकसान हुआ । उत्तरी राज्यों, विशेषत: उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में जनवरी, 1963 में शर्द ऋतु की वर्षा न होने के कारण गेहूं, जौ, चने, और रबी तिलहन के उत्पादन को भी हानि पहुंची ।

1963–64 : जनवरी, 1964 में सामान्यत: समस्त उत्तर भारत में शर्द ऋतु की कम वर्षा होने और सर्दी की लहर के आने से और बाद में पाले की स्थिति होने से गेहूं, जौं, चने और अन्य दालों और रबी तिलहन के उत्पादन को भी काफी हानि पहुंची । राजस्थान और गुजरात के भागों में काफी समय तक सूखा पड़ने के कारण ज्वार और बाजरे के उत्पादन में भी कमी हुई ।

ग्रांड ट्रंक रोड

484. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन** मंत्री 2 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 304 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में ग्रांड ट्रंक रोड पर यातायात के भारी दबाव को कम करने के लिये ग्रांड ट्रंक रोड़ पर उप-मार्गों और अन्य कार्यों के निर्माण में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : पश्चिम बंगाल में ग्रांड ट्रंक रोड पर भीड़भाड़ को कम करने के उपायों में से एक के रूप में केन्द्रीय सरकार इन चार उपमार्गों के निर्माण पर विचार कर रही है :—

(एक) हावड़ा जिला में बाली में विवेकानन्द पुल से हुगली ज़िले तक उपमार्ग ।

(दो) सातग्राम से सिमालगढ़ तक उपमार्ग ।

(तीन) बर्दवान पर उपमार्ग ।

(चार) आसन्सोल पर उपमार्ग ।

2. (एक) के उपमार्ग की लम्बाई 25.2 मील है और हाल ही के अनुमान के अनुसार इस पर 382.40 लाख रु० खर्च होने का अनुमान है । चार लेनों वाला राजपथ बनाने का विचार है । यह चार लेनें पहले 3.9 मीलों अर्थात् दुर्गापुर तक एक्सप्रेस होगी । और राजपथ की शेष लम्बाई में दो लेनें होंगी । क्रियान्विति की सुविधा के लिये सड़क को इन 6 उपभागों में बांटा गया है :—

(एक) विवेकानन्द पुल से बाली रेलवे स्टेशन तक ।

(दो) बाली रेलवे स्टेशन से जोधपुरबील तक ।

(तीन) जोधपुरबील से दंकुनी तक ।

(चार) दंकुनी से नाबाग्राम तक ।

(पांच) नाबाग्राम से वैद्याबारी ।

(छै) वैद्याबारी से सरतग्राम तक ।

इस उपमार्ग के काम की प्रगति इस प्रकार है

विवेकानन्द पुल से बाली रेलवे स्टेशन और जोधपुरबील से वैद्याबारी तक के उपमार्गों पर भूमि अर्जन का काम पूरा हो गया है जबकि शेष लम्बाई में अर्जन का कुछ काम किया गया है ।

710 लाख घन फुट भूमि पर के कुल कार्य में से 310 लाख घन फुट भूमि पर का कार्य अब तक पूरा कर लिया गया है । लगभग 44 प्रतिशत प्रगति काम पूरा हुआ है ।

दंकुनी से नाबग्राम तक के उपभाग में सड़क बिछाने का काम चालू कर दिया गया है और नवग्राम और सरतग्राम के बीच रोड़ी डालने का काम हो रहा है । शेष भागों में सड़क के लिये सामग्री इकट्ठी करने का काम प्रगति पर है । पुलियाओं और सड़कों का निर्माण 45 प्रतिशत हुआ है ।

जबकि दंकुनी-नाबाग्राम उपभाग में काम पहले से ही पूरा हो गया है, शेष लम्बाई में काम के अप्रैल, 1965 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

3. सरतग्राम से सीलमगढ़ तक उपमार्ग के मार्गनिर्धारण को अंतिम रूप देने के लिये एक सर्वेक्षण किया जा रहा है । शेष दो उपमार्गों के मार्ग निर्धारण को अंतिम रूप दे दिया गया है और उन के लिये शीघ्र ही अनुमान मंजूर किये जायेंगे ।

तथापि उपमार्गों पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है ।

4. ग्रांड ट्रंक रोड पर यातायात के भारी दबाव को कम करने के लिये एक और उपाय करने का इरादा है और वह है पूर्वी रेलवे की हावड़ा बरदवान कॉर्ड लाइन के साथ साथ कलकत्ता दुर्गापुर एक्सप्रेस वे का निर्माण । यह राज्य की सड़क है और पश्चिम बंगाल सरकार इस काम में मुख्यतः संबंधित है ।

गंगा पर नया पुल

485. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ और कानपुर को मिलाने के लिए गंगा पर एक नया पुल बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, यह कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कानपुर, लखनऊ राष्ट्रीय राजपथ पर कानपुर में गंगा नदी पर एक नये पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है । यदि इसके लिये धन उपलब्ध हो गया तो अगली योजना में इस कार्य को आरम्भ किया जायेगा ।

(ख) कार्य के पूरा होने में इसके आरम्भ होने के बाद 3–4 वर्ष लगेंगे ।

(ग) अनुमान है कि इस कार्य पर लगभग 4 करोड़ रु० खर्च होगा ।

सड़क परिवहन

486. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क परिवहन से प्राप्त कुल राजस्व 1961–62 में 194 करोड़ रुपये था और 1962–63 में 220 करोड़ रुपये था ;

(ख) यदि हां तो क्या केन्द्रीय और राज्य दोनों क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में धन की व्यवस्था करने में इस पहलू पर विचार किया जायेगा ; और

(ग) राज्य क्षत्रों की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या मांगें हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1961–62 और 1962–63 में मोटर गाड़ियों (जिन में मोटर गाड़ियों, फालतू पुर्जों और तेलों पर बिक्री कर, तेलों पर सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क और अस्फाल्ट और बीटुमैन पर उत्पादन-शुल्क शामिल नहीं है) पर करों द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः कुल 194 करोड़ रु० और 232 करोड़ रु० का राजस्व अर्जित किया गया ।

(ख) सड़क विकास की योजनाओं को देश के विभिन्न प्रदेशों के समूचे परिवहन के विकास के लिये समूची योजनाओं के अभिन्न अंगों के रूप में बनाया जाता है और प्रदेश के आर्थिक विकास से इनका गहरा संबंध होता है । सड़क विकास के लिये एशिया समूचे उद्देश्यों और योजना में दी गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर आवंटित की जाती हैं न कि इस बात को ध्यान में रख कर कि सड़क परिवहन से सरकार को कितनी आमदनी होगी ।

(ग) इस बारे में राज्य सरकारों के विस्तृत प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

पौधा उत्परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धान

487. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में आइसोटोप के प्रयोग से किये गये पौधा उत्परिवर्तन सम्बंधी अनुसंधान का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) इससे प्राप्त परिणाम का निकट भविष्य कृषि में कहां तक प्रयोग किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पौधा उत्परिवर्तन पर विस्तृत अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में किया गया है । इस कार्य का संक्षिप्त ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–– 3889/65**]

(ख) उत्परिवर्तन का आगम पौधा प्रजनन के अन्य तरीकों में से केवल एक है । अनुसंधान कार्य में इससे काफी सहायता मिलती है और यह आशा की जा सकती है कि भारत में पौधा प्रजनन में इसके द्वारा काफी तेज़ी से हो सकेगी ।

श्रम-ठेके और निर्माण संस्थायें

488. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी श्रम-ठेके और निर्माण संस्थायें काम कर रही हैं ;

(ख) क्या इन में से किसी को 'ए' श्रेणी के ठेकेदार होने का लाइसेंस प्राप्त है और यदि हां, तो ऐसी सहकारी संस्थाओं की संख्या क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो राज्य और केन्द्रीय सरकार के बड़े निर्माण कार्य करने के प्रयोजन से मजदूर संस्थाओं का विकास करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) इन सहकारी संस्थाओं को क्या सुविधायें दी जाती हैं ।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क). 30-6-63 को श्रमठे के और निर्माण संस्थाओं की संख्या 3409 थी ।

(ख) 12 समितियों को श्रेणी 'क' के ठेकेदारों का लाइसेंस दिया गया है । (यह जानकारी 9 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों से संबंध रखती है ।)

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इन समितियों को उपलब्ध विशेष सुविधाएं और रियायतें बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रक्षण : उड़ीसा, गुजरात और केरल में 50,000 रु० के मूल्य तक के ठेके श्रम समितियों को बिना टेन्डर मंगाये ही दिये जा सकते हैं । पंजाब में सभी अकुटाल कोर्णों, मैसूर में 25,000 रु० तक के मूल्य के कार्यों, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 20,000 रु० तक और आंध्र प्रदेश और मनीपुर में 10,000 रु० के मूल्य तक के ठेके श्रम समितियों को बिना टेंडर मंगाये ही दिये जाते हैं ।

छूट : मद्रास, मैसूर, केरल, उड़ीसा और राजस्थान में श्रम समितियों को साई तथा जमानत की राशि जमा नहीं करानी पड़ती, जबकि कुछ अन्य राज्यों में सीमित छूट अथवा किन्हीं शर्तों पर छूट दी जाती है । मध्य प्रदेश, आसाम और हिमाचल प्रदेश में साई की छूट दी जाती है; महाराष्ट्र में जमानत और दीवालिये के प्रमाणपत्रों पर जोर नहीं दिया जाता है; जब कि गुजरात में छोटे कामों के लिये जमानत नहीं ली जाती ।

आरंभिक पेशगी : मैसूर, उड़ीसा में आरंभिक पेशगी का 25 प्रतिशत दिया जाता है ।

मूल्य अधिमान : गुजरात में टेंडर देने वालों को 50,000 से 1 लाख रु० तक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत तुलाई दी जाती है । राजस्थान में 20,000 से एक लाख रु० के कार्यो । महारप्ष्ट्र में 20,000 से 2 लाख रु० तक और उड़ीसा में 50,000 से 1 लाख रु० तक के कार्यों पर वही तुलाई लागू होती है ।

खाद्य विभाग का कैफेटीरिया

489. **श्री दाजी :**
श्रीमती विमला देवी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य विभाग के कैफेटीरिया सहकारी स्टोर लिमिटेड के परिसमापन के पश्चात् उसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है ;

(ख) इस स्टोर के सचिव के विरुद्ध उसके विभिन्न कदाचारों और धन के दुरुपयोग के लिये, दिल्ली के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सहकारी समितियों के उप-रजिस्ट्रार ने स्टोर के अंशधारियों को वर्तमान स्थिति के बारे में बता दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 12-2-65 को स्टोर की वर्तमान स्थिति इस प्रकार थी :—

दायित्व		आस्तियां	
	रु०		रु०
1. अंशधन	2,774.75	बैंक में नकद .	2,348.67
		हाथ में नकद 51.66	
		चैक 450.00	501.66
2. विविध साहूकार	8,102.40	दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर से वसूल किये जाने वाले शेयर	100.00
3. खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को देय किराया	4,344.00	स्टोर प्रभारी, श्री वी० एन० गुलाटी से वसूल की जाने वाली नकद बकाया राशि	2,288.32
4. एक कर्मचारी श्री जेठानन्द को देय प्रतिभूति	100.00	विविध ऋण दाता	4,317.87
5. लेखापरीक्षण शुल्क देय	1,505.00	एक कर्मचारी श्री जेठानन्द से वसूल की जाने वाली राशि	244.71
		हानि	7,024.92
	16,826.15		16,826.15

D. T. U. Buses

490. **Shri Hem Raj:**
Shri P. C. Borooah:
Shri D. N. Tiwary:
Shri Ramanand Shastri

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) the number of D.T.U. buses on road at present and the number of private buses hired by the Delhi Transport Undertaking;

(b) the total number of buses required by the Delhi Transport Undertaking at present to meet the transport requirements of the Capital; and

(c) the steps taken to meet these requirements?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) The number of D.T.U's buses on the road is on an average 685 daily. The number of private buses hired by the Undertaking is at present 40.

(b) It is estimated that at least 750 buses are required to be on road each day to enable the Undertaking to meet the existing requirements.

(c) The Undertaking is gradually building up an adequate fleet of vehicles. During the current financial year, the Undertaking is going to add 102 new single decker and 17 double decker buses. 74 single decker buses have already been received and the remaining are expected to be received shortly. For the next year, addition of 75 more new single decker buses as also some more double decker buses is proposed. The Undertaking has also drawn up proposals for the Fourth Five Year Plan for suitable expansion of its fleet of vehicles to meet the growing transport requirements of the Capital.

सरसों की खेती

491. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरसों के तेल की कमी को देखते हुए, जिन क्षेत्रों में सरसों के तेल का प्रयोग होता है उन क्षेत्रों में, सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और नये क्षेत्रों में सरसों की खेती की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पश्चिम बंगाल में, जहां पर कि सरसों के तेल की सब से अधिक खपत है, राज्य के सात जिलों में सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक आपात योजना चालू की है। यह उत्पादन इस फसल के लिए अधिक भूमि देकर, गहरे नलकूप वाले क्षेत्र में फसल के लिए उर्वरक दे कर और फसल को कीटाणुओं से बचा कर किया जायेगा। अन्य राज्यों में, जहां पर कि सरसों के तेल की कम खपत होती है, जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तिलहन विकास की सामान्य योजना के अतिरिक्त तोरिये और सरसों की गहन खेती के लिए "पैकेज" कार्यक्रम चालू किये गये हैं।

(ख) द्वितीय योजना में भारत में तोरिये और सरसों के नीचे औसत तौर पर 65 लाख एकड़ भूमि थी। इसके मुकाबिले में तृतीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में इन फसलों के नीचे 74 से 77 लाख एकड़ भूमि थी। 1964-65 के लिये क्षेत्रफल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

कच्चा पटसन

493. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन की प्रति एकड़ उपज में पर्याप्त सुधार होने के कोई चिह्न हैं;

(ख) क्या भारत अब पटसन उद्योग की अपनी आवश्यकता से अधिक पटसन पैदा करता है; और

(ग) यदि हां, तो किसानों के हितों की रक्षा के लिए मूल्य समर्थन नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) वार्षिक मूल्य में चावचान के बावजूद, पटसन की प्रति एकड़ पैदावार प्रथम योजना की 2.46 गांठों की

औसत (प्रत्येक 100 किलोग्राम) से बढ़ कर द्वितीय योजना अवधि में 2.56 गांठें हो गई हैं और तृतीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में 2.73 गांठ की औसत हो गई है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जमीन को कृषि योग्य बनाना

494. **श्री शशिरंजन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में जमीन के कृष्यकरण तथा विकास का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इस दिशा में अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(ख) 1949–50 से 1963–64 तक देश में कितने क्षेत्रफल में खेती की गई, कितनी पैदावार हुई तथा मुख्य फसलों की प्रति हेक्टेयर कितनी पैदावार हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तृतीय योजना के लिये भूमि सुधार और भूमि विकास के लिए 36 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य है और आशा है कि प्रथम चार वर्षों में 34.9 लाख एकड़ में यह काम पूरा हो जायेगा ।

(ख) खेती की गई भूमि के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। शेष जानकारी आर्थिक तथा सांख्यिकी सलाहकार, भारत सरकार (खाद्य तथा कृषि मंत्रालय) द्वारा जारी किये गये प्रकाशन [एरिया प्रोडक्शन एण्ड एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर आफ प्रिंसपल क्रोप्स इन इण्डिया 1949–50 टू 1963–64 (समरी टेबल्स)] में उपलब्ध है। प्रकाशन संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

विवरण

1949-50 से 1963-64 तक भारत में कृषि योग्य भूमि

वर्ष	बोयी गई कुल जमीन का क्षेत्रफल (हजार एकड़ में)	कुल फसल का क्षेत्रफल (हजार एकड़ में)
1950–51	293,429	325,914
1951–52	295,044	329,227
1952–53	305,034	340,202
1953–54	315,350	352,081
1954–55	315,904	356,024
1955–56	318,239	362,509
1956–57	322,460	368,378
1957–58	317,849	359,189
1958–59	324,442	373,160
1959–60	327,239	376,219
1960–61	328,009	376,218
1961–62	334,066	384,611

Sugar Quota of M.Ps.

495. **Shri P. L. Barupal:**
Shri Surya Prasad:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the fortnightly quota of sugar due to a Member of Parliament can be drawn in the next fortnight if not taken earlier owing to his absence from the Capital; and

(b) the machinery provided to ensure that in case this quota is not taken in the next fortnight either, it is not misused by the retailer?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): (a) Yes Sir, within the calendar month concerned.

(b) Civil Supplies Inspectors of the Delhi Administration keep a regular check on the sale accounts of the retail dealers.

परती भूमि का विकास

496. **श्री प्र० के० देव :**
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जनवरी में जापानी अध्ययन दल भारत आया था ;

(ख) क्या उन्होंने परती भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कोई विशेष सुझाव दिये थे; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

शिल्पकारों को पेंशन

497 **श्रीमती जोहरा बेन चावड़ा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिल्पकारों को मासिक पेंशन देने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो मासिक पेंशन की राशि क्या होगी; और

(ग) शिल्पकारों के चुनने की प्रक्रिया क्या होगी ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). अभी ब्योरे तैयार नहीं किये गये हैं ।

Cooperative Sugar Mill at Rasra

498. Shri Sarjoo Pandey: Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the total amount spent on the cooperative sugar mill that was to be established at Rasra (Ballia, U.P.): and

(b) the amount for which shares have been sold as also the progress made so far in the establishment of the said mill?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy): (a) No expenditure has been incurred by the Central Government, as the sugar mill has not been granted a licence so far.

(b) An amount of Rs. 20,305 has been collected as share capital so far.

कलकत्ता-इम्फाल मार्ग पर फोकर फ्रेंडशिप सेवा

499. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता-अगरतला-सिलचर-इम्फाल मार्ग पर फोकर फेण्डशिप सेवा चालू करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). 1–4–1965 से कलकत्ता-अगरतला-सिलचर मार्ग पर मैत्री सेवा चलाई जायेगी। इस प्रकार के विमान के लिये संचालन की दृष्टि से इम्फल उपयुक्त नहीं है ।

केन्द्रीय उद्यान संस्था

500. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार केन्द्रीय उद्यान संस्था स्थापित करने का है ;

(च) यदि हां, तो इस के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) प्रस्तावित योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) से (ग) भारत सरकार एक केन्द्रीय उद्यान संस्था स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है । योजना के ब्योरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

सहकारी सदस्य शिक्षा कार्यक्रम

501. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक भी सहकारी सदस्य शिक्षा सम्बन्धी पुनरीक्षित कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया है तथा भविष्य निधि योजना का सहकारी शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया है ; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). एक पुनरीक्षित सहकारी सदस्य शिक्षा कार्यक्रम को बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अभी क्रियान्वित नहीं किया गया है । बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुनरीक्षित कार्यक्रमों को अभी स्वीकृति नहीं दी है । महाराष्ट्र में, इसको क्रियान्वित करने के लिये राज्य सहकारी संघ ने अभी निर्णय लेना है ।

दो. भविष्य निधि योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

एसप्रैसो काफी की मशीनें

502. श्री जो० ना० हजारिका : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से आज तक पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त भोजनालयों के लिए एसप्रैसी काफी की कितनी मशीनें आयात करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) ऐसी कितनी मशीनें उन भोजनालयों / होटलों द्वारा आयात की गई हैं, जिनको विभाग की मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन जिनके आयात के आवेदन-पत्र विभाग ने प्रायोजित किये थे ; और

(ग) 1961-62 से लेकर अब तक खाद्य सामग्री और पूंजी सामान के आयात लाइसेंसों के रूप में होटलों / भोजनालयों को दी जाने वाली सहायता में कुल कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में भाण्डागार

503. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने भाण्डागार हैं तथा वे किन किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ख) प्रत्येक भाण्डागार की कितनी क्षमता है ; और

(ग) उड़ीसा में 1965-66 में कितने भाण्डागार खोलने का विचार है तथा उनको कहां कहां स्थापित किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) और (ख) :

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के भाण्डागार		उड़ीसा राज्य भाण्डागार के भाण्डागार	
केन्द्रों के नाम	टनों में क्षमता	केन्द्रों के नाम	टनों में क्षमता
1. बारगढ़	3,200	1. जाटनी	1,353
2. बेरहामपुर	1,422	2. रवैरिअर रोड	2,117
3. जीपुर	359	3. कन्ताबन्जी	2,432
4. भद्रक .	800	4. तितलागढ़	1,692
5. सम्बलपुर	606	5. गुनुपुर .	3,256
		6. अंगुल	609
		7. केसिंगा .	1421
		8. बालंगिर . .	325
		9. रयागडा	423
		10. भांजनगर	280
		11. पदमपुर	200
		12. जुनागढ़ .	287
		13. झारसुगड़ा	405
		14. चांदबाली	190

(ग) केन्द्रीय भाण्डागार निगम का विचार चालू वर्ष में एक भाण्डागार जाजपुर में और वर्ष 1965–66 में एक भांडागार कटक में खोलने का है । उड़ीसा राज्य भाण्डागार निगम का विचार, वर्ष 1965–66 में आठ भाण्डागार, केन्द्रपाडा, जगसिंहपुर, निमपाडा, बीरप्रतापपुर, नौरंगपुर, रामपुर, पदमपुर और बमरा में खोलने का है। प्रस्तावों पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

कृषि अनुसंधान सम्बन्धी परियोजनायें

504. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी कितनी परियोजनायें चल रही हैं; और

(ख) 1964–65 में इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन

505. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को 1964–65 में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के लिए वास्तव में कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ख) उस राज्य को इस कार्य के लिए 1965–66 में कितनी राशि देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए वर्ष 1958–59 से चालू की गई परिवर्तित प्रक्रिया के अन्तर्गत "कृषि सम्बन्धी उत्पादन" शीर्षक के अधीन जिस में अधिक अन्न उपजाओ योजनायें और छोटी सिंचाई तथा भूमि विकास भी शामिल हैं, विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता इकट्ठी मंजूर की जाती है । वर्ष 1964–65 में उड़ीसा सरकार को 'कृषि सम्बन्धी उत्पादन' शीर्षक के अधीन योजनाओं के लिए 58.67 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था । जिसमें 25.00 लाख रुपये का अतिरिक्त नियतन भी शामिल था।

(ख) वर्ष 1965–66 के लिए योजना आयोग ने "कृषि सम्बन्धी उत्पादन" शीर्षक के अधीन जिस में अधिक अन्न उपजाओ योजनायें और छोटी सिंचाई शामिल है, 2.34 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है (केन्द्रीय ऋणों तथा अनुदानों और राज्य अंश के लिए)।

उड़ीसा को गेहूं और चीनी का सम्भरण

506. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुश्लेवर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उड़ीसा को गेहूं और चीनी की कितनी कितनी मात्रा का सम्भरण किया गया ; और

(ख) 1965–66 के लिए उस राज्य को गेहूं और चीनी की कितनी मात्रा नियत की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) वर्ष 1964–65 में (1 अप्रैल, 1964 से 31 जनवरी, 1965 तक) केन्द्रीय सरकार के स्टाकों से उड़ीसा के उचित मूल्य वाली दुकानों और आटे की मिलों को अब तक 51 हजार मिट्रिक टन गेहूं दिया जा चुका है ?

अप्रैल, 1964 से फरवरी, 1965 तक की अवधि में, उड़ीसा के लिए आवंटन की गई चीनी की कुल मात्रा लगभग 44 हजार मिट्रिक टन थी ।

(ख) वर्ष 1965–66 के लिए गेहूं और चीनी का अभी तक कोई आवंटन नहीं किया गया है ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

507. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कृषकों के कल्याण के लिए 1964–65 में कितनी राशि निर्धारित की गई और कितनी राशि वास्तव में व्यय की गई; और

(ख) इस कार्य के लिये 1965–66 के दौरान कितनी राशि देने का विचार है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क)

	वर्ष 1964–65 के लिए आवंटित राशि	वर्ष 1964–65 के लिए अनुमानित राशि (रुपये लाखों में)
अनुसूचित जातियां . .	1.00	0.50
अनुसूचित आदिम जातियां . .	7.08	7.63

(ख) अनुसूचित जातियां . 0.50 लाख रुपये
अनुसूचित आदिम जातियां . . 11.78 लाख रुपये

Edible Oils

508. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some restriction was imposed on the use of edible oils by industries with effect from 1st January, 1965;

(b) whether it is also a fact that some industrial establishments have purchased large quantities of edible oils enough for their requirements before these orders were implemented due to which the prices have gone up;

(c) whether there is a proposal to import non-edible oils for industrial purposes; and

(d) if so, whether Government have taken into consideration the indigenous sources such as seeds of certain wild trees or sea fish which have not so far been exploited to get oils for industrial use before arriving at this decision?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): (a) Yes, Sir. The use of edible oils in the manufacture of hydrogenated oil meant for industrial purposes as *e.g.* in the production of soap, fatty acids etc. has been prohibited with effect from 1st January, 1965.

(b) Vanaspati factories are permitted to manufacture industrial hydrogenated oil only against firm orders from individual users. There was no significant increase in the rate of manufacture of this product in the months immediately preceding the said date.

(c) Yes, Sir. An Agreement was signed by the Government of India with the U.S. Government on 31st December, 1964, providing for the import, *inter alia,* of $9.9 million worth of Inedible Tallow (approx. 50,000 tonnes) from the U.S.A. under P.L. 480 within the current U.S. fiscal year (July ' 64—June ' 65).

(d) Yes, Sir.

Cattle Welfare Week

509. Shri Vishwa Nath Pande: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government celebrated the Cattle Welfare Week throughout the country from the 14th to 20th January, 1965; and

(b) if so, the amount of expenditure incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) The Animal Welfare Board and various animal welfare organisations in the country (and not the Government of India), celebrated the Animal Welfare Week during the period from 14th to 20th January, 1965.

(b) The Board incurred expenditure of Rs. 3,612·85 on the celebrations in Madras including expenditure on the preparation of mercy seals, leaflets and banners etc. They have also so far sanctioned Rs. 7,250 as grants, on a matching basis, to animal welfare organisations for this purpose against an allotment of Rs. 20,000/-.

चुनाव व्यय

510. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में तीन आम चुनावों में, अर्थात् 1951–52, 1957 तथा 1962 में इस संबंध में कुल कितना व्यय किया गया था ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : सरकार द्वारा तीन आम चुनाओं में किया गया कुल चुनाव व्यय निम्नलिखित है :--

	रु०
1--1951-52 के आम चुनाव	10,45,47,099-5-4
2--1957 के आम चुनाव	5,90,21,786,00
3--1962 के आम चुनाव	5,29,28,210.00

तूफान अनुसंधान केन्द्र

511. **श्री अ० ब० राघवन** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में एक तूफान अनुसन्धान केन्द्र खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां पर खोला जायेगा ; और

(ग) वह कब तक चालू हो जायेगा ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). मद्रास में एक तूफान अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की योजना विचाराधीन है । योजना के ब्यौरे के बारे में अभी तक निश्चय नहीं किया गया है ।

तूतीकोरिन कोलम्बो नाव सेवा

512. **श्री अ० ब० राघवन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम का विचार तूतीकोरिन से सीधे कोलम्बो तक नाव सेवा चालू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब से चालू की जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) जी, हां ।

(ख) इस सेवा को चालू करने के विचार से एक जहाज को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है और जहाज के उपलब्ध होते ही यह सेवा तुरन्त चालू की जायेगी ।

भारतीय दंड संहिता

513. **श्री रा० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले बहुत से अन्य अधिनियमों को सम्मिलित करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता को पुनरीक्षित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विधि आयोग द्वारा कब तक अंतिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) हां; विभिन्न अधिनियमितियों में अन्तर्विष्ट कुछ सामाजिक और आर्थिक अपराधों को भारतीय दण्ड संहिता में समाविष्ट करने के प्रयोजन से उसे भ्रष्टाचार निवारण समिति (संथानम् समिति) की सिफारिशों के अनुसरण में पुनरीक्षित, करने का विचार है ।

(ख) विधि आयोग को, जिसे प्रस्थापना निर्दिष्ट की गई है, इस मामले को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा ।

तटीय नौवहन

514. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि देश के तटीय नौवहन में सरकारी क्षेत्र का पर्याप्त भाग होना चाहिये ;

(ख) क्या अब इसमें गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी दोनों का हिस्सा है; और

(ग) भविष्य में किस प्रकार हिस्से बांटे जायेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां । तटीय व्यापार में सरकारी क्षेत्र द्वारा और अधिक भाग लेने की आशा है ।

(ख) इस समय सरकारी क्षेत्र द्वारा तटीय व्यापार बहुत कम किया जाता है,

तटीय जहाजों के माल लादने व उतारने के काम में सरकारी क्षेत्र का केवल 7 प्रतिशत अधिकार है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के नौवहन को तटीय व्यापार का निश्चित हिस्सा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सड़क परिवहन विकास कार्यक्रम

515. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास निगम की उद्योग, विद्युत् तथा परिवहन सम्बन्धी समिति ने 10 वर्षीय सड़क परिवहन विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार का उस पर क्या निर्णय है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). राष्ट्रीय विकास परिषद् की उद्योग, विद्युत् तथा परिवहन सम्बन्धी समिति के जिसकी बैठक 12 और 13 फरवरी, 1965 को हुई, सिफारिश की कि परिवहन के बारे में 1966 से 10 वर्ष की अवधि के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिये जिसमें चौथी योजना के लिए विस्तृत कार्यक्रम

हो। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि प्रस्तुत योजना में परिवहन साधनों का देश के अभिन्न अंग के रूप में विभिन्न प्रकार के परिवहन सेवाओं के विकास के लिए व्यवस्था होनी चाहिये। समिति द्वारा योजना की रूप रेखा के ब्योरे के बारे में की गई सिफारिशों पर अब विचार किया जायेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

516. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था को दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस को किस स्थान पर भेजा जा रहा है और इस के कब तक भेजे जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में अनुसंधान वैज्ञानिक

517. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान सस्था, नई दिल्ली की विभिन्न पदालियों में अनुसन्धान वैज्ञानिकों की वरिष्ठता विभाग में उन की सामान्य वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित की जाती है या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी विशेष पद के लिए उनके चयन की तारीख से; और

(ख) इस सम्बन्ध में किन मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जहां किसी खण्ड में एक ही पदनाम तथा वेतनक्रम में एक से अधिक पद होते हैं---इन पदों के पदधारियों की वरिष्ठता चयन की तारीख से निश्चित की जाती है अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन किये जाने पर और जहां किसी एक ही तारीख में एक से अधिक पदधारी का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई योग्यता (मेरिट) के आधार पर किया जाता है। यह सरकार द्वारा वरिष्ठता के बारे में निर्धारित सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार है।

कोवलम को पर्यटक केन्द्र बनाना

518. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० द० राघवन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कोवलम का पर्यटक केन्द्र में रूप में विकास करने के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) कोवलम के विकास के लिए स्वीकार की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) 1965–66 में कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र के लिए एक भूमि उपयोग योजना तैयार की है और कोवलम को समुद्र तटीय रम्य स्थान के रूप में विकास करने के लिए राज्य सरकार के निर्देशन के हेतु एक कार्यकारी दल का प्रतिवेदन भेजा है। इस योजना का विस्तृत आकार तथा अनुमानित व्यय के बारे में जांच की जा रही है। इस बीच में राज्य सरकार ने एक महल तथा उसके आस-पास का क्षेत्र अर्जित कर लिया है, जिसका विकास रिहायशी उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव है ।

(ख) कोवलम के विकास के लिए स्वीकृत योजना का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) त्रिवेन्द्रम से कोवलम तक समुद्र के किनारे-किनारे एक सड़क ।

(2) महल के चारों ओर आवास के लिए मकानों का बनाना जहां भोजनालय कक्ष, और कैन्टीन की सुविधायें होंगी ।

(3) नहाने का तालाब, कपड़े बदलने आदि के लिए कमरा, मनोरंजन पार्क, टेनिस कोर्ट तथा दुकानों आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था ।

(ग) आरम्भ में इसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । वास्तविक व्यय का अनुमान आभी तक नहीं लगाया गया है ।

Price of Paddy

519. Shri Baswant: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of the States which have fixed the highest prices of paddy in the country; and

(b) the prices of paddy (State-wise)?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): (a) and (b). A statement showing the maximum prices of various varieties of paddy fixed by the various State Governments for the crop year 1964-65 is attached. **[Placed in Library, See No. LT-3890/65].**

अखिल भारतीय सब्जी प्रदर्शनी

520. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल में एक अखिल-भारतीय सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रदर्शनी में भाग लेने वालों को कितने पुरस्कार दिये गये तथा किन-किन को ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां । नई दिल्ली में 29 जनवरी, से 31 जनवरी, 1965 तक एक अखिल भारतीय सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था ।

(ख) प्रदर्शनी में लगभग 1300 किस्म की सब्जियां, विशेष रूप से मौसम की सभी सब्जियां, डिब्बों में बन्द सब्जियां तथा बनस्पति उत्पाद प्रदर्शनार्थ रखे गये थे । इसमें भाग लेने वाले वाणिज्यिक उत्पादक, स्थानीय घर में सब्जी उगाने वाले यूनीसेफ के पौष्टिक आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत सब्जियां उगाने वाले स्कूल, सरकारी संस्थाओं तथा जेल के बगीचों में सब्जी उगाने वालों ने भाग लिया। प्रदर्शनार्थ मुख्य रूप में वस्तुएं दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से प्राप्त हुई थी।

(ग) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न सूची में है । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०--3891/65]**

संयुक्त राज्य अमरीका से गेहूं

521. **श्री बालकृष्ण वासनिक :**
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री तुलशी दास जाधव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के अभाव वाले तथा अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए पी० एल० 480 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका से उनकी "फूड फॉर पीस प्लान" के अधीन मुफ्त गेहूं प्राप्त करने की अनुमति देने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) जरूरतमन्द लोगों की आवश्यकतायें पूरी करने और अल्प विकसित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य से सहायता के लिए प्रार्थना की जा सकती है। आर्थिक विकास परियोजनाओं में कार्य करने के लिए आंशिक मजूरी के रूप में निशुल्क गेहूं दिया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार से राहत उपायों/उनके द्वारा अभाव वाले क्षेत्रों में चालू की गई योजनाओं के बारे में पूरा-पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा गया था ताकि गेहूं की अपेक्षित मात्रा प्राप्त की जा सके। विस्तृत सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

"केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा अधिकारियों में असन्तोष"

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के मेडिकल अफसरों में पदोन्नति, उपलब्धियों आदि के बारे में व्याप्त असन्तोष ।"

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम जो लगभग 7 वर्ष से विचाराधीन थे 1 मई 1963 को जारी किये गये । इन नियमों में एक सेवा निर्मित करने की बात निहित है जिसमें अधिकारियों के पांच वर्ग होंगे और उनके वेतनमान इस प्रकार होंगे :—

वर्ग–"क"	1600–100–2000 रुपये
वर्ग––"ख"	1300–60–1600 रुपये
वर्ग—"ग"	675–35–850–40–1050–50–1300 रुपये
वर्ग––"घ"	425–25–450–30–600–35–705–ई० बी० 35–950
वर्ग—"ड"	325–25–500–30–590–ई० बी० 30–800 रुपये

इन वेतन मानों के अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक का वेतन मान 2750 रुपये है (नान० आई० ए० एस०) । इस सेवा के सभी पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को उनके वेतन का 25 प्रतिशत नान प्रैक्टिसिंग भत्ता दिया जाता है जो कम से कम 150 रुपये और अधिक से अधिक 400 रुपये है । इस सेवा में 2300 पद हैं जिनमें केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के पदों सहित स्वास्थ्य मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सामुदायिक एवं सहकार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघ क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल आदि के अन्तर्गत आने वाले पद सम्मिलित हैं । इन पदों में शिक्षकों के पद तथा सामान्य पद दोनों सम्मिलित हैं । इस सेवा 'अधिकारियों' को उपर्युक्त एजन्सियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है । इन नियमों में सीधी भर्ती के छोटे से कोटे के अतिरिक्त विभिन्न वेतनमानों के अधिकारियों की पदोन्नति की व्यवस्था है । विभिन्न पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति इस सेवा की समय-समय पर उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं पर आधारित होगी ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना मेडिकल अफसर एसोसिएशन ने 30 जुलाई 1963 को एक प्रत्यावेदन दिया था जिसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाये गये थे । इन प्रश्नों पर स्वास्थ्य मंत्रालय में विचार किया गया था और 31 मार्च 1964 को उस एसोसिएशन को उत्तर भेज दिया गया था । इस एसोसिएशन द्वारा उठाये गये प्रश्नों तथा उसको दिये गये उत्तर का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रख गया । देखिये संख्या एल.

टी. 3878/65]। एसोसिएशन ने इस विषय पर और आगे बातचीत करनी चाही थी और इस सम्बन्ध में 24 दिसम्बर 1964 को उनका एक प्रतिनिधिमण्डल स्वास्थ्य सचिव को मिला और उनसे उन प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक भी डाक्टरों से मिले।

3. केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की घोषणा तथा इस सेवा के विभिन्न वर्गों में 1300 मेडिकल अफसरों की नियुक्ति की एक अधिसूचना 1-1-65 को जारी की गई। इसके बाद इस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुझ से एक मुलाकात करनी चाही। मैंने 18 फरवरी, 1965 को उनसे तथा दिल्ली के अन्य केन्द्रीय सरकारी डाक्टरों से बातचीत की। इन प्रतिनिधियों के मुख्य प्रश्न इस प्रकार हैं :—

(1) मेडिकल अफसरों के दो मुख्य वर्ग हों—सामान्य चिकित्सक तथा विशेषज्ञ। इन दो वर्गों से ऊपर एक सुपर टाइम अथवा एक सेलक्शन ग्रेड भी हो सकता है।

(2) लाइसेंसिएट के लिए क्लास II सर्विस शुरू की गई थी और बहुत सी राज्य सरकारों ने उसे समाप्त कर दिया है। इसको समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में केवल क्लास I सर्विस वाले ही आने चाहियें।

(3) सामान्य चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों के लिए रनिंग टाइम स्केल होना चाहिए जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के मौजूदा वेतन मानों से काफी अधिक है।

(4) किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अलावा एक पद से दूसरे पद पर अथवा एक संस्था से दूसरी संस्था में बदली नहीं होनी चाहिए।

(5) स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) डिग्री वालों को 150 रुपये मासिक तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वालों को 75 रुपये मासिक स्नातकोत्तर भत्ता मिलना चाहिए।

(6) नान प्रैक्टिसिंग भत्ता वेतन का 50 प्रतिशत होना चाहिए न कि 25 प्रतिशत जैसा कि इस समय है।

(7) शिक्षकों को शिक्षण-भत्ता मिलना चाहिए।

इन प्रतिनिधियों को यह बताया गया कि वेतनमान तथा अन्य सेवा शर्तों के बारे में उनको मांगों पर सम्बंधित मंत्रालयों से विचार विमर्श करके विचार किया जायेगा।

मेडिकल अफसरों का विचार है कि उनके वेतनमान आई० ए० एस० तथा सी० पी० डब्ल्यू० डी० इंजिनियरों के लिए निर्धारित वेतन मानों की तुलना में बहुत ही कम है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मेडिकल कोर्स एक बहुत लम्बा कोर्स है तथा डाक्टर एक इंजिनियर और एक आई० ए० एस० अफसर की अपेक्षा काफी देर बाद कमाना शुरू करता है, सामान्य चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों के लिए एक रनिंग टाइम स्केल होना चाहिए।

4. उनके साथ खुल कर बातचीत हुई और मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा, किन्तु इन अधिकांश प्रश्नों पर निर्णय करने के लिए वित्त तथा गृह मंत्रालयों के साथ परामर्श करना जरूरी है। मैंने उनको यह भी बतलाया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना कुछ ग्रुपों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई हे, और अब किसी विशिष्ट पद पर कोई भर्ती नहीं की जा रही है। वे चाहते थे कि यदि उन्हें दूर दूर तथा कठिन क्षेत्रों

में भेजा जाये तो इसके लिये उनको मुआवज़ा दिया जाये । मैंने उन्हें बतलाया कि इस प्रश्न पर भी सावधानी से विचार किया जायेगा ।

जाते हुए उनमें से एक ने कहा कि जब तक उनके द्वारा उठाये गये इन विभिन्न प्रश्नों की जांच की जाती हैं तब तक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को कार्यरूप में न लाया जाये । मैंने उन्हें बतलाया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना 1—1—65 से अर्थात जब से अधिसूचना जारी की गई है, पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है । मेरा ख्याल था कि वे मीटिंग से संतुष्ट हो कर ही गये हैं । उसी शाम को मैं ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस से इन्दौर चली गई ।

अत: 23 की सुबह को जब मैं वापिस आई तो मुझे यह सुन कर बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने अपने ओवर कोट की बाहों पर काली पट्टियां बाध कर 22 तारीख से विरोध सप्ताह मनाना शुरू कर दिया है ।

लगता है कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को यह सूचित कर दिया था कि जब तक उनको केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों को कार्यान्वित न करने का आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक वे विरोध सप्ताह मनाते रहेंगे । महानिदेशक ने विभिन्न अस्पतालों आदि के अधीक्षकों के ज़रिये उन्हें सूचित कर दिया था कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई उनकी बैठक को दृष्टि में रखते हुए तथा उनके द्वारा बतलाई गई कठिनाइयों तथा शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का जो स्पष्ट आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें दिये हैं उनको दृष्टि में रखते हुए ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे विरोध सप्ताह मनायें । उन्होंने यह भी बतलाया कि इस प्रकार का आचरण चिकित्सा व्यवसाय वालों तथा उनके स्तर के सरकारी कर्मचारियों को शोभा नहीं देता । उनमें से कुछ अनौपचारिक रूप से कल मुझ से मिले और उन्होंने मुझे बतलाया कि समाचार पत्रों में रविवार 28 फरवरी को जिस प्रस्ताव के पारित होने की सूचना छपी है यह कुछ ऐसी अफवाहों पर आधारित है कि उनके प्रत्यावेदन की जांच पर हो सकता है 6 महीने से 6 साल तक लग जायें तथा इस बीच 120 नामों की एक सूची तैयार कर दी गई है जिन्हें नागालैंड, नेफा आदि स्थानों पर भेज दिया जायेगा। मैं अपने साथियों, केद्रीन्य स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को यह बतला देना चाहती हूं कि ये अफवाहें एक दम निराधार हैं । काश वे इन अफवाहों पर विश्वास करने से पहले इसकी पुष्टि के लिये मेरे पास आये होते ।

हम उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर यथाशीघ्र विचार करेंगे। महोदय, क्या मैं निवेदन कर सकती हूं कि मैं स्वयं भी चिकित्सा व्यवसाय की एक सदस्या हूं और इस महान व्यवसाय के हित तथा इसकी प्रतिष्ठा मुझे भी उतनी ही प्रिय है जितनी इस व्यवसाय के अथवा इस व्यवसाय के बाहर के किसी अन्य व्यक्ति को है । मुझे आशा है कि इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के मेरे साथी कुछ और धैर्य से काम लेंगे और इस तथ्य से सहमत होंगे कि यह आन्दोलन अनावश्यक है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं चिकित्सा सेवा के अधिकारियों को उनके शानदार ढंग से अपना आन्दोलन चलाने के लिये बधाई देता हुआ, मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों का वेतन भारतीय प्रशासन सेवा तथा अन्य तकनीकी सेवाओं के बराबर करने का है ?

डा० सुशीला नायर : डाक्टरों के वेतन का स्केल भारतीय प्रशासन सेवा तथा इंजीनियर आदि से कम नहीं है। डाक्टरों का कहना है कि यह वेतन तो उनका तब होता है जब कि उनके वेतन में

में उनका बाहर डाक्टरी न करने का भत्ता भी मिला दिया जाता है । वे चाहते हैं कि गैर-सरकारी डाक्टरी करना तो उनका हक है और इसलिये जब उनके वेतन की भारतीय प्रशासनीय सेवा आदि से मुकाबिला करें तो इसे उसमें शामिल न किया जावे । फिर वे यह भी कहते हैं कि वे भारतीय प्रशासनीय सेवा से अधिकारियों के मुकाबले देर में कमाना प्रारम्भ करते हैं ।

Shri Balmiki (Khurja): Is there some difficulty in the appointment of a Commission?

Dr. Sushila Nayar: I met the Finance Minister and the Home Secretary and they told me to discuss it with me when they are free from budget work.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Why the communications of the doctors being thrown into waste paper basket and what is the difficulty in the government's way in not agreeing to the doctor's demands and thereby creating this unpleasant situation?

Dr. Sushila Nayar: No letters have been thrown into waste paper basket. As soon as I received a letter from them I met them. Before that too they had met the Secretary of the Ministry and the Director-General.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या सरकार इतना मानने को तैयार है कि डाक्टर वास्तव में व्यवसाय सम्बन्धी सुविधाओं से सन्तुष्ट नहीं हैं ?

Dr. Sushila Nayar: There is no question of conceding anything. The doctors are agitating because they feel certain grievances and are observing this protest week.

श्री बूटा सिंह (मोगा) : क्या मंत्री महोदय डाक्टरों की कार्यवाही समिति के प्रतिनिधियों से मिलने को तैयार हैं ताकि उन्हें अपनी बात समझा सकें और गलतफहमी दूर कर सकें अथवा वह केवल व्यक्तिगत डाक्टरों से ही मिलने को चाहती हैं ?

Dr. Sushila Nayar: I read about this Action Committee in the newspaper and I told that I am prepared to meet those who want to meet me. They met me and told me that they were meeting in an informal manner. In the meanwhile I received this calling attention notice and I hope after reading this statement of mine they will be pacified. I also request the hon. members here to cooperate with me in the solution of this problem.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The doctors have their own association and government has not talked to their representatives. The government should now do so to find out a solution to this problem.

Dr. Sushila Nayar: All these representations have been received from C.G.H.S. doctors. They are scattered all over India. I do not know whether there is an organisation which may represent all the doctors.

Shri Bagri (Hissar): Can the hon. minister state about the dates when she met these doctors. Whether she met them before or after the 1st January?

Dr. Sushila Nayar: Sir, I do not remember the actual dates of my meeting these people. However I met them on 18th February and I also met them informally yesterday.

श्री रंगा (चित्तूर) : महोदय क्या हमें यह पूछने का हक है कि मंत्री महोदय अपने सहयोगी मंत्रियों से कब मिलीं ?

Mr. Speaker: I agree with Shri Ranga that no question can be raised here about her talks with her colleagues.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): मैं सारे मंत्रिमण्डल की ओर से कह रहा हूं कि इन लोगों से बातचीत की जावेगी और जल्दी से सन्तोषजनक समझौता करने की कोशिश करेंगे ।

Shri Yashpal Singh: Can the Government state that when they are transferred to centrally administered areas they get very little D.A. and T.A. If so, what steps are Government taking to remove it?

Dr. Sushila Nayar: That is a different question. But nobody is put to a disadvantage merely because he is posted outside. However we will examine the question of giving more allowances when they are posted to difficult terrains.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): The Minister has not stated clearly whether she met the representatives of the doctors. She met only doctors in their individual capacity.

Dr. Sushila Nayar: The representatives of the C.G.H.S. along with some other doctors were invited for talks. There is no union of any kind and there can be no union of doctors. There is an association of the C.H.S. doctors, as its previous name was.

Shri Madhu Limaye: There is a union but the government does not want to invite them.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वे मंत्री महोदय तथा मंत्रालय के सचिव श्री रामध्यानी से मिलना चाहते थे ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : उनकी एक मान्यता प्रदान की हुई संस्था है ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य अपने जोश में मंत्री महोदय की बात को नहीं सुन रहे हैं। मंत्री ने माना है कि उनकी एक संस्था है ।

श्री कपूर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री बनर्जी ने एक अधिकारी श्री रामध्यानी आई० सी० एस० के बारे में कहा कि वह भड़का रहे थे। इस प्रकार से किसी अधिकारी का जिक्र करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हमें किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहिये। इन बातों के लिये सदन में मंत्री उत्तरदायी हैं ।

श्री नाथ पाई : श्री नन्दा ने अभी कहा है कि वह सारे मंत्रिमण्डल की ओर से विश्वास दिला रहे हैं। क्या वह इस समय उपप्रधान मंत्री का कार्य कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई ने स्वयं ही एक दिन कहा था कि प्रधान मंत्री को सदन में होना चाहिये अथवा कोई और वरिष्ठ मंत्री सारी सरकार की ओर से बात कहा करे। श्री नन्दा क्योंकि यहां सब से वरिष्ठ मंत्री हैं इसलिये सारी सरकार की ओर से बोल रहे थे ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Is it a fact that when the representatives of the association of doctors wanted to meet the Minister, she replied that she did not recognise their association and that they could meet her in their individual capacity? Is government prepared to meet them and give them an assurance that within a week either their demand will be considered or a Commission will be appointed for that purpose?

Dr. Sushila Nayar: My submission is that the association is only of a group and hence when we invited those representatives we also invited others. Secondly those who are in Delhi are afraid of going outside Delhi which is against the terms of appointment. Now we know all their points and if we want to know something more, we will invite them. I know the doctors better than Shri S. M. Banerjee.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या यह सत्य है कि सरकार ने दूर स्थानों पर भेजने के लिये प्रयाप्त मात्रा में डाक्टर भर्ती नहीं किये हैं और इसलिये जब इन्हें भर्ती किया गया था तो इनसे वहां जाने के लिये काफी मुआवजा तथा तरक्की के आश्वासन दिये गये थे। यदि ऐसा है तो सरकार इसे क्यों नहीं कार्यान्वित करती ?

डा० सुशीला नायर : जिन बातों पर विचार किया जावेगा उनमें एक यह भी है।

श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा (आनन्द) : यहां से डाक्टर पहले ही इंग्लैंड, अमरीका तथा अन्य देशों को भाग रहे हैं और यदि सरकार की यही हालत रही तो और भी भाग जावेंगे। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस समस्या पर शीघ्र ध्यान दे और डाक्टरों को तंग न किया जावे ।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : क्या मंत्री महोदय ने जो पिछला वित्त आयोग था उसने डाक्टरों के वेतन आदि के बारे में जो सिफारिश की उसे भी ध्यान में रखा गया है ?

श्री सेज़ियान (पेरम्बूर) : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि यह समझौता जल्दी ही हो जावेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बता सकती हैं कि ठीक कितना समय लगेगा अर्थात् एक महीना, दो महीने, छः महीने अथवा एक वर्ष ?

डा० सुशीला नायर : ठीक समय तो में नहीं बता सकती परन्तु हम इसे जल्दी से जल्दी करेंगे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 26 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1832 में प्रकाशित मद्रास मोटे अनाज (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1964

(दो) दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1843

(तीन) दिनांक 26 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1846 में प्रकाशित दक्षिण राज्य (चावल के निर्यात का विनियमन) दूसरा संशोधन आदेश, 1964

(चार) दिनांक 31 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1860 में प्राकाशित बेलन मिलें गेहूं उत्पाद् (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1965

(पांच) दिनांक 2 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 22 में प्रकाशित महाराष्ट्र और गुजरात चावल (निर्यात) नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1965

(छः) दिनांक 2 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 39 में प्रकाशित दिल्ली बेलन मिलें गेहूं उत्पाद् (फुटकर मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1965

(सात) दिनांक 9 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 76 में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद् (लाने ले जाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1965

(आठ) दिनांक 9 जनवरी 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 77 में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल वसूली (शुल्क) संशोधन आदेश, 1965

(नौ) दिनांक 5 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 87 में प्रकाशित बेलन मिलें गेहूं उत्पाद् (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965

(दस) दिनांक 5 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 88 में प्रकाशित आन्ध्र प्रदेश मोटे अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1965

(ग्यारह) दिनांक 5 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 89 में प्रकाशित राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, 1965

(बारह) दिनांक 6 जनवरी, 1965 की अधिसूचना, संख्या जी० एस० आर० 90 में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद् (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965

(तेरह) दनांक 6 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 91 में प्रकाशित दिल्ली गेहूं तथा गेहूं उत्पाद् (निर्यात का निषेध) आदेश, 1965

(चौदह) दिनांक 11 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 92 में प्रकाशित उड़ीसा चावल वसूली (शुल्क) संशोधन आदेश, 1965

(पन्द्रह) दिनांक 11 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 93 में प्रकाशित आन्ध्र प्रदेश चावल तथा धान (लाने ले जाने पर रोक) आदेश, 1965

(सोलह) दिनांक 21 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 158 में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965

(सत्रह) दिनांक 21 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 159 में प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, 1965

(अठारह) दिनांक 30 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 180 में प्रकाशित पश्चिमी बंगाल चावल (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965

(उन्नीस) दिनांक 23 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 182 में प्रकाशित भारतीय मक्का (डेक्स्टरोज के निर्माण में अस्थायी उपयोग) आदेश, 1965

(बीस) दिनांक 27 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 184 में प्रकाशित पांडिचेरी मोटे अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश 1965

(इक्कीस) दिनांक 3 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 214 में प्रकाशित आन्ध्र प्रदेश चावल तथा धान (लाने ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, 1965

(बाईस) दिनांक 3 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 214-क में प्रकाशित दक्षिण राज्य (चावल निर्यात विनियमन) संशोधन आदेश, 1965

(तेईस) दिनांक 5 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 215

(चौबीस) दिनांक 8 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 217 में प्रकाशित चावल (दक्षिण क्षेत्र) लाने ले जाने पर नियंत्रण संशोधन आदेश, 1965

(पच्चीस) दिनांक 8 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 218 में प्रकाशित दक्षिण राज्य (चावल निर्यात विनियमन) दूसरा संशोधन आदेश, 1965

(छब्बीस) दिनांक 10 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 244 में प्रकाशित उड़ीसा चावल वसूली (शुल्क) दूसरा संशोधन आदेश, 1965 । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—3879/65]** ।

(2) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 12–क के अन्तर्गत दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 । **[पुस्तकालय में रखी गई । दखिय संख्या एल० टी०—3880/65]** ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 30 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वर्ष 1963–64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3881/65]** ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रक्रिया)

RE: CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE (Procedure)

अध्यक्ष महोदय : एक और ध्यान दिलाने वाली सूचना आई है, क्योंकि अब एक ही सूचना को लिया जा सकता है, इस सूचना को 4 बजे लिया जायगा ।

मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के बारे में

RE: RESIGNATION BY MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : 18 फरवरी, 1965 को श्री नाथ पाई ने यह प्रश्न उठाया था कि ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स की परम्परानुसार खाद्य और कृषि मंत्री को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के सम्बन्ध में सभा में एक वक्तव्य देना चाहिये । मैंने उस विषय की जांच की है और नियम 199 (1) के अन्तर्गत किसी भी मंत्री के लिए अपने त्यागपत्र के सम्बन्ध में वक्तव्य देना आवश्यक नहीं है। और हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई सरकारी सूचना भी नहीं है कि क्या मंत्री महोदय ने त्यागपत्र दिया था या नहीं और क्या प्रधान मंत्री ने इसे स्वीकार किया था या नहीं। यह मंत्रिमंडल के आन्तरिक मामले हैं। अतः मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य देना मैं आवश्यक नहीं समझता।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : आपने कहा है क्योंकि यह मंत्रिमंडल का आन्तरिक मामला है इसलिये हमें जानने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु मैं आपका ध्यान प्रधान मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं। "यह सब आकस्मिक रूप से हुआ, श्री सुब्रह्मण्यम ने अपने त्यागपत्र की सूचना एकदम समाचार पत्रों में दे दी।" ऐसे मामलों में क्या संसद् को ही वंचित रखा जायगा। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए क्या हमें समाचार पत्रों को ही देखना पड़ेगा। चाहे श्री सुब्रह्मण्यम के लिये बताना अनिवार्य नहीं था फिर भी आप उनसे त्याग पत्र देने के कारण को पूछ सकते थे। अतः मेरा प्रस्ताव उचित था।

श्री रंगा (चित्तूर) : आपका विनिर्णय पूर्णरूप से संतोषजनक होता यदि वह इसे अपने तक ही सीमित रखते और जनता को न बताते। परन्तु दुर्भाग्यवश प्रधान मंत्री ने जो कुछ हुआ उसकी घोषणा कर दी। अतः मेरा यह सुझाव है कि या तो वह मंत्रीमंडल के मामलों की घोषणा न किया करें या फिर सभा में वक्तव्य दिया करें।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई मंत्री त्यागपत्र दे या वापिस ले तो उसे उस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए बाध्य करने की मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। हमारे नियमों के अनुसार यदि कोई मंत्री त्यागपत्र देता है और वह स्वीकार हो जाता हैं तो उसे उस सम्बन्ध में वक्तव्य देने का विशेषाधिकार है।

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

पशु कल्याण बोर्ड

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5 (1) (एक) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (एक) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

बीमा संशोधन विधेयक, 1965
INSURANCE (AMENDMENT) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीमा अधिनियम, 1938 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीमा अधिनियम 1938 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1964-65
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 1964-65

वर्ष 1964–65 के लिए सामान्य आय व्ययक के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	सामुदायिक विकास तथा सहकार मत्रालय	40,000
3	प्रतिरक्षा मंत्रालय . . .	1,28,000
6	प्रतिरक्षा सेवायें ––सक्रिय––वायु सेना	2,95,70,000
19	वित्त मंत्रालय .	3,08,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
21	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	55,50,000
22	निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर .	28,00,000
23	स्टाम्प	8,19,000
24	लेखा परीक्षा .	55,00,000
26	टकसाल .	20,00,000
29	प्रादेशिक और राजनैतिक पैंशनें	80,000
30	अफीम . .	39,00,000
33	राज्यों को सहायक अनुदान	50,00,000
36	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय .	2,82,000
37	कृषि	29,35,000
40	वन .	1,000
42	स्वास्थ्य मंत्रालय .	1,00,000
45	गृह-कार्य मंत्रालय .	13,43,000
46	मंत्रिमंडल .	2,20,000
47	क्षेत्रीय परिषदें . .	23,000
48	न्याय प्रशासन .	16,000
51	अंक संकलन .	24,21,000
53	दिल्ली .	20,00,000
54	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह . .	14,12,000
55	लक्कदीव मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह .	4,02,000
60	उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	27,000
61	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	98,000
63	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,97,000
64	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय	2,50,000
67	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	1,46,000
78	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	86,11,000
79	इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय	13,47,000
85	संचार (राष्ट्रीय राजपथ सहित) . .	1,89,66,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
88	उड्डयन	20,00,000
90	निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय . .	88,000
91	सरकारी निर्माण कार्य	6,68,31,000
92	लेखन सामग्री और छपाई . . .	1,62,30,000
93	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . .	1,15,89,000
94	निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	86,000
96	अणु शक्ति गवेषणा	9,75,000
97	संसद्-कार्य विभाग	20,000
98	डाक तथा तार विभाग	64,000
100	डाक तथा तार (कार्यचालन व्यय) . .	2,98,16,000
103	संभरण विभाग	1,42,000
104	संभरण और निपटान	4,91,000
107	तकनीकी विकास विभाग का अन्य राजस्व व्यय . .	72,000
120	पेंशनों का राशिकृत मूल्य . . .	46,79,000
122	विकास के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	1,07,26,000
123	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	34,00,00,000
125	अन्न की खरीद	86,81,00,000
126	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	4,20,00,000
132	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय .	6,67,00,000
135	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,000
136	इस्पात, खान और भारी इंजीनियरी मंत्रालय का पूंजीपरिव्यय . .	1,000
137	सड़कों पर पूंजी परिव्यय . .	2,57,05,000
138	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	60,75,000
140	परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	3,000
141	सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,50,00,000
145	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	5,10,00,000

सामान्य आय व्ययक 1964–65 के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
125	1	श्री अल्वारेस	अधिक परिमाण में अन्न खरीदने की उपयुक्तता	100 रुपये
91	7	श्री कपूर सिंह	सरकारी धन का अपव्यय, बर्बादी और दुरुपयोग और भ्रष्टाचार और प्रशासन सम्बंधी व्यवस्था व्यय में बर्बादी	100 रुपये
125	8	श्री कपूर सिंह	उत्पादकों को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि अन्न निगम के निर्माण से उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी	100 रुपये
19	12	श्री स० मो० बनर्जी	महंगाई भत्ते के सूत्र में तुरन्त परिवर्तन करने की आवश्यकता	100 रुपये
19	13	श्री स० मो० बनर्जी	कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में महंगाई भत्ते में परिवर्तन करने की आवश्यकता	100 रुपये
19	14	श्री स० मो० बनर्जी	600 रुपये से 1200 रुपये महावार पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की आवश्यकता	100 रुपये
37	17	श्री स० मो० बनर्जी	कृषि मूल्य आयोग की स्थापना	100 रुपये

1	2	3	4	5
125	24	श्री स० मो० बनर्जी	संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत अन्न का आयात	100 रुपये
125	25	श्री स० मो० बनर्जी	विदेशों से मंगाये गये अन्न का विभिन्न राज्यों में वितरण	100 रुपये
40	18	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	देश की वन सम्पत्ति का संरक्षण करने की आवश्यकता	100 रुपये
85	22	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	अधिक सड़कों की आवश्यकता .	100 रुपये
125	26	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	अधिक परिमाण में अन्न खरीदने की आवश्यकता	100 रुपये
78	40	श्री हुकम चन्द कछवाय	संयुक्त राज्य अमेरिका के मेसर्स बेखटेल कारपोरेशन को भुगतान	100 रुपये
98	42	श्री हुकम चन्द कछवाय	विभाग के लिए अतिरिक्त स्टाफ कार की खरीद	100 रुपये
123	43	श्री हुकम चन्द कछवाय	खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए ऋणों का पुनर्नवीकरण	100 रुपये
6	29	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	भारतीय वायु सेना के असनिक कर्मचारियों और सैनिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में परिवर्तन	100 रुपये
19	30	श्रीमती रेण चक्रवर्ती	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिये गये महंगाई भत्ते की दरों में परिवर्तन	100 रुपये
19	31	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	सरकारी उपक्रम कार्यालय की स्थापना	100 रुपये

1	2	3	4	5
19	32	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	नगरपूरक भत्ते की दरों में परिवर्तन	100 रुपये
37	35	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कृषि मूल्य आयोग की स्थापना .	100 रुपये
48	36	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	संयुक्त राज्य अमेरिका में एकाधिकार विधि की क्रियान्विति का अध्ययन	100 रुपये
54	37	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के कर्मचारियों पर अतिरिक्त खर्च और पेड़ों को गिराने का कार्य	100 रुपये
60	38	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पेटेन्ट्स और डिजाइन विभाग पर अतिरिक्त व्यय .	100 रुपये
63	39	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	प्रसारण तथा सूचना के माध्यमों सम्बन्धी समिति की स्थापना	100 रुपये
125	44	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पी० एल० 480 के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात	100 रुपये
126	45	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	भारत के खाद्य निगम द्वारा चावल की वसूली	100 रुपये
140	46	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	रिवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के शेअरों में विनियोजन	100 रुपये

अध्यक्ष महोदय : मांगें और ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : अनुपूरक अनुदानों की मांगों में महत्वपूर्ण मांग दास आयोग के निर्णय के कारण हुए मंहगाई भत्ते में पुनरीक्षण से सम्बंधित है। उस संदर्भ में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि छोटे लोगों को तो कुछ नहीं मिला परन्तु बड़े लोगों को बहुत कुछ मिल गया है । वातस्व में हम तो संसद में यही जोर देते रहे हैं कि कम आय वाले लोगों को कुछ राहत दी जाय । वास्तव में यह कम आय वाले लोगों को ही कठिनाई है । मेरा निवेदन यह है कि मंहगाई भत्ते के मामले में निम्न वेतनक्रम में कर्मचारियों को उच्च वेतनक्रम के कर्मचारियों की अपेक्षा बहुत कम दर पर मंहगाई भत्ता दिया गया है । निम्न वेतनक्रम के वेतन पर मंहगाई का बहुत विपरीत प्रभाव हुआ है और इस श्रेणी के कर्मचारियों को ही मंहगाई व्यय पूरा करने के हेतु वेतन का 100

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

प्रतिशत भत्ता दिया जाना चाहिए । इस बात को दास आयोग ने भी स्वीकार किया है कि दूसरे वेतन आयोग ने निर्वाह-व्यय के निदेशनांक तथा श्रमजीवी श्रेणी सम्बन्धी निदेशनांक दोनों के संबंध में अनुगणना गलत है। इन आंकड़ों का वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं। बात यह है कि जो कुछ आंकड़ों में बताया गया है, उससे मूल्यों में वृद्धि कहीं अधिक है । अतः मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में जो राशि अनुपूरक अनुदानों की मांग के रूप में प्रस्तुत है, इसे और बढ़ाया जाना चाहिये । यह इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी मद है ।

अमरीकन फर्म "दी बैचेल फर्टलाइजरज़" द्वारा पांच नई उर्वरक फैक्टिरियों की स्थापना की जाने वाली है जिसकी लागत 200 करोड़ रुपये बैठेगी जब कि भारतीय विशेषज्ञों का मत है कि उनकी लागत 150 करोड़ रुपये के अन्दर होगी । फर्म ने जिस जानकारी की प्रस्तावना की है वह भी बहुत उच्च स्तर की नहीं है । फिर भी उस फर्म ने वस्तुओं के मूल्य निर्धारण विपणन तथा वितरण के संबंध में कई शर्तें लागू की हैं । यह सरकार द्वारा पूंजी सहभागिता में अधिकांश 'शेयर' प्राप्त करने की प्रस्तावना से भी असहमत हैं । मूल्य निर्धारण, उत्पादन तथा सामरिक दृष्टि से उर्वरक जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के वितरण का मामला किसी विदेशी व्यवसाय पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये, वास्तव में उर्वरक कारखाने के बनाए जाने के सारे मामले को किसी विदेशी सार्थ को सौंपे जाने के विषय की छानबीन की जानी चाहिये ।

आजकल संसद की एक समिति सरकारी उपक्रमों के कार्यों की जांच कर रही है । प्राक्कलन समिति भी है । इसलिये सरकारी उपक्रम विभाग स्थापित करके अतिरिक्त व्यय करने का कोई औचित्य नहीं है । आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी उपक्रमों को नौकरशाही से मुक्त कराया जाये और उन्हें अधिक दक्ष बनाया जाये । सरकारी क्षेत्र के बहुत से उपक्रम प्रविधिक रूप के हैं इसलिये असैनिक पदाधिकारियों को उनका भार सौंपने के बजाय यह अच्छा है कि उच्च-कोटि के टेक्निकल लोगों को, जिनके पास न्यूनतम जानकारी हो, इनका भार सौंपा जाये ।

बड़े बड़े नगरों के आसपास जितना भी नगरीय क्षेत्र है, उसमें रहने वालों को भी नगर भत्ता दिया जाना चाहिये । कृषि वस्तुओं के मूल्यों और निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में समता का प्रश्न कृषक के दृष्टिकोण से ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है परन्तु यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न भी है । जब तक कि सरकार जन साधारण के उपभोग में आने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण नहीं करती, समता के आधार पर कृषि-वस्तुओं के मूल्य निर्धारित नहीं किये जा सकते । हम इन अनुपूरक मांगों को स्वीकार कर रहे हैं, परन्तु क्या पूर्ण निश्चय से इन उद्देश्यों पर अमल करेगी । ऐसी मशीनरी की व्यवस्था करेगी जिससे कि वितरण की व्यवस्था ठीक हो सके तथा कीमतों पर भी नियंत्रण रखा जाय । हमें यह देखना चाहिये कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि प्रत्येक उपभोक्ता को हो सके ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं तीन मांगों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूंगा । मांग संख्या 3 (प्रतिरक्षा मंत्रालय सम्बन्धी) संख्या 53 (गृह कार्य मंत्रालय सम्बन्धी) संख्या 61 (सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय सम्बन्धी) ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैं सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इन सारी मांगों को अस्वीकृत कर दिया जाये । सारी मांग 6178000 रुपये की है । आम लोगों में सैन्य शक्ति की कार्यकारी शक्तियों को संकुचित

लाभ के लिये प्रयोग करने के बारे में सन्देह होने लगा है। ऐसा विचार है कि देश के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य हो रहा है। इसके लिये मैं यह उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में सिखों को छोड़ भारत की सभी योद्धा जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। सिखों को इसमें नहीं रखा गया था ।

इस तथ्य की ओर प्रतिरक्षा मंत्रालय का ध्यान दिलाया गया तो यह कहा गया कि भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी तक उल्लिखित विविध काल के सेनानियों को ही झांकी में सम्मिलित किया गया था। सिख क्योंकि इस इतिहास में नहीं हैं और वे 19वीं शताब्दी में सामने आये हैं, अतः उन्हें इस झांकी में सम्मिलित नहीं किया गया। मेरा निवेदन यह है कि इतिहास के तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत हैं ।

यह भी कहा जा रहा है और इस मामले में सन्देह भी है कि कोई मौखिक अथवा लिखित आदेश जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि राजपूतों और सिखों को उनको सदैव अपनी रेजिमेन्टों मैं नियुक्त न किया जाय। साथ ही यह भी कि मराठा अधिकारियों को सदैव उनकी अपनी रेजिमेन्टों में नियुक्त किया जाय। मेरा अनुरोध यह है कि सिख और मराठा सैनिकों का परस्पर अच्छा सम्बन्ध रहा है और देश की एकता की दृष्टि से इन सम्बन्धों को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। विशेष रूप से आज के भीषण खतरे को देखते हुए ।

इसके अतिरिक्त में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अर्जित भूमि का मुआवजा ठीक नहीं दिया जा रहा। एक मामले में जमीन का मुआवजा 42000 रुपये निर्धारित किया गया, परन्तु उच्च न्यायालय में अपील करने पर उसकी राशि 3 लाख 11 हजार कर दी गयी। मेरा कहना यह है कि सरकार ने दिल्ली में भूमि अर्जन के लिए जो मुआवजा निर्धारित की है वह बहुत ही अपर्याप्त है। इस मामले में बहुत अन्याय किया गया है। इस तरह से हम समाजवाद नहीं ला सकते। मेरा कहना है कि ये अनुपूरक मांगें पारित नहीं की जानी चाहिएं। सरकार का व्यवहार इस दिशा में बहुत उपेक्षापूर्ण रहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जलौर) : ये अनुपूरक मांगों का क्षेत्र काफी व्यापक है और इन पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। मैं अल्पकाल में अधिक विस्तार में तो जा नहीं सकता परन्तु तीन बातें कहना ही चाहता हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति हैं। समवाय विधि प्रशासन भी उनके ही आधीन है। मतलब यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समन्वय करने के लिए बनाये गये विशेष विभाग का मतलब सभी मंत्रालयों पर जिन्हें कि सरकारी उपक्रमों से व्यवहार करना पड़ता है, वित्त मंत्री का प्रभुत्व स्थापित करना है। उनकी शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। जब वह आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री थे, उस समय उनके नियंत्रण में एक समन्वय व्यवस्था स्थापित की गयी थी। यह पता नहीं चल सका कि उसके सम्बंध में क्या हुआ और अब जब कि वह वित्त मंत्रालय में आ गये हैं तो उसका कार्यभार किसने सम्भाला है। और वह काम किस स्थिति में है। मेरा मत यह है कि समन्वय प्राधिकार तो प्रधान मंत्री के हाथ में होना चाहिए। ऐसा न होने के कारण सात मंत्रालयों को वित्त-मंत्रालय के आश्रय पर रहना पड़ता है हमें यह पता चलना चाहिए कि वित्त मंत्री के अन्य मंत्रालयों के साथ सम्बन्धों का आधार क्या है। इसी संदर्भ में यह भी पता चलना चाहिए कि सरकारी उपक्रम समिति की स्थिति क्या है ?

संसद की समिति अर्थात सरकारी उपक्रम समिति पहले से ही है और हमें यह बताया जाना चाहिये कि इस विभाग में और उक्त समिति में क्या सम्बन्ध होगा। हमें बहुत से प्राधिकार स्थापित

[श्री हरिश्चद्र माथुर]

नहीं करने चाहियें क्योंकि इन पर खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कुछ विशेषज्ञों की नियुक्ति करके सरकारी उपक्रम समिति के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाये ।

निश्चय ही हमारे खाद्य प्रशासन में कुछ दोष हैं। यह आश्चर्यजनक है कि अच्छी फसल होने के बावजूद भी मूल्य इतने बढ़ जायें और देश के कुछ भागों में खाद्यान्न उपलब्ध न हो। राज्य सरकारों को दोषी ठहराने में, जो कि हमारी खाद्य मंत्री की आदत बन गई है, कोई लाभ नहीं ।

पिछले 6 वर्षों से हम बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के बारे में चर्चा कर रहे हैं और किसी को भी यह पता नहीं कि सरकार किस स्तर तक मूल्यों को बढ़ने से रोकना चाहती है। संसार के दूसरे देशों की तुलना में 1953 से भारत में ही मूल्य सबसे ऊंचे रहे हैं। मूल्य के बारे में हमारी ठीक-ठीक नीति होनी चाहिये और उसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की जानी चाहिये। हमें यह प्रयत्न करने चाहियें कि मूल्य 1956 के स्तर पर आ जायें। और हमें यह बताया जाय कि इस दिशा में वित्त मंत्री क्या करने का इरादा रखते हैं। खेद की बात है कि खाद्य मंत्री चीनी के बारे में कुछ नहीं कर सके। केवल अपने कारनामों से कुछ कठिनाइयां अवश्य पैदा कर दी हैं ।

श्री हिम्मतसिंहका (गौंडा) : मैं अपनी बात को कृषि सम्बन्धी मांगों तक ही सीमित रखूंगा। कई एक ऐसी योजनायें इस दिशा में हैं, जिन्हें तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए ले लेना चाहिए। उद्देश्य यह है कि देश में उत्पादन की वृद्धि हो। कृषि क्षेत्र में सरकार को ऐसी योजनायें ही हाथ में लेनी चाहिएं जो 12 मास में ही कार्यान्वित कर ली जायें और जिन पर अधिक व्यय न हो। उसका परिणाम भी शीघ्र ही निकलना चाहिए। इसका परिणाम यह भी होगा कि सरकार को काफी सीमा तक आयात में कटौती करने में सहायता मिलेगी ।

मेरा यह भी निवेदन है कि खंड विकास अधिकारियों को अधिक धन देना चाहिये ताकि वे सड़कों के सुधार इत्यादि विकास कार्यों में रुचि प्रदर्शित करें और उन्हें हाथ में ले सकें। सरकार को उन गैर सरकारी संस्थाओं को भी सहायता देनी चाहिए जो कि संथाल परगना में कोढ़ तथा क्षय रोग निवारण के कार्य में लगी हुई हैं। इन संस्थाओं की सहायता की जाय तो यह थोड़े व्यय में अधिक कार्य कर सकती है। वैसे तो बहुत सी संस्थायें ऐसा कार्य कर रही हैं और सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए ।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : मैं ऋणों के भुगतान वाली 28 करोड़ रुपये की मांग का सबसे पहिले उल्लेख करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि ऋणों के भुगतान का मामला बहुत गम्भीर है। माननीय वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मामला काफी गश्म्भीर है। एक और छोटा सा मामला जो कि पृष्ठ 79 पर मांग संख्या 79(ख) के नीचे, 88,700 रुपये इस्पात मंत्रालय के लिये एक कार खरीदने तथा दो अन्य विषयों के बारे में है । यह कार राज्य व्यापार निगम से खरीदी जावेगी । इतनी महंगी कार खरीदने की क्या आवश्यकता है। यदि मेरा अनुमान ग़लत है तो वित्त मंत्री ठीक बतायें कि इस्पात मंत्रालय की यह कार कितने में खरीदी जावेगी ।

तीसरा विषय मांग संख्या 125 पृष्ठ 116 के बारे में है । जिसका सम्बन्ध अन्न खरीदने से है । इस मांग को अधिक ढंग से समझाना चाहिये था । वित्त मंत्री

ने पिछले वर्ष जो आर्थिक सर्वेक्षण सदन में प्रस्तुत किया यदि उसे देखा जावे तो पता लगेगा कि देश में अन्न का उत्पादन जितना इन के अनुमान के अनुसार कम हुआ उससे कहीं अधिक उन्होंने बाहर से आयात किया है । उदाहरण के लिये इनके अनुमान से 1,22,000 टन गेहूं तथा 4,22,000 टन चावल कम उत्पन्न हुआ । इसके लिये 26 लाख टन गेहूं और 5.5 लाख टन चावल आयात किया यदि इनकी बात ठीक है तो फिर इतने आयात की आवश्यकता क्यों हुई । इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है ।

दूसरे सरकार ने अनुमान लगाये बिना कह दिया कि यह 1963–64 में 7.5 लाख टन चावल आयात करेगी । परन्तु यह केवल 4.17 लाख टन चावल ही आयात कर सकी । इसलिये यह भी समझाया जाये कि क्यों न सारा चावल आयात किया ।

क्या कारण है कि वास्तविक कमी से 5 गुना अधिक आयात की गई ? दूसरे गेहूं को आयात करने का प्रयास क्यों न किया गया ?

मैं यह नहीं कहता कि गेहूं बाजार में नहीं आया है । मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जो क्षेत्रीय (ज़ोन) प्रणाली बना रखी है वह शीघ्र समाप्त हो जावेगी।

अब क्योंकि खाद्य निगम की स्थापना हो गई है इसलिये सारे राज्यों को अन्न बाजार में अलग अलग प्राप्त करने का अधिकार न्यायसंगत नहीं है । यदि ऐसा हुआ तो यह सारे भारत की एक मूल्य वाली नीति जिसके लिये कृषि मूल्य आयोग बनाया है के प्रतिकूल होगी । अब सरकारी कर्मचारियों के वेतनों के बारे में बराबर करने का प्रयास हो रहा है, । इसलिये यह कार्य सरकार की अन्न प्राप्त करने के बारे में भी होनी चाहिये ।

अब मैं भत्ता बढ़ाने की मांग के बारे में कुछ कहूंगा । जब दास आयोग इस बारे में आयुक्त हुआ था तो अधिकतर केन्द्रीय सरकारी संस्थाओं ने यह सलाह दी कि महंगाई भत्ता जिस तरीके से जांचा जावेगा वह भी आयोग के निदेश पदों में होना चाहिये। सरकार ने यह बात नहीं मानी । अब जो सरकार ने फालतू महंगाई भत्ता दिया है उस से तो मैं सहमत हूं परन्तु सरकार के लिये यह अच्छा होगा कि वह दास आयोग के कहने के अनुसार इस सूत्र को भी पुनरीक्षण करे ।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर): उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जो पूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं यह उनका चौथा जत्था है जिस में 475.01 करोड़ रुपये का फालतू व्यय है । किसी भी तरीके से देखिये यह काफ़ी अधिक रुपया है ।

ऐसा प्रतीत होता है पूरे आंकड़े न मिलने के कारण इस कार्य में अदूरदर्शिता बर्ती है अथवा ठीक योजना नहीं बनाई गई । अब समय आ गया है जब सरकार की पूरक मांगों को कम से कम कर दिया जावे ।

कुछ ऐसे व्यय भी हैं जिन्हें यदि बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते तो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता था । उदाहरण के रूप में बताया गया है कि इस्पात और खान मंत्रालय के लिये एक गाड़ी ख़रीदी जिसका मूल्य 88,700 रुपया था । यह

[श्री प्र० चं० बरुआ]

मांग वैधनीय नहीं कही जा सकती । इसी रुपये में 5 अम्बैसेडर (Ambassador) अथवा 3 बिल्लीस (Willis) कार आ सकती थीं ।

कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का यद्यपि 3 बार भत्ता बढ़ाया जा चुका है अर्थात् जुलाई, 1963 में, फरवरी 1964 में और अक्तूबर, 1964 में । फिर भी यह कम ही है क्योंकि जितने मूल्य बढ़ेंगे उतनी मजूरी बढ़ती है और जितनी मजूरी बढ़ती है उतनी ही मुद्रास्फिति होती है और यह चक्कर ऐसे ही चलता रहता है । इसलिये अब समय आ गया है कि सरकार इस बात पर गम्भीरता से ध्यान दे कि मजूरी कुछ तो नकद रुपयों में मिले और कुछ अनाज आदि में मिले । इस बात पर आचार्य विनोबा भावे भी सहमत हैं ।

बड़ी सड़कों तथा सीमावर्ती सड़कें बनाये रखने के लिये 1·90 करोड़ रुपये का आयोजन है । क्योंकि मैं स्वयं सीमावर्ती राज्य आसाम से सम्बन्ध रखता हूं, इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सीमावर्ती सड़कों को ऐसी हालत में रखा जावें कि वहां सारे साल हर मौसम में बिना रुकावट के उन पर सेना सम्बन्धी यातायात होता रहे । यह बड़े शर्म की बात है कि दरीका और मितांग जैसी नदियों के पुराने तथा तंग पुलों को अभी तक नहीं बनाया है । आशा है कि सीमा के इतना निकट होने के कारण सरकार इन क्षेत्रों में बिना रुकावट के यातायात का आयोजन करेगी ।

खाद्यान्नों के आयात के बारे में मेरा विचार यह है कि कभी कोई विशेष आपत्ति आ जावे तब तो आयात करने में कोई हर्ज नहीं परन्तु सदा उन पर आश्रित होकर बैठे रहना बड़े दुःख की बात है । यह हमारी योजनाओं तथा कृषि विकास के बारे में कोई बड़ाई की बात नहीं है । यदि हम वह रुपया जो आयात पर खर्च करते हैं वही अपने यहां खेती के उत्पादन के बढ़ाने पर लगाते तो खाद्य की कमी को पूरी कर लेते । इसलिये हम धीरे धीरे खाद्यान्न के आयात में कमी करें, बाढ़ों को रोकने के पर्याप्त उपाय करें और फसलों को नष्ट करने वाले कीड़ों को मारने के कार्य में रुपया लगावें जिस से हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जावें ।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा): उपाध्यक्ष महोदय मेरे मन में सरदार कपूरसिंह के प्रति बड़ा मान है । मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि सैनिक सेवाओं में वे जाति आदि के भेद को न लावें । जब उन्होंने रक्षा मंत्री पर क्षेत्रीय विचारों को प्रशासन में लाने का आरोप लगाया तो मैं ने सोचा कि वह उन के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं ।

रक्षा मंत्री ने अपने कार्य का भार उस समय संभाला जब 1962 में नेफा आदि में आपत्ति थी तो उन्होंने नारा लगाया था कि वे यदि आवश्यक हुआ तो अपनी जान भी दे देंगे । यह देश अब भी आपात काल से गुजर रहा है । मेरे मन में सिखों के प्रति बड़ा आदर है क्योंकि सिख सिपाही नेफा में हमारी सीमा की अपने कुटुम्बियों से दूर रह कर रक्षा कर रहे हैं । यही हाल उनका वायू तथा जल सेना में है ।

इस लिये जब वह रक्षा मंत्री पर जात पात का आरोप लगाते हैं तो मैं उनका ऐसा करना ठीक नहीं समझता ।

मैं रक्षा मंत्री को तब से जानता हूं जब वह वहां के मुख्य मंत्री थे । वहां उन्होंने हर एक जाति के आदमियों को रखा । इसलिये सरदार कपूर सिंह से मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसा न कहें ।

मैं रक्षा सेवाओं के बारे में कुछ रूचि रखता हू । मैं उन के लिये लड़ा हूं । हम संसद सदस्यों को उनके अधिकारों, उनके वेतनों आदि के बारे में काफी रूचि लेनी चाहिये और उनके लिये लड़ना चाहिये ।

हमें रक्षा मंत्री के हाथ मजबूत करने चाहियें । मैं तो ईसाइयों से कहा करता हूं कि वे अपनी भावनाओं को बीवी बच्चों तक ही सीमित न रखें और सिखों की तरह देश की सेवा करें ।

वैसे मैं जातपात का मामला लाना नहीं चाहता, फिर भी यदि अल्पसंख्यकों में कोई बहुत अच्छा कार्य बेश रक्षा का कर रहे हैं तो वह मेरा समुदाय ईसाई नहीं अपितु सिख हैं जो इस देश के लिये लड़ने तथा मरने को तैयार हैं ।

अमरीका के सैनिक पत्रिका ने जतावा दिया है कि चीन 25 से 30 करोड़ महिलाओं को सैनिक प्रशिक्षण दे रहा है । मैं ने भी चीनी महिलाओं को सैनिक प्रशिक्षण लेते देखा है ।

जातपात का मामला अंग्रेजों ने आरम्भ किया था और यह बात भली भान्ति साम्प्रदायिक त्रिकोण (कम्यूनल ट्राइंगल) नामी पुस्तक में दिया हुआ है जो अच्युत पटवर्धन तथा अशोक मेहता ने लिखी थी और जिसकी एक प्रति मैं ने इंगलैंड के राष्ट्रमंडल सम्बन्धी मंत्री श्री डन्कन सन्डस को भेंट की थी जब वह भारत में आये थे । ताकि भारत पाकिस्तान के मतभेद दूर किये जा सकें । इस पुस्तक में दिया हैं कि हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाईयों को कैसे एक दूसरे से भिड़ाते थे । इस लिये हमें चाहिये कि यह बातें अब न उठाई जावे ।

राष्ट्रीय राजपथ के प्रश्न के बारे में मैं उनकी बड़ाई करूंगा जो सीमा पर केवल 150 रुपया के वेतन पर अपनी जान दे बैठे उनके नाम भी हमें पता नहीं और उनके मृत शरीरों का भी पता नहीं चला । ऐसे ही नवयुवकों के कारण हमारा देश सुरक्षित है ।

माँग संख्या 97 का सम्बन्ध संसद कार्य विभाग से है । अभी हमारे संसद कार्य मंत्री ने रूस से आये प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उनके लिये जो 50,000 रुपया नियत किया था वह ठीक प्रकार व्यय किया है ।

मांग संख्या 19 का सम्बन्ध सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से है । इस ब्यूरो का क्या लाभ है । वैसे इसकी सिफारिश प्राक्कलन समिति ने की है । एक आई० सी० एस० अधिकारी अपने पद से निवृत्त होता है तो उन्हें इनमें काम दे दिया जाता है । यदि इन अधिकारियों से मुफ्त देश सेवा करने के लिये कहा जावे तो कितने तैयार होंगे ? ऐसे तो केवल दो ही मुझे याद हैं--एक श्री सुभाष चन्द्र बोस और श्री हरि विष्णु कामत जिन्होंने

[श्री जोंकीम आल्बा]

नौकरी को लात मार कर देश सेवा में आ गये । इसलिये नहीं चाहता कि यह निवृत्त हुए आई० सी० एस० अधिकारियों को पद देने के लिये ऐसे कार्यों में लगाया जावे । ऐसा करने से नवयुवकों के लिये उन्नति करने का अवसर समाप्त हो जाता है । इसलिये समय आ गया है कि नवयुवकों के लिये ऐसे कार्य रहने चाहियें । ऐसे बहुत से नवयुवक थे जो देश की स्वतंत्रता के लिये लड़े और जेल गये परन्तु वे नौकरियों में नहीं लिये गये ।

हम एक और गल्ती करने वाले हैं कि हमने सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य का काम बूढ़ों को सौंप दिया है जो परिश्रम नहीं कर पावेंगे । यद्यपि हमने सार्वजनिक कार्यों में 1000 करोड़ रुपया लगा रखा है फिर भी उसमें से 5 करोड़ रुपया अभी वापिस आना आरम्भ नहीं हुआ है । नियुक्तियों का ढंग बड़ा गलत है । इस संदर्भ में मैं बर्मा शैल रिफाइनरी की बड़ाई करूंगा । यदि वह एक कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते और उनके करने का कारण है कि वहां कार्य करने वाले नवयुवक हैं ।

अभी डाक्टरों के हड़ताल करने की बात हो रही है । उन्हें आप केवल 1100 रुपये देते हैं । उनमें से एक ने मुझे बताया कि यदि वह अमरीका चला जावे तो उसे वहां 4000 डालर मिल सकते हैं और वह इस विचार में है कि यहां रहे अथवा अमरीका चला जाये । इसलिये इनके प्रति हमारा नैतिक कर्त्तव्य है । हमारे विशेषज्ञ भी धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं । एक निर्धन इंजीनियर का पत्र "स्टेटसमैन" नाम के समाचार-पत्र में पिछले सप्ताह छपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह इंग्लैंड से प्रशिक्षण प्राप्त इंजीनियर है और कई महिने यहां बेकार रहने के पश्चात् अब वापिस लन्दन जा रहे हैं । इसलिये मैं कहूंगा कि यदि आप इन्हें केवल 1100 रुपया ही वेतन देंगे तो इनकी क्या सहायता कर पायेंगे ।

मैंने राजकुमारी अमृत कौर के समय कहा था कि आप वृद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति न करें और बाद में उन्होंने वह कार्य रोक भी दिया था ।

अन्त में मैं कहूंगा कि आप नवयुवकों को नियुक्त करें और उन्हें अच्छे वेतन दें ।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): Mr. Deputy-Speaker, I have only to speak on demand No. 30 which relates to Ghazipur opium factory. I think it is the biggest opium factory in Asia, but it is most mismanaged. The conditions of service of workers there are also not quite regular. The management can dismiss them whenever it likes. I have many times written to the concerned Ministers but it was all in vain.

Ghazipur is the most backward district of eastern U.P. and this is only factory which is providing some employment to the people and even then Government has shown its indifference to it. The people who cultivate opium are not given their payments in time and they are harassed. Previously it was suggested that Central Government is going to expand that factory but now they are reported to be opening a factory at Malwa. If it is so, then the old factory will run into trouble and it will adversely affect the two thousand employees who are working there.

The employees in that factory are not made permanent but are kept on seasonal wages and then thrown out of employment. The factories Act is not applicable there and even Health Insurance Scheme is only in name. Therefore my submission is that the employees should be given permanent jobs and this factory should be expanded.

Due to non-application of Factories Act and other labour laws the management badly harasses the workers there. The workers should be made permanent. If the government cannot grant them the facilities of pension. They should be given the advantage of Gratuity Fund. The government should encourage the cultivation of opium especially so that it may help in the elimination of poverty from that area.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have tabled certain cut motions on supplementary demands. Under demand No. 6 a sum of Rs. 2,95,70,000 has been demanded for defence forces. I support this demand in view of the military power of the enemy.

We should not continue the policy of non-alignment. It is very necessary to produce atom bombs. The people are willing to contribute more towards defence fund but this amount is being misappropriated in contracts for the construction of roads in NEFA and Laddakh and in various other ways. Wastage, in defence establishments should be eliminated otherwise it would lead to corruption. Government should keep strict watch over expenditure in defence matters so that there are no scandals.

The scales of pay of soldiers are very low. The difference between the pay scales of soldiers and the officers is too much. By the direct recruitment of officers the chances of promotion of the soldiers officers ranks are reduced. Along with the recruitment of new officers chances should also be given to the soldiers. Their pay scales should also be increased.

Certain soldiers are working on the farms in Kotah—Rajasthan. They should be put on regular army duty. Army Units should not be removed from Kotah.

We should produce atom bombs. Though we may not use them still we should be in possession of these bombs.

We should become self sufficient in the matter of food grains and not depend on America. Even the price of foreign wheat has been enhanced. A family of ten persons gets only one maund of wheat per month. Rajasthan is food grains producing area but grains from Rajasthan are sent to other places thus the poorer sections have little to feed themselves. Sugar is not available to villagers, they have to content themselves with Gur only.

It takes a fortnight for the Dak to reach villages. The accounts of Telephone Department should be separated from the finance Ministry.

The condition of refugees from East Pakistan is deplorable. Their children should be educated in schools. They should be given land for cultivation and those who are able to do other jobs and more opportunities should be provided for them to take those jobs.

श्री मलाइछामी (पेरियाकुलम) : खाद्य मंत्रालय ने खाद्य स्थिति पर काबू पाने में, खाद्यान्न के वितरण में, कृषकों को मूल्यों सम्बन्धी प्रोत्साहन देने में और बफर स्टाफ बनाने में उल्लेखनीय काम किया है ।

खरीदे गये खाद्यान्नों को उपयुक्त स्थानों पर पहुंचाने के लिए पग उठाये जाने चाहियें। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना सराहनीय कदम है । कृषकों को इस समय जो मूल्य दिया जा रहे हैं उनसे उनको पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता है।

ग्रामीण ऋण 3,000 करोड़ रूपये से अधिक हैं। कृषकों को इस ऋणग्रस्तता से छुटकारा दिलाने के लिए उचित विधान बनाया जाना चाहिये और उन्हें कम ब्याज पर ऋण देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। कृषकों को यह आश्वासन भी दिया जाना चाहिये कि उत्पादन में वृद्धि का लाभ उन्हें मिलेगा । गांवों में जमीन का लेखा रखने वाले कर्मचारियों के रखे जाने वाले भूमि के लेखों के तरीकों में सुधार होना चाहिये ताकि भूमि के स्वामित्व और कृषकों की ठीक स्थिति का पता लग सके। इस बात के लिए उचित पग उठाये जाने चाहियें कि देश में भूमि का समान वितरण हो।

गोबर के खाद्य रूप में प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होगी । जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधायें नहीं हैं उनमें भूमिगत जल को प्रयोग में लाने के लिए पग उठाये जाने चाहियें।

मद्रास राज्य के मदुरै जिले में त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षण के कारण कृषकों को बड़ी कठिनाई हुई है । कृषकों की बजाय अनुपस्थित भूस्वामियों को पट्टे दे दिये गये हैं।

यदि कृषि के उत्पादन में वृद्धि की जाये तो उपभोक्ताओं को अन्न उचित दामों पर मिल सकेगा और कृषकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the standard of living of the government servants is going down due to the increase in the prices of essential commodities etc. The price index was not properly maintained as a result of which the labour class does not get dearness allowances in relation to high prices. Municipal employees went on strike in Bombay. The Government, thereafter, appointed a committee to go into that question. As a result of this some improvement was made in the maintenance of price index. But the formula of dearness allowance for Central Government employees is defective. The formula should be revised. The low paid staff gets less dearness allowance. Neutralisation of rise in prices should be more in their case.

With the rise in index dearness allowance should automatically be raised. Unless that is done Government will not make honest efforts to check the rise in prices. The policies of government result in increase of prices. The government should formulate a policy to maintain a balance between agricultural and industrial goods. Wages of labourers should be increased. The policies of the government give incentive to the businessmen to increase the prices.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 12, 13 और 14 के बारे में कहना चाहता हूं। ये कटौती प्रस्ताव महंगाई भत्ते के बारे में हैं। 18 फरवरी,

1965 को सदन में दास आयोग की रिपोर्ट के बारे में प्रश्न उठाया गया था। माननीय मंत्री से पूछा गया था कि क्या वह महंगाई भत्ते के सूत्र पर विचार कर रहे हैं कि नहीं तथा क्या छोटी श्रेणी के कर्मचारियों के भत्ते सरकार बढ़ा रही है अथवा नहीं ।

मैं इस अवसर पर सरकार का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं । उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 22 लाख और कुछ हजार है। इन में से 14,76,000 का वेतन 100 रु0 से कम या 100 रु0 है । इस श्रेणी वाले अर्थात् चतुर्थ श्रेणी वाले कर्मचारियों का वेतन क्रम 70--109 रु0 है । दास आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप इन को अधिक लाभ होना चाहिये था। इन को केवल 7 रु0 50 पैसे दिये गये हैं। इसी प्रकार लोअर डिवीजन क्लर्कों तथा इस श्रेणी में आने वाले अन्य कर्मचारियों को भी कम दिया गया है । दास आयोग को देश के समाजवाद के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिये था।

19 फरवरी को वित्त मंत्री कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिले तथा उन की बात सुनी । मैं मंत्री महोदय से तीन बातें कहना चाहता हूं एक तो यह है कि महंगाई भत्ते के देने के सूत्र का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये और इस विषय को प्राथमिकता दी जाय। मैं इस सम्बन्ध में श्री मधु लिमये द्वारा कही गई बात का समर्थन करता हूं।

दूसरी बात यह है कि जैसे दास आयोग ने भी सिफारिश की है कि 600 रु0 से 1200 रु० वेतन पाने वालों को भी महंगाई भत्ता मिलना चाहिये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करें।

तीसरी बात मेरी मांग संख्या 3 के सम्बन्ध में है । यह आयुध कारखानों के बारे में है। इन कारखानों में कथित आकस्मिक कर्मचारियों की छंटनी आरम्भ कर दी गई है। प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन इन कारखानों में लगभग 3,000 आदमियों को फालतू घोषित किया जा रहा है । इन प्रशिक्षित कारीगरों की दुर्दशा होने जा रही है । मैं माननीय प्रतिरक्षा मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों की छंटनी न की जाय।

मूल्यों को स्थिर रखने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु खेद की बात है अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय में कुछ कहें। आज जनसाधारण को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार कृषि मूल्य आयोग की स्थापना करने जा रही है ।

श्री नरेंद्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : साधारणतः प्रतिपक्ष वालों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह कोई रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत नहीं करते। मैं कुछ रचनात्मक प्रस्ताव सुझाव देता हूं।

मांग संख्या 3 के बारे में मेरा सुझाव है कि लद्दाख तथा उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी में हमें और राडार स्थापित करने चाहिये ताकि देश की राजधानी को शत्रु की वायुसेना के आक्रमण से बचाया जा सके।

मांग संख्या 6 के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि योद्धा जातियों को सेना की भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिये और भर्ती सभी राज्यों में की जानी चाहिये।

[श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा]

मांग संख्या 40 के बारे में मेरा सुझाव है कि देश में वनों के संरक्षण के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये । वनों के समाप्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप बाढ़ की समस्या गम्भीर होती जा रही है । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मांग संख्या 61 के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्री ने संसद सदस्यों की समिति जो भंग कर दी है वह फिर से बनायी जानी चाहिये । यह समिति बहुत अच्छे सुझाव दे रही थी ।

मांग संख्या 67 के विषय में मेरा सुझाव है कि गुजरात राज्य में वर्तमान नदी बांधों को ऊंचा किया जाना चाहिये ताकि नहरों में सिंचाई के लिये अधिक पानी जा सके ।

मांग संख्या 78 के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि गुजरात तेलशोधक परियोजना के पूरा होने का कारण नर्मदा नदी पर भड़ोच के समीप पुल बनने में विलम्ब है । इसे तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मांग संख्या 88 के बारे में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि असैनिक उड्डयन विभाग ने पिछले महीने की 23 तारीख से बम्बई और बड़ौदा के बीच विमानों की उड़ाने आरम्भ कर दी है । बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच भी सेवा आरम्भ की जानी चाहिये ।

मांग संख्या 125 के बारे में मुझे खेद है कि आजादी के 17 वर्षों के पश्चात् भी हम खाद्य पदार्थों के बारे में आत्म निर्भर नहीं हो पाये ।

मांग संख्या 132 के बारे में मेरा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से सुझाव है कि दामोदर घाटी निगम की तरह नर्मदा घाटी निगम की स्थापना करे । इस परियोजना से गुजरात,मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र तथा राजस्थान राज्यों को लाभ होगा । इस विषय पर खोसला समिति विचार कर रही है । आशा है वह ऐसी ही सिफारिश करेगी ।

मांग संख्या 45 गृह-कार्य मंत्रालय के बारे में है । आजकल देश में आपात काल चल रहा है । हमें नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) के बारे में व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिये । अन्त में मांग संख्या 42 के बारे में कहूंगा । हमारे देश के डाक्टर बहुत अधिक संख्या में विदेशों को जा रहे हैं । हमें इसको रोकना चाहिये । स्वास्थ्य मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी): श्रीमान, मैं अपनी बात दो या तीन मांगों तक ही सीमित रखूंगा । मांग संख्या 123 के बारे में कहा गया है कि राज्यों के विकास कार्यों की प्रगति बढ़ाने के लिये उनकी आवश्यकताओं पर फिर से विचार किया गया और उनको 42.04 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता दी गई ।

इन राज्यों में विकास कार्य ठीक प्रकार से इसलिये नहीं हो पाया क्योंकि इसे बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी । जैसे आंध्र प्रदेश नागार्जुनसागर तथा राजस्थान में राजस्थान नहर के लिये । फिर राज्यों को दिये गये कर्जों पर ब्याज मांगा जाता है । मेरा सुझाव है कि इसके लिये कुछ समय दिया जाना चाहिये । बड़ी बड़ी परियोजनायें केन्द्रीय सरकार को स्वयं कार्यान्वित करनी चाहियें और जिन पर कम धनराशि की आवश्यकता हो वह राज्य सरकारों के लिये छोड़ दी जानी चाहिये ।

दूसरी बात मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आयोग ने कर्जा चुकाने में असमर्थता व्यक्त की है। अतः इस को वह ऋण पांच वार्षिक किस्तों में चुकाने को कहा गया है। यह आयोग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इस के कामों में अनियमितताओं को समाप्त किया जाना चाहिये।

इस आयोग की गौण संस्थायें राज्यों में कार्य कर रही हैं। आयोग को उन पर पूर्णरूप से नियंत्रण नहीं है अतः उनमें बहुत सी त्रुटियां हैं। वर्तमान कानून में आवश्यक संशोधन कर के आयोग को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये ताकि आयोग इन बोर्डों पर पूरा वित्तीय नियंत्रण रख सके। खाद्यान्न निगम का बनाया जाना एक अच्छा कार्य है। इस को किसानों तथा उपभोक्ता दोनों के हितों में कार्य करना चाहिये।

Shri H. C. Soy (Singhbum): I want to say something in support of demand No. 45 which relates to the Department of Social Security. The work in regard to Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been assigned to this Department. This was previously handled by the Ministry of Home Affairs. I attach great importance to the social and moral hygiene programme. New industrial factories are coming up. This type of education should be imparted in these areas. Immoral traffic is going on large scale and the Labour Minister has said that a Bill to curb this evil will be brought.

The provision of appointment of such labour welfare officers who are fully aware of conditions of backward classes, will help in the amelioration of condition of labourers.

With these words I support these demands.

श्री व० ब० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : श्रीमान मैं अपनी बात मांग संख्या 19 से आरम्भ करना चाहता हूं। सरकारी उपक्रम ब्यूरो की स्थापना का स्वागत करता हूं। प्राक्कलन समिति ने मार्च 1964 में इस की स्थापना की सिफारिश की थी। यह ब्यूरो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा और देश में चल रहे संयंत्रों कार्य का मूल्यांकन करेगा।

मैं मंत्रालय की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। क्योंकि इस ने इतनी शीघ्रता से कार्य किया है। यह ब्यरो समन्वय कार्य भी करेगा।

यहां पर यह कहा गया है पहले ही संसदीय समितियां हैं जो इस प्रकार कार्य कर सकती हैं। परन्तु ऐसी बात नहीं। संसदीय समितियां तकनीकी कार्य नहीं कर सकती।

मांग संख्या 37 के बारे में कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष श्री एम० एल० दन्तवाला की नियुक्ति का स्वागत करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना उत्तर अनुदानों की अनुपूरक मांगों के आरम्भ में कही बातों को ध्यान में रख कर देना चाहता हूं। 62 करोड़ रु० की अतिरिक्त मांगें प्रस्तुत की गई हैं। चालू वर्ष के अनुमानों में पर्याप्त मात्रा में बचत की गई है और 85 करोड़ रु० का कर्जा राज्यों को दिया गया है। यह मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के लिये किया गया है।

[श्री ति० त० कृष्णमचारी]

अनुपूरक मांगों पर चर्चा के समय नीति सम्बन्धी प्रश्न नहीं उठाये जाते । परन्तु सदस्यों द्वारा आलोचना का मैं स्वागत करता हूं । मैं उनकी बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखता हूं । अनुपूरक मांगें विशेष कारणों से ही प्रस्तुत की जाती हैं ।

इस चर्चा में मूल्यों के स्थिर रखने की बात को बहुत अधिक कहा गया है । मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि इस विषय में वित्त मंत्री की जिम्मेवारी बहुत है परन्तु फिर भी राज्य सरकारें बहुत सीमा तक इस के लिये उत्तरदायी हैं । हां, धन परिचालन के लिये केन्द्र सरकार जिम्मेवार है । हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में धन छिपा हुआ है । उसके कारण भी मूल्यों को स्थिर करने में रुकावट पड़ती है ।

कुछ दिन हुए मेरे सहयोगी श्री भगत से सहकारी क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछे गये थे । इस क्षेत्र में भारत के रक्षित बैंक द्वारा धन उपलब्ध किया जाता है । इस सहकारी क्षेत्र के पास 270 करोड़ रु० बकाया है । हम चाहते हैं कि रक्षित बैंक का सहकारी क्षेत्र के बैंकों तथा समितियों पर कुछ नियंत्रण हो । ताकि मूल्य स्थिर रखने में ठीक कार्यवाही की जा सके ।

हमें कहा जाता है कि सरकारी क्षेत्र में उत्पादन कम है और लाभ ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है । इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिये ही तो सरकारी उपक्रम ब्यूरो की स्थापना की जा रही है ।

मेरे माननीय मित्र श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को 50,000 टन आयात किया हुआ गेंहूं देने का वायदा किया था परन्तु वास्तव में केवल 12,000 टन दिया गया है । मुझे उनसे कहना है कि राजस्थान एक आत्म निर्भर राज्य है परन्तु वहां से अन्न अन्य राज्यों को चला जाता है । माननीय सदस्यों ने कहा कि हम स्वतंत्रता के 17 वर्षों के पश्चात भी खाद्य पदार्थ आयात कर रहे हैं । इसके लिये हम सब ज़िम्मेवार हैं । हम लोगों को भूखे नहीं मरने दे सकते ।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि स्थिति का सामना करने के लिए जो कुछ सुझाव है वह किया जा रहा है । स्थिति इसलिए भी कुछ असाधारण सी हो गयी है क्योंकि पी० एल० 480 के अधीन जो गेंहूं मिल रहा था, वह भी गोदी कर्मचारियों की अमरीका में हड़ताल हो जाने के कारण आना कुछ रूक गया है । यदि ऐसा न होता तो हम राज्यों को सम्भरण निरन्तर जारी रखते । हमें इस बात का अहसास है कि राज्यों की आवश्यकताओं को अनाज के आयात से पूरा किया जाना है । परन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विदेशों से गेंहूं लेना सरल नहीं, क्योंकि हमारी विदेशी विनिमय की स्थिति काफी खराब है । इसके अतिरिक्त किसी देश में हड़ताल हो जाय तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ।

मूल्य नीति, खाद्य नीति तथा मूल्यों को काबू रखने की बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर भी है । परन्तु केन्द्रीय सरकार सीमित क्षेत्र में कार्य करती है क्योंकि खाद्यान्नों का उत्पादन तथा विक्रय राज्यों में होता है और अन्त में मूल्यों पर ही राज्य की नीति निर्भर करती है । केन्द्रीय उत्तरदायित्व अतिरिक्त मांग को उत्पन्न करने तक सीमित है जिसका कारण फिजूलखर्ची की नीतियां हैं और क्योंकि संभरण कम है, इसलिए मूल्य बढ़ रहे हैं । हाल में ही ऋण पर जो नियंत्रण लगाया गया है उससे मुद्राबाहुल्यकारी दबाव कम हो जायेंगे । धन के क्षेत्र में वित्त मंत्रालय का पूरा नियंत्रण नहीं है । धन के क्षेत्र में जो

संघठित रूप में कार्य हो रहा है वह बहुत कम है और इस सम्बन्ध में बाहर एक बड़ा क्षत्र है और छिपा हुआ धन भी बहुत है ।

लोगों के बैंकों में भी बहुत धन है जिसका उपयोग किया जा सकता है । कुछ क्षेत्रों में जहां हम धन उपलब्ध कराते हैं वहां हमें कुछ नियंत्रण भी रखना चाहिये । सहकारिता के क्षेत्र में कुछ हद तक रिजर्व बैंक द्वारा धन उपलब्ध कराया जायेगा । सहकारिता क्षेत्र में 270 करोड़ रुपये की राशि अभी देय है तथा सहकार मंत्रालय इस चौथी योजना में 400 करोड़ से बढ़ा कर 800 करोड़ रुपये कर देना चाहता है । सहकारी समितियों पर रिजर्व बैंक का कुछ नियंत्रण होना चाहिये । वित्त मंत्रालय से मूल्यों को काबू में रखने के लिए नहीं कहा जा सकता और उनसे नहीं पूछा जा सकता कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पर्याप्त उत्पादन क्यों नहीं कर रहे और पूंजी क्यों अधिक है । सहकारी समितियों की क्रियान्विति के लिए नियंत्रण का उपबन्ध किये बिना हम अधिक धन नहीं दे सकते । मूल्य रेखा पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता जब तक कि समूची आर्थिक गति विधि नियंत्रण में न हो ।

राजस्थान में आयातित गेहूं के सम्भरण के बारे में तथ्य यह है कि साधारणतया राजस्थान आत्म-निर्भर है । अन्य राज्यों को जाने वाली भरी हुई गाड़ियों की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है । खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है क्योंकि लोगों को भूखा नहीं रखा जा सकता । अमरीका में गोदी हड़ताल के कारण स्थिति असाधारण हो गई है । सरकार खाद्यान्नों के सम्भरण के लिए पूरी तरह तैयार है यदि वह उपलब्ध हो । विदेशी मुद्रा की भी कठिनाई है । मूल्यों के लिए जिम्मेवारी केन्द्र की है परन्तु राज्यों की भी जिम्मेवारी है । यह आशा की जाती है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार होगा ताकि मुद्रा स्फीति को रोका जा सके ।

आयुध कारखानों में श्रमिक धन बहुत कमा रहे हैं । परन्तु वे उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कि काम की गति धीमी हो । श्रमिकों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण करना होता है । 1944 में अमरीका में यह रीति अपनाई गई थी । प्रतिरक्षा मंत्रालय में इसी प्रकार का विभाग प्रतिरक्षा मंत्रालय में भी है । लोगों की एक ही बार छंटनी नहीं की जा सकती । उन्हें पास ही के किसी अन्य काम में लगाया जा सकता है । हमें अपने आयुध कारखानों को इस प्रकार गठित करना चाहिये कि उन में असैनिक भाग हो जहां साइकिलें आदि बनाई जा सकें ।

हमारी सेवा की रूप रेखा जाति-हीन, वर्णहीन तथा क्षेत्रहीन है । सिखों के प्रति कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता । जाति भेद का अभिशाप जो यहां नहीं है उसका इस सम्बन्ध में वर्णन नहीं किया जाना चाहिये था । जहां तक सीमावर्ती सड़कों का सम्बन्ध है, यह और अच्छी होनी चाहिये थी । परन्तु इस कार्य में होने वाली कठिनाइयों के प्रति उदासीन नहीं हुआ जा सकता ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

समन्वय के कार्य करने वाले मंत्री के नाते मैं समझता हूं कि सरकारी उपक्रमों की देख रेख के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी की आवश्यकता थी । यह एजेंसी निरीक्षण

[श्री ति०त० कृष्णमाचारी]

के लिये नहीं परन्तु उन के लेखे तथा कार्य का विश्लेषण करने तथा यह देखने के लिए कि आदेश ठीक समय पर दिये जाते हैं और उत्पादन भण्डार-गृहों के अभाव के कारण रुक तो नहीं जाता और क्या वह अपने कार्य को कुशलता से करते हैं, आदि । सम्बद्ध मंत्रालयों पर सरकारी उद्यम ब्यौरों के शासन का कोई प्रश्न ही नहीं है । एक संसदीय समिति इन छोटी-छोटी बातों पर विचार नहीं कर सकती थी । यह एक बहुत छोटा विभाग है । और यह सरकारी उद्यमों के विकास के साथ-साथ बढ़ेगा और यह बहुत लाभदायक कार्य करेगा ।

हम कई उर्वरक कारखाने स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं । क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम ने 8 लाख टन नाइट्रोजन के उत्पादन का अनुमान लगाया है परन्तु अब हमारा विचार है कि यह 25 लाख टन हो जाये क्योंकि हमारे शोधन कारखानों में अधिक "नेफथा" के उत्पादन की सम्भावना है और भविष्य में उर्वरक उत्पादन "नेफथा" पर आधारित होगा । यह बहुत अधिक सुधरी हुई प्रक्रिया है । हमें इसकी जानकारी तथा संयंत्रों की आवश्यकता थी और हमें कई प्रकार के तकनीकी तरीके भी जानने चाहिये इसलिये हम ने कुछ विदेशी सहायता मांगी । बेकटल निगम के सुझाव से हमें 10 लाख टन "नाइट्रोजन" उपलब्ध होगी । 200 करोड़ रूपये का खर्च न तो अंतिम है तथा न ही इसे आश्चर्यजनक रूप से अधिक कहा जा सकता है । हम अवश्य ही अपने लिये अत्यधिक लाभदायक सौदा करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 12, 13 और 14 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव-मतदान क लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the other cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1964-65 के लिए सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands for Supplementary Grants in respect of Budget (General), 1964-65 were put and negatived:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	40,000
3	प्रतिरक्षा मंत्रालय . .	1,28,000
6	प्रतिरक्षा सेवायें--सक्रिय -वायुसेना	2,95,70,000
19	वित्त मंत्रालय	3,08,000
21	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क . . .	55,50,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
22	निगम कर आदि सहित आय संबंधी कर	28,00,000
23	स्टाम्प	8,19,000
24	लेखा परीक्षा	55,00,000
26	टकसाल . .	20,00,000
29	प्रादेशिक और राजनैतिक पैंशनें	80,000
30	अफीम . .	39,00,000
33	राज्यों को सहायक अनुदान	50,00,000
36	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	2,82,000
37	कृषि	29,35,000
40	वन . .	1,000
42	स्वास्थ्य मंत्रालय .	1,00,000
45	गृह-कार्य मंत्रालय	13,43,000
46	मंत्रिमंडल .	2,20,000
47	क्षेत्रीय परिषदें	23,000
48	न्याय प्रशासन	16,000
51	अंक संकलन	24,21,000
53	दिल्ली . .	20,00,000
54	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह .	14,12,000
55	लक्कदीव , मिनिकोय और अमीनदीवी समूह	4,02,000
60	उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	27,000
61	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	98,000
63	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,97,000
64	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय	2,50,000
67	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . .	1,46,000
78	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	86,11,000
79	इस्पात , खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय	13,47,000
85	संचार (राष्ट्रीय राजपथ सहित) .	1,89,66,000
88	उड्डयन	20,00,000
90	निर्माण , आवास और पुनर्वास मंत्रालय	88,000
91	सरकारी निर्माण कार्य	6,68,31,000
92	लेखन सामग्री और छपाई	1,62,30,000
93	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	1,15,89,000
94	निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	86,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
96	अणु शक्ति गवेषणा	9,75,000
97	संसद्-कार्य विभाग	20,000
98	डाक तथा तार विभाग	64,000
100	डाक तथा तार (कार्यसंचालन व्यय)	2,98,16,000
103	संभरण विभाग	1,42,000
104	संभरण और निपटान	4,91,000
107	तकनीकी विकास विभाग का अन्य राजस्व व्यय	72,000
120	पैंशनों का राशिकृत मूल्य	46,79,000
122	विकास के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	1,07,26,000
123	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	34,00,000
125	अन्न की खरीद	86,81,00,000
126	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	4,20,00,000
132	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	6,67,00,000
135	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,000
136	इस्पात, खान और भारी इंजीनियरी मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,000
137	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	2,57,05,000
138	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	60,75,000
140	परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	3,000
141	सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,50,00,000
145	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	5,10,00,000

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे के सवारी गाड़ी के एक डिब्बे में आग लगना

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I call the attention of the Minister of Railways to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon.

"Fire in a 24 down Passenger trains on North East Frontier Railway on the night of 27 February, 1965, resulting injuries to 38 people."

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): At about 3.47 hrs. on 28th February, 1965, while train No. 24 Dn. Siliguri—Manihari Ghat Passenger was running between Sonaili and Dandkhora stations on the Katihar—Siliguri Metre Gauge section of Northeast Frontier Railway, fire was noticed in a third class-cum-postal van coach, the third vehicle from the engine.

The train was brought to a stop and efforts were made to extinguish the fire with the available fire extinguishers on the train.

Since the fire could not be extinguished with the available fire extinguishers, the train engine with the first three coaches was taken to Dandkhora where the fire was extinguished and the affected coach detached. Thereafter the rear portion was brought to Dandkhora and the train left after a detention of over one hour.

Three passengers sustained slight injuries. First aid was rendered to them on the spot and they were allowed to proceed on their journey.

The cause is under investigation and an enquiry has been ordered.

Shri Madhu Limaye: Whether the chain was alright and it was pulled?

Dr. Ram Subhag Singh: Yes, it was pulled and the chain was alright. But we can't say definitely at present that how far this published news is correct.

Shri Madhu Limaye: Whether some order has been given that this chain system may be stopped at this line?

Dr. Ram Subhag Singh: There is no such order. The whole matter is being inquired into. We will be getting the report within 20—25 days.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

MOTION ON PRESIDENT'S ADDRESS—**Contd.**

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : इस प्रस्ताव पर चर्चा लम्बी हो गयी है । लगभग सभी सदस्यों ने जो इस पर बोले भाषा समस्या की गम्भीरता से प्रभावित थे । मद्रास राज्य में हिंसक कारनामें हुए सबने उसका उल्लेख किया । भयानक कारनामें हो गये और कई लोग मर गये, लूटमार हुई मकान जला दिये गये । सब कुछ बड़ा दुःखदायी और खेदजनक है ।

श्री हीरेन मुकर्जी का सुझाव है कि हमें सब कुछ भूल कर एक नया अध्याय आरम्भ करना चाहिए । विद्यार्थी ने वक्तो जोश में आकर गलत बातें कर दी हैं । परन्तु यह बात भी स्पष्ट है कि इन सब घटनाओं में समाज विरोधी तत्वों का भी बहुत बड़ा हाथ है । यदि उन्हें रोका न गया और उन्हें ऐसे ही लूट मार और हिंसा करने की छूट दे दी गयी तो समस्त समाज में शान्तिमय जीवन असम्भव हो जायेगा । अतः यह बड़ा ही जरूरी है कि उनके मामलों में कानून के अनुसार कार्यवाही की जाय । मैंने इस मामले में मुख्य मंत्रियों से बात की है और वर्तमान स्थिति में जो कुछ सम्भव है वह किया जायेगा ।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

जहां तक इस मामले के विभिन्न पहलुओं का सम्बन्ध है, स्वर्गीय पंडित नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासनों का बिना संकोच के तथा एकमत से स्वागत किया जायेगा। जैसा कि सभा को विदित है, भाषा के सवाल पर संसद तथा संसद से बाहर चर्चा की जा चुकी है तथा कई मामले उठाए जा चुके हैं जैसा कि राज भाषा अधिनियम में संशोधन, त्रिभाषीय सूत्र, परीक्षा के लिये माध्यम तथा सेवाओं में न्यायपूर्ण भाग, उन सब बातों के विषय में मेरे अपने निश्चित तथा स्पष्ट विचार हैं, परन्तु मैं इस समय अपनी निजी राय को व्यक्त नहीं करना चाहता। मेरा विचार है कि मुझे तथा इस सभा को अपने विचार कुछ समय बाद व्यक्त करना चाहिये जब कि सारे मामले का सावधानी से अध्ययन और परीक्षण किया जाय।

एक बात बड़ी स्पष्ट है वह यह कि हिन्दी को लादा कहीं नहीं जा रहा। हिन्दी के लादे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। जो लोग हिन्दी नहीं जानते वे अंग्रेजी में अपना कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार ही प्रादेशिक भाषाओं का प्रश्न है। वह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि सभी राज्य सरकारें प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करें। प्रादेशिक भाषाओं द्वारा हिन्दी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

Shri Madhu Limaye: The Prime Minister should speak in national language.

Mr. Speaker: Now you should hear.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : बहुत से राज्यों ने प्रादेशिक भाषा को अपनी राजभाषा बना लिया है। हम उन्हें पूरी सहायता दे रहे हैं। वैसे भी इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

Dr. Ram Manohar Lohia: When there is arrangement of translation, why you impose English on you.

Shri Lal Bahadur Shastri: I may have spoken in Hindi, but some members wanted that I should speak in English.

Shri Ram Sewak Yadav: Many members desire, as the arrangement of translation is there, you should speak in your own mother tongue.

Dr. Ram Manohar Lohia: You will continue with English for all times.

Mr. Speaker: I will request the honourable members not to interrupt. Any members can make his own choice and can speak either in Hindi or in English. Arrangement of translation is there. We should maintain the decorum of the House.

Shri Lal Bahadur Shastri: At present, I am speaking in English and will speak in English. In future I will also speak in Hindi.

Mr. Speaker: You can speak as you like.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भाषा की समस्या को देखना चाहिये। देश की सारी भाषायें तो राजभाषायें बन नहीं सकतीं। अतः मेरा निवेदन है, हमें सारे मामले पर प्राकृतिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। यह अत्यावश्यक है कि देश में एक सम्पर्क या साझी भाषा हो अन्यथा देश विभिन्न भागों में बट जायगा और उसका विघटन हो जायगा। उस कारण से हिन्दी को संघ सरकार की राज भाषा माना गया या उसे ऐसा माना जाना चाहिये। साथ ही हमें

ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिससे देश की अखण्डता टूटने के बजाय कायम रहे। हमें इस मामले में मन्दगति से चलना चाहिये। हमें इस बात की स्वेच्छापूर्ण ढंग से सीखने पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी। फिर भी जो व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते, उनकी नियुक्ति तथा पदोन्नति में कोई अड़चन नहीं आयगी ।

जहां तक खाद्य का संबंध है, अब यह कहा जा सकता है कि बहुत खराब स्थिति का अन्त हो चुका है। परन्तु हमें अभी कठिनाइयों का सामना है। चावल के उत्पादन संबंधी आंकड़े कोई 3 9 करोड़ टन है और हमें गेंहूं की बड़ी फसल की आशा है। कुछ समय के लिए स्टाक मार्केट में उपलब्ध है तथा हम समाहार का कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि खाद्यान्न के आयात को कम किया जाय परन्तु कुछ समय तक आयात के बिना हम अच्छे "बफर स्टाक' को कायम नहीं कर सकेंगे। आयात और स्वदेशी उत्पादन की सहायता से हमारे लिए कमी के समय की कठिनाइयों पर काबू पा लेना सम्भव हो सकेगा। उत्पादन की दृष्टि से ही हमने योजना में सबसे अधिक जोर कृषि पर ही रखा है। शायद मार्च का महीना कुछ कठिन निकले। हमें तनिक सूझबूझ से काम लेना होगा। अप्रैल से नयी फसल मंडी में आ जायेगी ।

कृषि उत्पादन की ओर राज्य सरकारों को अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंकि यह उनका उत्तरदायित्व है। वह इस ओर पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यदि कृषि उत्पादन में वृद्धि न हुई तो उनको और उनके लोगों के लिये यह बहुत हानिकारक होगा। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक खेत की जांच होनी चाहिये कि वहां उत्पादन बढ़ा है कि नहीं और यदि नहीं बढ़ा तो उसको बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। बढ़ते हुये मूल्यों के कारण हम बहुत चिन्तित हैं। कुछ दिन हुये वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे वित्तीय उपाय किये हैं जिनसे मुझे आशा है कि मूल्य अधिक नहीं बढ़ेंगे। बजट प्रस्तावों के आधार पर हमारी अर्थ व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इन प्रस्तावों से सर्वसाधारण को कुछ हद तक सहायता मिली है। और हमें इस प्रकार का बजट आगे भी जारी रखना पड़ेगा। इस वर्ष का बजट, एक संतुलित बजट है और इसमें देश की गरीब जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। आय और जीवन यापन स्तर में असमता को कम करने की उद्देश्यपूर्ति के लिये नागर सम्पत्ति पर कर लगाये गये हैं। सरकारी क्षेत्र में अधिक कारखाने और उद्योग खोलने से कुछ लोगों के हाथ में धन इकट्ठा नहीं होता और लोगों को रोजगार भी मिलता है। हमने सरकारी क्षेत्र में आधार और भारी उद्योग आरम्भ किये हैं। यह एकदम लाभ नहीं देते हैं। परन्तु जहां कहीं वह स्थापित किये गये हैं उन्होंने मुख्य और सहायक उद्योगों को सहायता दी है।

श्री रंगा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में घाटे के बजट का निर्देशन किया है। वित्त मंत्री ने प्रतिरक्षा की भारी मांगों के बावजूद सन्तुलित बजट प्रस्तुत किया है। मैं श्री रंगा से सहमत नहीं हूं कि उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि दोनों योजनाओं से अधिक रही है ।

श्री मुकर्जी ने कहा था कि विदेशी पूंजी के पक्ष में हमारी नीति में भारी परिवर्तन हुआ है। इस सम्बन्ध में 6 अप्रैल, 19 49 को संसद में पंडित जवाहर लाल जी के भाषण से उद्धरण देना चाहता हूं इसमें उन्होंने विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में नीति को बनाया था। उसी नीति का हम अभी तक पालन कर रहे हैं।

"किसी भी उपक्रम का स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारतीय हाथों में होना चाहिये। यदि राष्ट्रीय हित में हुआ तो विदेशी पूंजी का किसी उपक्रम पर सीमित अवधि के लिये नियंत्रण

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। विदेशी पूंजी का उपयोग हम न केवल इसलिये कर रहे हैं कि भारतीय पूंजी देश के विकास के लिये पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक ज्ञान केवल विदेशी पूंजी के साथ ही प्राप्त हो सकता है।"

जब भी हम किसी विदेशी संस्था से सहयोग करते हैं तो अधिकांश शेयर अपने पास रखते हैं। कुछ मामलों में जहां तकनीकी ज्ञान हमारे पास नहीं होता अधिकांश शेयर रखना सम्भव नहीं है। परन्तु जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है हम केवल आधार और भारी उद्योगों के लिये ऐसे सहयोग स्वीकार करते हैं। यदि किसी विदेशी संस्था को हम अधिकतम शेयर दे भी देते हैं तो वह भी सीमित अवधि के लिये दिये जाते हैं। उस अवधि के बाद उनको वह शेयर भारतीय सहयोगी को बेचने पड़ते हैं।

हमारा उद्देश्य समाजवाद है और हम इसे विभिन्न योजनाओं द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। यह आयोजना का कार्य बहुत कठिन है क्योंकि जनता की आवश्यकतायें बहुत अधिक है। यदि इन आवश्यकताओं को देखते हुए योजना बनाई जाय तो वह इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके लिये संसाधनों को ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। हमें योजना को वास्तविक संसाधनों को देखते हुए तैयार करना चाहिए।

दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने संसाधनों की स्थिति को ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिये। दूसरे उत्पादन विनियोजन के अनुसार होना चाहिये। यदि विनियोजन अधिक हुआ और उत्पादन कम हुआ, तो इससे स्फीति होगी। योजना को प्रभावकारी रूप से और शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये हमें चार चीज़ों का ध्यान रखना चाहिये। सब से पहले प्रत्येक परियोजना के सविस्तार ब्यौरे सहित तैयार करना चाहिये: दूसरे प्रत्येक एकक का समय और परिव्यय नियत होना चाहिये। तीसरे, प्रगति पर ध्यान रखने की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। चौथे, चौथी योजना की परियोजनाओं पर प्रारम्भिक कार्य इसी वर्ष शुरु हो जाना चाहिये। हमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये अधिक सुविधायें देनी चाहियें। यदि हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हमारी योजना सफल हो सकेंगी।

अपनी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में हम अपनी आधार नीतियों पर चल रहे हैं। हम प्रत्येक देश से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं। विकासी देश होने के कारण हम चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे। जिन देशों ने हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त की है, सब पिछड़े हुए हैं, विशेषतया आर्थिक रूप से; यह सब देश विश्व की शांति का भंग होना पसन्द नहीं करेंगे। यदि हमारी विचारधारा अन्य देशों से भिन्न है फिर भी उनके साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इसलिये तटस्थता और सह-अस्तित्व की नीति हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

विएतनाम की स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। हाल ही में हमने भारत सरकार की ओर से एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें हमने सुझाव दिया था कि युद्ध एकदम बन्द हो जाना चाहिये और जेनेवा की तरह का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये। हमने अमरीका और रूस की सरकारों को भी लिखा है और कुछ अन्य तटस्थ देशों को भी लिखा है। उन्होंने हमारे विचार कर समर्थन किया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मलेशिया और इण्डोनेशिया के झगड़े के प्रति सरकार का क्या रवैया है? इस सम्बन्ध में अभिभाषण में भी कुछ नहीं कहा गया ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मलेशिया और इण्डोनेशिया के सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि दोनों देशों में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिये। और यह प्रसन्नता का विषय है कि कुछ देश दोनों देशों में शांतिपूर्ण वार्ता करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में, मुझे आशा है, तटस्थता, सह-अस्तित्व, निःशस्त्रीकरण और शांति की नीतियों का समर्थन किया जायगा। और मुझे आशा है कि यह सम्मेलन अफ्रीकी-एशियाई एकता को सुदृढ़ करेगा ।

चीन ने अणुबम का विस्फोट किया है; परन्तु हम इसका अनुकरण नहीं करना चाहते और हमने यह निश्चय किया है कि हम अणु बम नहीं बनायेंगे । तथापि, शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये हम अणु शक्ति का विकास करते रहेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : कोलम्बो प्रस्तावों का क्या हुआ ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमने अधिक से अधिक कर दिया है; हमें इस मामले में और कुछ नहीं कहना क्योंकि यह कोलम्बो देशों का प्रस्ताव है ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरे विचार में यह उपयुक्त उत्तर नहीं है । 14 नवम्बर, 1962 को जो संकल्प सभा ने पारित किया था उसके अनुसार जिस क्षेत्र पर चीन ने कब्जा किया था उसको खाली करवाना प्रधान मंत्री का दायित्व है । यह उनका देश और ससंद् के प्रति पहला वचन था। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कदम उठा रही है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं वचनबद्ध हूं। परन्तु माननीय सदस्य, मुझे आशा है, यह नहीं चाहते कि आज ही हम चीन पर आक्रमण कर दें ।

श्री नाथ पाई : हम चाहते हैं कि हमारी धरती को मुक्त कराया जाय।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें अपनी तैयारी भी देखनी है और यह भी देखना है कि समय उपयुक्त है कि नहीं । बिना समस्या के पहलुओं पर विचार किये हम ऐसा कदम नहीं उठा सकते ।

श्री रंगा (चित्तूर) : आपके भाषण में देश की धरती को मुक्त कराने का लेशमात्र भी निश्चय नहीं है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यदि माननीय सदस्य सोचते हैं कि मैं कल ही चीन पर आक्रमण कर दूंगा तो मुझे खेद है....

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री ने दो बार कहा है कि हम उनसे चीन पर हमला करने के लिये कह रहे हैं । यदि हम नेफा या लद्दाख में जायें तो क्या यह चीन पर आक्रमण होगा। यदि हम अपनी धरती पर जायें तो शत्रु के कब्जे में है तो यह कहना कि यह आक्रमण है सचाई का उत्खंडन है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक नेफा और लद्दाख का सम्बन्ध हम वहीं हैं परन्तु और कदम उठाना

श्री दांजी ने अभी कहा कि मैं दक्षिणपन्थी हो गया हूं। साम्यवादी दल में भी दो वर्ग हैं, दक्षिणपन्थी और वामपन्थी। हम बायें या दाएं जाने के बजाये आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दल में मतभेद है और अलग अलग लोगों द्वारा भिन्न भिन्न वक्तव्य दिये जा रहे हैं। परन्तु इसके लिये कांग्रेस को ही दोष नहीं दिया जा सकता। साम्यवादी दल में भी फूट है और स्वतंत्रता दल में भी भिन्न भिन्न मत व्यक्त किये जाते हैं। समाजवादी दल में भी मतभेद है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : परन्तु जब कोई भी दो मंत्री एक विषय पर सहमत न हों तो बात बहुत गंभीर हो जाती है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह सच नहीं है।

कांग्रेस 1920 से ही इसी प्रकार की है। डा० लोहिया भी जब कांग्रेस में थे तो इनका बहुमत से भिन्न मत होता था। कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है और यदि इसमें भिन्न मत व्यक्त किये जाते हैं तो इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लेना चाहिये। पिछले कुछ महीनों में लोगों ने कांग्रेस में अपना विश्वास दिखाया है जैसाकि उप-चुनावों और पंचायत के चुनावों से स्पष्ट है।

इस समय राष्ट्रीय एकता की बहुत आवश्यकता है। हाल ही की घटनाओं में जिन लोगों ने उत्तेजनात्मक कार्यवाहियां की हैं वह देश के मित्र नहीं थे। उन्होंने उन लोगों का वर्षों का कार्य जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और एकता के लिये अपना बलिदान दे दिया, कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिला दिया। संसद्-सदस्य किसी एक क्षेत्र के नहीं अपितु पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने देश की अखण्डता बनाये रखने के लिये शपथ ली हुई है।

लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में वाक्-स्वातन्त्र्य होना चाहिये। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अनुशासन नहीं होना चाहिये। दल में अनुशासन होना चाहिये। मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिये और मंत्रिमंडल के सदस्यों को एक आवाज से बोलना चाहिये। मेरे कार्यक्रम और नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं जानता हूं कि आधार सिद्धांत क्या हैं। यह सरकार, शासन कुछ ऐसी परम्पराओं के अनुसार चलाना चाहती है जो लोकतन्त्र के लिये बहुत आवश्यक हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री मी० रु० मसानी का संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 12; विपक्ष में 193

Ayes: 12; Noes: 193.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री सेझियान का संशोधन संख्या 8 मतदान के लिये रखा गया था तथ अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 8 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री हरि विष्णु कामत का संशोधन संख्या 11 (ग) मतदान के लिए रखा गया ।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 18, विपक्ष में 182 ।

Ayes: 18, Noes: 182.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The Motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री यशपाल सिंह का संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया ।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 2, विपक्ष में 173 ।

Ayes: 2; Noes: 173.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The Motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गय तथा अस्वीकृत हुए ।

All other amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाय :

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जोकि उन्होंने 17 फरवरी, 1965 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 3 मार्च, 1965/ फाल्गुन 12, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 3, 1965/Phalguna 12, 1886 (Saka).

———

GMGIPND—LSIII—35 (Ai) LSD—30-6-65—600

P.L.S.48, XXXVIII.10.(N)
600

© 1965 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और मुख्य व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

© LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULE 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI.